



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षाक

का प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(आर्थिक क्षेत्र)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 3

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		V
विहंगावलोकन		vii -x
परिचय		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
सामान्य	1	1
उत्तरदायित्व संरचना	2-4	1-3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करना	5-6	3-4
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	7-8	4-5
भाग - I		
अध्याय - I		
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
परिचय	1.1	7
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन/निर्माण	1.2	7-8
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	1.3	8
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.4	9
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	1.5	10
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत करना	1.6	10
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.7-1.18	10-17
उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	1.19	17-18
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां	1.20	19
निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद	1.21	19
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.22	19
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.23	20
अध्याय - II		
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा		
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड		
सैंज जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1-2.19	21-44

अध्याय - III		
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड		
अंतर लागत का अतिरिक्त भुगतान	3.1	45
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड		
उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	3.2	46-47
दस्तावेजी प्रमाणों के बिना आबकारी शुल्क का भुगतान	3.3	47-48
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड		
विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित न करने के कारण हानि	3.4	49-50
भाग - II		
अध्याय - IV		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति		
परिचय	4.1	51
राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान	4.2	51
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	4.3-4.4	52
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनः संरचना तथा निजीकरण	4.5	52
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	4.6	52-53
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	4.7	54
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों की प्रस्तुति	4.8	54-55
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	4.9	55-56
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	4.10	56
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	4.11-4.23	56-64
राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना	4.24	64-65
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियां	4.25-4.26	65-66
अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद	4.27	66
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.28-4.30	66-68

अध्याय - V		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड		
सॉफ्टवेयर का अनुचित क्रय	5.1	69-70
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम		
ऋणी को अनुचित लाभ का विस्तार	5.2	70-71
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड		
निजी पार्टियों को अनुचित लाभ	5.3	72-73
हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम		
संभाव्य राजस्व की हानि	5.4	73-74
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित निक्षेप कार्यों की विषयक लेखापरीक्षा	5.5	74-83
हिमाचल पथ परिवहन निगम		
सेवा कर का संग्रहण न करने के कारण हानि	5.6	83-84
हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम		
ठेकेदार को अतिरिक्त परिहार्य भुगतान	5.7	84-87

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	89-91
2.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया पड़े हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण	92
1.1.	नवीनतम वर्ष हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया	93
1.2.	आरम्भ से 31 मार्च 2018 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण	94
2.1	ठेकेदार को भुगतान किया गया कर, जो देय नहीं है	95
3.1.	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अप्रैल 2013 में टैरिफ आदेश जारी होने के बाद संविदा मांग संशोधित न होने के कारण हुई राजस्व हानि को प्रदर्शित करने वाला विवरण	96
4.1.	31 मार्च 2018 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित इकिवटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विवरण	97-98
4.2.	31 मार्च 2018 तक शेष इकिवटी, ऋण तथा गांरटी के सम्बन्ध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के मध्य अंतर प्रदर्शित करने वाले विवरण	99
4.3.	राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे, बकाया अवधि में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण	100
4.4.	नवीनतम वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, का सारांशित वित्तीय परिणाम	101-102
4.5.	2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित राज्य सरकार की निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण	103-105
5.1.	विलम्बित 24 कार्यों का विवरण	106

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनियां समझी जाने वाली कम्पनियों सहित) के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा और 139 के साथ पठित नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधायिका के अंतर्गत संचालित की जाती है।

सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के लेखों से सम्बंधित प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम जोकि एक सांविधिक निगम है, के सम्बंध में, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमेव लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के सम्बंध में निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा संचालन करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास है। इन निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित उदाहरणों में वे हैं वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में पाये गए और इसके साथ-साथ वे हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। जहां कहीं अनिवार्य है 2017-18 से तदनन्तर अवधि से सम्बंधित मामले भी सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सैंज जल विद्युत परियोजना पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा नियमों, निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण परिहार्य भुगतान, अवसूली/अल्प वसूली तथा निष्फल व्यय के मामलों से सम्बन्धित ₹728.04 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ से अंतग्रस्त 11 परिच्छेद सम्मिलित हैं, जिनके परिणामस्वरूप कम्पनियों/ निगमों को हानि हुई।

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

1.1 विद्युत क्षेत्र कम्पनियां

राज्य सरकार के पास चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियां हैं, एक कम्पनी (ब्यास वैली विद्युत निगम लिमिटेड) ने 2017-18 तक कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की।

31 मार्च 2018 को, चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश(इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹12,114.52 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के प्रति 25.69 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋण में 74.31 प्रतिशत शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 67.75 प्रतिशत (₹6,099.10 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 32.25 प्रतिशत (₹2,902.86 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था। तथापि, 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 15 सितम्बर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरस योजना के अन्तर्गत डिस्कॉम के बकाया ऋण ₹3,854 करोड़ का ₹2,890.50 करोड़ (75 प्रतिशत) लिया है।

(परिच्छेद 1.2 एवं 1.3)

1.2 विद्युत क्षेत्र कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य उपक्रम

31 मार्च 2018 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रम थे, जो विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 1967-68 से 2017-18 की अवधि के दौरान समाविष्ट किया गया था और इसमें 19 सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम, अर्थात हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम एवं हिमाचल सड़क परिवहन निगम सम्मिलित थे। सरकारी कम्पनियों में दो गैर-कार्यात्मक कम्पनियां (एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्स्टेंड मिल्स लिमिटेड) सम्मिलित थीं। वर्ष 2017-18 के दौरान, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड) को समाविष्ट किया गया था।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य सरकार ने केवल 18 राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निधियों का निवेश किया क्योंकि राज्य सरकार ने तीन सरकारी कम्पनियों में कोई निवेश नहीं किया।

(परिच्छेद 4.1)

31 मार्च 2018 तक, इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों) ₹1,491.98 करोड़ था। निवेश में इक्विटी के प्रति 69.38 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋणों में 30.62 प्रतिशत शामिल

थे। राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 47.14 प्रतिशत (₹215.39 करोड़) था, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 52.86 प्रतिशत (₹241.52 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

निवेश 2013-14 के ₹1,070.88 करोड़ से 39.32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹1,491.98 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों के प्रति क्रमशः ₹186.28 करोड़ और ₹234.82 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश बढ़ गया।

(परिच्छेद 4.4)

2. सैंज जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड ने 100 मेगा वाट की प्रतिष्ठापन क्षमता वाली सैंज जल विद्युत परियोजना (परियोजना) को लागू किया। ₹676.29 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजना को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना नियत था, परन्तु यह परियोजना 29 महीनों के विलम्ब के पश्चात् सितम्बर 2017 में ₹1,319.33 करोड़ की लागत से शुरू की गई। परिणामतः ₹4.30 प्रति यूनिट प्रचलित औसत बिक्री दर के प्रति उत्पादन लागत ₹3.74 से ₹6.23 प्रति यूनिट हो गई, जिससे परियोजना व्यावसायिक रूप से प्रभावित हुई। परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्य-योजना, निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन तथा निगरानी को सम्मिलित किया गया था।

मुख्य बातें

भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त एशियाई विकास बैंक ऋण जो 90 प्रतिशत अनुदान (₹659 करोड़) तथा 10 प्रतिशत ऋण (₹73.22 करोड़) के रूप में था, को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹272.80 करोड़ के व्याज सहित ₹931.80 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा तथा उत्पादन लागत में ₹4.40 प्रति यूनिट की वृद्धि हुई।

₹676.29 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रति, परियोजना ₹1,319.33 करोड़ की लागत से पूर्ण की गई। फलतः विद्युत की चालू बिक्री दर को देखते हुए, लागत वृद्धि न होने के लिए परियोजना लागत पांच वर्षों के बजाय साढ़े नौ वर्षों में वसूल किया जाना प्रत्याशित है। अतः परियोजना लागत की वसूली में साढ़े चार वर्षों का विलम्ब होगा जो परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता को सीधे-सीधे प्रभावित करेगा।

कम्पनी द्वारा ठेकेदार को कार्य स्थल पर पहुंच प्रदान करने में विलम्ब, स्थानीय निवासियों द्वारा कार्य रुकवाना, गैस इनसुलेटेड स्विच गियर एवं पॉट हेड यार्ड की डिजाइन व स्थान में परिवर्तन करने से कम्पनी ने कार्य को 29 महीने की समयवृद्धि में पूर्ण किया। परियोजना को ₹643.04 करोड़ की अधिक लागत वृद्धि के साथ पूरा किया गया था। फलतः प्रति यूनिट उत्पादन लागत प्रचलित औसत बिक्री दर ₹4.30 प्रति यूनिट के प्रति ₹3.74 से बढ़कर ₹6.23 प्रति यूनिट हो गई।

(परिच्छेद 2.7.1)

हमने निम्न तथ्य भी देखे:

₹13.60 करोड़ मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान किया।

(परिच्छेद 2.12.3)

उपयुक्त खण्ड न लगाने से कम्पनी के हितों की रक्षा नहीं हुई जिससे परियोजना पर ₹18.82 करोड़ का अधिक बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.13)

3. अनुपालना लेखापरीक्षा

ब्यास वैली विद्युत निगम, खुले बाजार से खरीदी गई बजरी व रेत की अंतर लागत पर काम करने के लिए खदान स्थल पर बजरी व रेत की विश्लेषित लागत में रॉयल्टी शुल्क जोड़ने में विफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹75.02 लाख की अन्तर लागत का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.1)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक निगम द्वारा अप्रैल 2013 में जारी इसके टैरिफ आदेश में निर्धारित सीमा के अनुसार तीन उपभोक्ताओं से संविदा मांग प्रभारित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान ₹1.97 करोड़ की संविदा-मांग की अल्प-वसूली हुई। यह हानि भविष्य में बढ़ जाएगी क्योंकि यह अल्प वसूली सतत जारी रहेगी जब तक कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई न की जाएगी।

(परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, संविदा-अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार, दस्तावेजी प्रमाण की अनुपस्थिति में ठेकेदार के बिलों से उत्पाद शुल्क के संघटक को काटने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹42.77 लाख के उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 3.3)

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड विद्युत खरीद अनुबंधों को लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने से पूर्व हस्ताक्षरित करने में विफल रही, जो कि लम्बी अवधि अभिगम अनुबंध हेतु पूर्वापेक्षित थी, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत खरीद अनुबंध की अनुपस्थिति में अनुमोदन निरस्त होने के पश्चात् पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रतिभूति व शूलक की जब्ती के कारण ₹37.41 लाख की परिहार्य हानि हुई।

(परिच्छेद 3.4)

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड की विफलता से विजिओ सॉफ्टवेयर को अनावश्यक रूप से शामिल करके अतिरिक्त लागत को शामिल करने से अपने वित्तीय हितों को हासिल करने में विफल रही जिससे ₹27.82 लाख के ब्याज की हानि के साथ ₹84 लाख की गैर-वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.1)

मासिक बिक्री पर मात्रा में छूट की अनुमति देते हुए हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा क्रेडिट बिक्री का गैर-समायोजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹55.65 लाख की अधिक अनुमत नगद छूट हुई।

(परिच्छेद 5.3)

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने विगत तीन वर्षों के दौरान 448 निश्चेप कार्यों को निष्पादित किया जिनमें से 92 कार्यों की नमूना-जांच की गई तथा यह पाया गया कि तकनीकी संस्कृति से पूर्व कार्यों का निष्पादन किया गया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन कुशल तथा प्रभावी नहीं था क्योंकि यह प्राप्त धन राशि तक व्यय को रोकने (बांधने) में (प्राप्त निधियों से ₹21.29 करोड़ अधिक) तथा सम्बन्धित ग्राहकों से ₹12.43 करोड़ की बचत समय पर वापस लेने में विफल रही। अनुबंध के नियमों का पालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹4.23 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान/व्यय हुआ। निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त व प्रभावहीन था क्योंकि कम्पनी ने कार्य प्रगति की निगरानी नहीं की थी तथा इसके सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित करने में विफल रही।

(परिच्छेद 5.5)

हिमाचल पथ परिवहन निगम का प्रबंधन, किराए के माध्यम से यात्रियों से सेवा-कर के संग्रहण हेतु समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप लिम्बित अवधि के लिए ₹1.04 करोड़ की सेवा-कर की राशि का संग्रह नहीं हुआ। इसके अलावा, सेवा-कर के लिम्बित भुगतान पर जुर्माना व ब्याज लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(परिच्छेद 5.6)

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सभी रीचेस/स्ट्रीचेस में स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान न देने से भारतीय सड़क महासभा तथा सड़क परिवहन एवं उच्चमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों के गैर अनुपालन के कारण दानेदार उप आधार में 15,988.932 घन मीटर की वृद्धि की ओर ले गया जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹93.37 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, 8 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत ऊपरी दर लागू की गई जिससे ठेकेदार को ₹8.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ तथा यह भविष्य में कार्य पूर्ण होने पर बढ़ जाएगा।

(परिच्छेद 5.7)

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य की सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियां चलाने के लिए स्थापित किए गए हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। इनमें से एक कम्पनी¹ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (अप्रैल 1995) थी। वर्ष 2017-18 के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम² का गठन किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2018 तक हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण नीचे तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1: 31 मार्च 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ³	कुल
सरकारी कम्पनियां ⁴	21	2	23
सांविधिक निगम	2 ⁵	-	2
योग	23	2	25

क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सितम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार ₹8,814.81 करोड़ का कुल टर्नओवर दर्ज किया (परिशिष्ट 1)। यह टर्नओवर 2017-18 हेतु राज्य के सकल घेरलु उत्पाद के 6.49 प्रतिशत के बराबर रहा। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सितम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों के अनुसार कुल हानि ₹109.50 करोड़ (परिशिष्ट 1) हुई। इन्होंने मार्च 2018 के अन्त तक 36,907 कर्मचारियों की नियुक्ति की।

31 मार्च 2018 तक दो⁶ अक्रियाशील कम्पनियां थीं जिनमें ₹78.79 करोड़ की पूँजी निवेशित है।

उत्तरदायित्व संरचना

2. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 में निर्धारित है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार सरकारी कम्पनी से अभिप्राय ऐसी किसी कम्पनी से है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा आंशिक रूप से अथवा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रदत्त पूँजी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम नहीं है तथा वो कम्पनी भी इसमें शामिल है जो ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, ऐसी कोई अन्य कम्पनी⁷ जो केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से या एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित हो या स्वामित्व में हो वे इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित की गई हैं।

¹ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

² धर्मशाला स्पार्ट सिटी लिमिटेड।

³ अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपना प्रचालन बंद कर दिया है।

⁴ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) तथा 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां सम्मिलित हैं।

⁵ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

⁶ एप्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड तथा हिमाचल वर्सटेट मिल्स लिमिटेड।

⁷ कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (कठिनाईयों का निवारण) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के तहत् सरकारी कम्पनियों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5)में यह प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनी की पंजीकरण तिथि से 60 दिनों के भीतर पहला लेखापरीक्षक नियुक्त करें और यदि भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उक्त अवधि में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो कम्पनी का निदेशक मण्डल या कम्पनी के सदस्य ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्त करें।

इसके अतिरिक्त अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-धारा (7) के अन्तर्गत शामिल किसी कम्पनी के मामले में यदि आवश्यक समझे, एक आदेश के द्वारा सभी कम्पनी के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा संचालित करवा सकता है तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के प्रावधान ऐसी नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। अतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित या उनके स्वामित्व की एक सरकारी कम्पनी की अथवा किसी अन्य कम्पनी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कराई जाती है। इन कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा, जो 31 मार्च 2014 अथवा इसके पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों के सम्बन्ध में हो, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा शासित की जाती रहेगी।

3. सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों की वित्तीय विवरणियां (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) उन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती हैं जो अधिनियम की धारा 139 (5) अथवा (7) के तहत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति जिसमें अन्य बातों सहित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों, उन पर की गई कार्रवाई तथा उनका लेखों पर प्रभाव सम्मिलित होता है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास जमा करवाएंगे। वित्तीय विवरणियां अधिनियम की धारा 143(6) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्याधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनकी सम्बन्धित विधायिकाओं द्वारा शासित की जाती है। दो सांविधिक निगमों⁸ में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक थे। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाती है।

4. सरकार तथा विधायिका की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों पर नियन्त्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी तथा बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखाकरण तथा प्रयोग की भी निगरानी करती है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित वार्षिक प्रतिवेदन तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 394 अथवा जैसा कि सम्बन्धित अधिनियमों में अनुबद्ध है, के अंतर्गत

⁸ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

विधानपालिका के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करना

5. अंतिम रूप देने तथा प्रस्तुत करने में समर्यबद्धता की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन को इसकी सामान्य वार्षिक बैठक (ए.जी.एम.) के तीन माह के भीतर तैयार किया जाना होता है तथा तैयार होने के बाद नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि के साथ एवं इस पर यदि कोई टिप्पणी या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक लेखापरीक्षा हो तो इसे शीघ्रतांशीघ्र सदनों अथवा राज्य विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष एक साथ रखा जाता है। सांविधिक निगमों के विनियमन से सम्बन्धित अधिनियम में लगभग ऐसे ही प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से से कम्पनियों में निवेशित सार्वजनिक निधियों के प्रयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96, प्रत्येक कम्पनी में हर कैलैण्डर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि किसी वार्षिक सामान्य बैठक तथा अगली बैठक की तिथि के मध्य 15 महीनों से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उक्त वार्षिक सामान्य बैठक में उनके विचार हेतु रखी जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7), कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अवहेलना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, जिसमें कम्पनी के निदेशक भी शामिल हैं, को कैद करने तथा जुर्माना लगाने के दण्ड के प्रावधान करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 23 क्रियाशील उपक्रमों द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखों को अंतिम रूप देने की प्रगति का विवरण नीचे तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका-2: क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से सम्बन्धित स्थिति

क्रमांक	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ अन्य कम्पनियों की संख्या	19	19	20	21	23
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखों की संख्या	16	16	19	21	14
3.	बकाया लेखों की संख्या	23	26	27	27	36
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	15	18	18	17	22
5.	बकायों की सीमा (संख्या वर्षों में)	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 4 वर्ष	1 से 4 वर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया हैं उन्हें पिछले कार्यों के शीघ्र निपटान हेतु प्रभावी उपाय करने तथा अपने लेखे अद्यतन रखने की आवश्यकता है। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया हैं, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर साल कम से कम दो वर्षों के लेखों को अंतिम रूप देंगे ताकि बकायों को चुकाया जा सके।

6. राज्य सरकार ने 22 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹4,357.79 करोड़ का निवेश किया जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जैसा कि परिशिष्ट-2 में वर्णित है। लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किए गए निवेश तथा व्यय की गणना उचित ढंग से की गई है तथा जिस प्रयोजनार्थ राशि का निवेश किया गया था उसे प्राप्त कर लिया गया अथवा

नहीं। इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधायिका की संवीक्षा से बाहर रहा।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

7. 31 मार्च 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों में ₹13,718.74 करोड़ का निवेश (प्रदत्त पूँजी, फ्री रिजर्व तथा दीर्घावधि ऋण) था जैसाकि नीचे तालिका 3 में दिया गया है:


तालिका 3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रकार	सरकारी कम्पनियां				सांबंधित निगम				सकल योग
	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	फ्री रिजर्व	कुल	प्रदत्त पूँजी	दीर्घावधि ऋण	फ्री रिजर्व	कुल	
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3,309.00	9,064.00	112.18	12,485.18	820.06	334.71	0	1,154.77	13,639.95
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	18.64	60.15	0	78.79	-	-	-	-	78.79
योग	3,327.64	9,124.15	112.18	12,563.97	820.06	334.71	-	1,154.77	13,718.74


31 मार्च 2018 तक कुल निवेश का 99.43 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था तथा शेष 0.57 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। इस कुल निवेश का 30.23 प्रतिशत प्रदत्त पूँजी, 0.82 प्रतिशत फ्री रिजर्व तथा 68.95 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में था। निवेश 2014-15 में ₹9,923.29 करोड़ (प्रदत्त पूँजी: ₹3,304.06 करोड़, फ्री रिजर्व: ₹51.12 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹6,568.11 करोड़) से बढ़कर 2017-18 में ₹1,3718.74 करोड़ (प्रदत्त पूँजी: ₹4,147.70 करोड़, फ्री रिजर्व: ₹112.18 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण: ₹9,458.86 करोड़) हो गया जैसा कि नीचे ग्राफ 1 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



8. 31 मार्च 2018 की समाप्ति पर चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत नीचे ग्राफ 2 में दर्शाया गया है:

ग्राफ 2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश



(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल निवेश से निवेश की क्षेत्रवार प्रतिशतता दर्शाते हैं)

विद्युत क्षेत्र में निवेश के उच्च स्तर को देखते हुए हम चार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परिणामों को इस प्रतिवेदन के भाग- ९ में तथा 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के परिणामों को प्रतिवेदन के भाग- १।^{१०} में प्रस्तुत कर रहे हैं।

⁹ अध्याय-I (राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति), अध्याय- II (विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा), तथा अध्याय- III (विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां) भाग-I में सम्मिलित है।

¹⁰ अध्याय-IV (राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति) तथा अध्याय-V (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां) भाग- II में सम्मिलित है।

भाग - I

अध्याय - I

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य-पद्धति

भाग- I

अध्याय- I

राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति

1. परिचय

1.1 विद्युत क्षेत्र की कंपनियां राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य ने 27,436 मेगावाट की विद्युत क्षमता की पहचान की है जिसमें से 10,571.17 मेगावाट का दोहन मार्च 2019 तक कर लिया गया है। इनमें से 814.09 मेगावाट राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं जबकि शेष का उपयोग केन्द्रीय सरकार (7,457.73 मेगावाट) तथा निजी क्षेत्र (2,299.35 मेगावाट) द्वारा किया जा रहा है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 652.55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन कर रहे हैं। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान 9,390.82 मिलियन यूनिट की कुल मांग के प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित मात्र 1962.11 मिलियन यूनिट का उत्पादन करने में समर्थ थी तथा शेष 7,428.71 मिलियन यूनिट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा अन्य उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त किए गए थे। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने के अलावा यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद हेतु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की कुल बिक्री का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों और हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के टर्न ओवर का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.1: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर और हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तुलनात्मक विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	3,830.56	4,230.44	5,093.79	5,599.56	5,993.79
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	85,841	95,587	1,10,511	1,24,570	1,35,914
टर्न ओवर की हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत	4.46	4.43	4.61	4.50	4.41

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के 2017-18 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर आंकड़ों एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर संकेतित।

पिछले वर्षों में विद्युत क्षेत्र के टर्न ओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि के दौरान टर्न ओवर में वृद्धि 7.04 प्रतिशत और 20.41 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.11 प्रतिशत और 15.61 प्रतिशत के बीच रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 12.17 प्रतिशत था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास लम्बी समय अवधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्न ओवर में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 12.17 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति 11.84 प्रतिशत का न्यून चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज हुआ। इसके परिणामस्वरूप इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में टर्न ओवर की हिस्सेदारी 2013-14 में 4.46 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 4.41 प्रतिशत रह गई।

1.2 विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन/निर्माण

विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों अर्थात् 2006-07 के दौरान हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया, यद्यपि ₹79.71 करोड़ की इक्विटी का निवेश 2007-08 के दौरान किया गया 2008-09 में ₹3.00 करोड़ के इक्विटी निवेश के साथ हिमाचल प्रदेश संचरण निगम सीमित तथा दिसम्बर 2009 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का गठन किया।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भार मुक्त करने तथा इसकी परिसम्पत्तियों, सामग्रियों, देयताओं, कर्तव्यों, कार्यवाहियों तथा कर्मचारी वर्ग को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में स्थानान्तरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानान्तरण योजना, 2010 प्रतिपादित की (जून 2010)। कम्पनी 10 जून 2010 को अस्तित्व में आई तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड की सभी परिसम्पत्तियों व देयताओं को हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार स्थानान्तरण योजना 2010 के प्रावधान के अनुसार नवनिर्मित कम्पनी में स्थानान्तरित किया गया। 2002-03 के दौरान ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित नामक की एक अन्य विद्युत क्षेत्र

कम्पनी को भी 100 मेगावाट की उहल-III जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सहायक के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2018 को राज्य में चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियां थीं। इन चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियों में से व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने 2017-18 तक कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की थीं।

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा 477.450 मेगावाट की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता वाली इकोस जल विद्युत परियोजनाओं का उनकी वितरण गतिविधियों सहित अनुरक्षण किया जाएगा तथा 986 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाली केवल छः नई जल विद्युत परियोजनाओं को निर्माणार्थ हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के पास 110 मेगावाट की क्षमता की दो परियोजनाएं निष्पादनाधीन थीं जिसमें से 10 मेगावाट की एक परियोजना 2014 के दौरान पूर्ण कर दी गई थी। राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 में निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को 70.50 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली चार नई जल विद्युत परियोजनाएं भी आबंटित की हैं।

संचरण लाईनों से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताएं (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की भविष्यगामी/विद्यमान जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी लाईनों या वितरण प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा न होकर) हिमाचल विद्युत संचरण निगम सीमित में निहित/हस्तान्तरित होगी। तदनुसार, 66 किलोमीटर तथा इससे अधिक (278.860 सर्किट किलोमीटर) की 14 विद्यमान संचरण लाईनों को 2009-11 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को हस्तान्तरित किया गया।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित उपर्युक्त 14 संचरण लाईनों को छोड़कर वितरण गतिविधियों सहित इसके सभी मौजूदा उत्पादन तथा संचरण नेटवर्क का प्रबन्धन/संचालन कर रहा है इसलिए विद्युत अधिनियम, 2003 में बोर्ड को भार मुक्त करने का परिकल्पित अभिप्राय सच्चे अर्थों में प्राप्त नहीं किया गया।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

1.3 31 मार्च 2018 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.2: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				कुल	
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण			
		हि.प्र. सरकार	अन्य	हि.प्र. सरकार	अन्य		
विद्युत का उत्पादन (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित)	1	527.64	1,327.92	2,508.62	14.71	4,378.89	
विद्युत का संचारण (हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित)	1	177.75	108.70	680.87	37.18	1,004.49	
विद्युत का वितरण (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित)	1	670.56	--	2,909.61	1917.57	5,497.74	
अन्य ¹ (व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित)	1	--	300.00	--	933.40	1,233.40	
कुल	4	1,375.95		6,099.10	2,902.86	12,114.52	

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

विद्युत क्षेत्र के चार उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण) 31 मार्च 2018 तक 12,114.52 करोड़ था। निवेश में इक्विटी 25.69 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 74.31 प्रतिशत शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों के 67.75 प्रतिशत (₹6,099.10 करोड़) थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 32.25 प्रतिशत (₹2,902.86 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया। 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस योजना² (उदय) के तहत 15 सितम्बर 2015 तक डिस्काम के बकाया ऋणों (₹3,854 करोड़) में से ₹2,890.50 करोड़ (75 प्रतिशत) का भार ले चुकी थी।

¹ उहल- III जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए बनाई गई हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सीमित की सहायक कम्पनी।

² डिस्काम के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.4 हिमाचल प्रदेश सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष के दौरान इकिवटी, ऋण, अनुदान/उपदान, बटे खाते में डाले गए ऋण और इकिवटी में परिवर्तित ऋणों के प्रति बजटीय निकास का सारांशित विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.3: विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ³	2015-16		2016-17		2017-18	
	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
इकिवटी पूँजी (i)	3	265.00	2	69.51	3	182.11
दिए गए ऋण (ii)	1	85.00	1	120.00	1	262.68
अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई (iii)	1	0.70	-	-	1	6.00
कुल निकास (i+ii+iii)		350.70		189.51		450.79
ऋण वापसी को बटे खाते में भेजना		0		-		-
इकिवटी में परिवर्तित ऋण		-				-
वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटियां	1	300.00	1	2,890.50	-	-
गारंटी प्रतिबद्धत/बकाया	1	2,650.59	1	3,760.25	1	3,715.50

स्रोत: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इकिवटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडियों के लिए बजटीय सहायता का विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ 1.1: इकिवटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडियों के लिए बजटीय सहायता



वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹189.51 करोड़ और ₹671.07 करोड़ के मध्य थी। 2014-15 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एवं हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को ऋणों व अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में ₹521.07 करोड़ अवमुक्त होने के कारण तथा 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹427.52 करोड़ की इकिवटी व ऋणों को अवमुक्त करने के कारण बजटीय सहायता में वृद्धि हुई।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा शून्य प्रतिशत से एक प्रतिशत तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है।

³ राशि केवल राज्य के बजट से खर्च को दर्शाती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.5 राज्य के विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों में प्रदर्शित इकिवटी, ऋण और बकाया गारंटी से सम्बन्धित आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित विद्युत क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को भिन्नताओं का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक इकिवटी और ऋण की स्थिति में अन्तर को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: वित्त लेखों के अनुसार बकाया ऋणों की विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों से तुलना

(₹ करोड़ में)

इनसे सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
इकिवटी	827.71	848.30	20.59
ऋण	3,387.83	6,099.10	2,711.27

स्रोत: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों और वित्तलेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

पिछले कई वर्षों से आंकड़ों के बीच अन्तर बना हुआ है। समय-समय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मुद्रा भी उठाया गया। इसलिए हम सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकार और विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का मिलान करना चाहिए।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत करना

1.6 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2018 तक भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा की परिधि में चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। वर्ष 2017-18 के लेखों को इनमें से किसी भी कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सांविधिक आवश्यकता के अनुसार 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले विगत पांच वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं की 30 सितम्बर तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रस्तुति के बकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित स्थिति

क्र.स.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	4	4	4	4	4
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए गए लेखों की संख्या	2	3	4	4	3
3.	चालू वर्ष के लिए लेखों को अन्तिम रूप देने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	1	0	0	0	0
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के अन्तिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	1	3	4	4	3
5.	विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	4	4	4	4	4
6.	बकाया लेखों की संख्या	4	5	5	5	6
7.	बकायों की सीमा	दो वर्ष				

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों के आधार पर संकलित

राज्य के इन चार कार्यशील विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले वर्षों के लिए तीन वार्षिक लेखों को 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 के अवधि के दौरान अन्तिम रूप दिया था। इन संस्थाओं की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए और इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखों को अन्तिम रूप देने और उनका पालन करने को सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक विभाग उत्तरदायी है।


विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.7 30 सितम्बर 2018 तक चार विद्युत क्षेत्र कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार वित्तीय स्थिति और कार्य परिणामों को परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किये गए निवेश पर उचित लाभ प्राप्त करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार व अन्यों का कुल निवेश ₹12,114.52 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹3,112.57 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹9,001.95 करोड़ सम्मिलित थे। इसमें से हिमाचल प्रदेश सरकार का केवल तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में ₹7,475.04 करोड़ का निवेश है जिसमें ₹1,375.94 करोड़ की इक्विटी और ₹6,099.10 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल है। वर्ष 2016-17 में ऋणों में वृद्धि का मुख्य कारण उदय स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया ₹2,890.50 करोड़ का ऋण था।

2013-14 से 2017-18 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में निवेश की वर्ष-वार स्थिति निम्नानुसार है:

ग्राफ.1.2: हिमाचल प्रदेश सरकार का विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश




कम्पनी की लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से आंकलन निवेश पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल निश्चित वर्ष में धन की निवेशित राशि पर हुए लाभ अथवा हानि से मापा जाता है तथा कुल निवेश से प्राप्त निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है।

निवेश पर प्रतिफल

1.8 निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश पर हुए लाभ अथवा हानि का प्रतिशत है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान सभी विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित किए गए लाभ/एवं उठाई गई हानियों⁴ की समग्र स्थिति को एक ग्राफ में नीचे दर्शाया गया है।

⁴ सम्बन्धित वर्षों के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार आंकड़े।

ग्राफ 1.3: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानियां



- 2013-14 में ₹512.76 करोड़ की हानि के प्रति इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को 2017-18 में ₹39.73 करोड़ की हानि हुई (परिशिष्ट 1.1) ।
- राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में वित्तीय पैकेज प्रदान करना, हानियों में गिरावट का मुख्य कारण था ।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले तथा हानियां उठाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति निम्न है:-

तालिका 1.6: विद्युत क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखाओं के अनुसार 2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया या हानियां उठाई

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	लाभ अर्जित करने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	हानि उठाने वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	उन विद्युत क्षेत्रों के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया
2013-14	4	-	1	3
2014-15	4	1	2	1
2015-16	4	1	2	1
2016-17	4	1	2	1
2017-18	4	-	3	1

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

1.9 राज्य के चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से राज्य सरकार ने केवल तीन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/उपदान के रूप में धन का निवेश किया । राज्य सरकार ने एक कम्पनी (ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित) में किसी भी प्रत्यक्ष धन का निवेश नहीं किया जहाँ 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा किसी भी इक्विटी का अंशादान नहीं किया गया था । सम्बन्धित नियन्त्रक कम्पनी द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की सहायक कम्पनी को सम्पूर्ण इक्विटी का योगदान दिया गया ।

इन तीन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार का केवल इक्विटी में ₹1,376.44 करोड़ का निवेश था ।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल निवेश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.7: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी और ब्याज रहित ऋण के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित धन (₹ करोड़ में)	कुल उपार्जन/हानि (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	1082.75	-512.76	-47.36
2014-15	784.21	-356.72	-45.49
2015-16	926.99	-156.88	-16.92
2016-17	1156.80	-129.32	-11.18
2017-18	1376.44	-39.73	-2.89

2013-14 से 2017-18 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का निवेश पर प्रतिफल -47.36 प्रतिशत से -2.89 प्रतिशत के बीच रहा।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर

1.10 सरकार द्वारा तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में भारी निवेश को देखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस तरह के निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारम्परिक गणना प्रतिफल निवेश की पर्याप्तता का एक सही संकेतक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएं वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती हैं। इसलिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर तीन विद्युत क्षेत्र कम्पनियों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निधियों की वापसी की गणना के अतिरिक्त धन के वर्तमान मूल्य पर विचार करने के बाद निवेश पर प्रतिफल की भी गणना की गई है। जहां 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से इक्विटी और ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था वहां राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना की गई।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:-

- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष⁵ के लिए सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचाने के लिए छूट दर⁶ के रूप में अपनाया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए जब चार कम्पनियों ने हानि उठाई तो निष्पादन का एक अधिक उपयुक्त परिमाण घाटे के कारण नेटवर्थ का क्षरण है। कम्पनी के नेटवर्थ के क्षरण पर टिप्पणी परिच्छेद 1.12 में की गई है।

1.11 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से इक्विटी और ऋण के रूप में तीन विद्युत क्षेत्र कम्पनियों में कम्पनी वार राज्य सरकार के निवेश की स्थिति परिशिष्ट 1.2 में दर्शायी गई है। 31 मार्च 2018 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों से सम्बन्धित राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:-

⁵ सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए राज्य वित्त (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से अपनाई गई थी जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर की गणना = ब्याज का भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियों की राशि+वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देनदारियां/2] *100

⁶ रियायती दर जो वैकल्पिक निवेशों में अर्जित की जा सकती है।

तालिका 1.8: राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और 2007-08 से 2017-18

तक के सरकारी कोष का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
i	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य											
	-	86.96	370.46	604.59	1225.33	840.82	1108.75	1509.20	1306.42	1930.60	1564.42	
ii	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी											
	79.71	252.32	186.31	532.29	-445.35	185.04	292.42	-298.54	142.79	229.81	219.64	1376.44
iii	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए ब्याज रहित ऋण											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iv	वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज रहित ऋण											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
v	वर्ष के दौरान कुल निवेश (v=iii+iv-v)											
	79.71	252.32	186.31	532.29	-445.35	185.04	292.42	-298.54	142.79	229.81	219.64	
vi	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश (vi=ii+vi)											
	79.71	339.28	556.77	1136.88	779.98	1025.86	1401.17	1210.66	1449.21	1794.23	2150.24	
vii	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (ग्रतिशत में)											
	9.09	9.19	8.59	7.78	7.80	8.08	7.71	7.91	7.95	7.60	7.71	
viii	वर्ष के अन्त में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य (ix={vii*(ii+viii)/100})											
	86.96	370.46	604.59	1225.33	840.82	1108.75	1509.20	1306.42	1564.42	1930.60	2316.02	
ix	वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल x={vii*viii/100}											
	7.25	31.18	47.83	88.45	60.84	82.89	108.03	95.72	115.17	136.32	165.73	
x	वर्ष के लिए कुल अर्जन											
	-	-	-	-152.62	-152.62	-315.94	-512.76	-356.72	-156.88	-129.32	-39.73	

वर्ष के अन्त में इन तीनों कम्पनियों में राज्य सरकार के निवेश की देय राशि 2007-08 में ₹79.71 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹1,376.44 करोड़ हो गई क्योंकि राज्य सरकार ने इक्विटी के रूप में और निवेश किया था (₹1,296.73 करोड़)। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹2,316.01 करोड़ निकला।

यह देखा जा सकता था कि वर्ष 2010-11 से 2017-18 के दौरान कम्पनियों का कुल अर्जन ऋणात्मक ही रहा जो दर्शाता है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल कमाने के स्थान पर ये कम्पनियां निधियों की लागत भी वसूल नहीं कर सकी।

निवल मूल्य (नेटवर्थ) का क्षण

1.12 नेटवर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष (प्रदत्त पूंजी + मुक्त भण्डार + अधिशेष - संचित हानियां + आस्थगित राजस्व व्यय)। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्थ दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की समग्र संचित हानियां ₹2,747.21 करोड़ के पूंजीगत निवेश (ऐतिहासिक लागत) के प्रति ₹2,064.03 करोड़ थीं जिसका परिणाम ₹683.18 करोड़ के नेट वर्थ में हुआ (परिशिष्ट 1.1)। इन चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में नेटवर्थ (₹-1,396.34 करोड़) पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था।

निम्नलिखित तालिका, 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (नियन्त्रक कम्पनियां) की प्रदत्त पूंजी संचित लाभ/हानि तथा नेट वर्थ को प्रदर्शित करती है:-

⁷ वर्ष हेतु कुल अर्जन उन तीन विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां निवेशित की गई थीं, उनसे सम्बन्धित वर्ष हेतु कुल निवल अर्जन (लाभ/हानि) को दर्शाता है।

तालिका 1.9: 2013-14 से 2016-17 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2013-14	2,447.16	-1,398.35	125.05	923.76
2014-15	2,110.01	-1,755.07	120.98	233.96
2015-16	2,391.14	-1,920.33	116.20	354.61
2016-17	2,677.69	-2,049.65	115.53	512.51

राज्य सरकार इन चारों विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों को पूँजीगत कार्यों हेतु तथा इनकी नकदी को बेहतर बनाने के लिए 2013-18 की अवधि के दौरान इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। तथापि, पर्याप्त मात्रा में पूँजी लगाने के बावजूद इन विद्युत कम्पनियों की संचित हानियां 2013-14 में ₹1,398.35 करोड़ से बढ़ कर 2016-17 में ₹2,049.65 करोड़ हो गई।

2013-14 और 2017-18 के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में से एक⁸ विद्युत क्षेत्र के उपक्रम का नेटवर्थ ऋणात्मक तथा तीन⁹ विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का नेट वर्थ धनात्मक प्रदर्शित हुआ।

लाभांश भुगतान

1.13 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की (अप्रैल 2011) जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लाभकारी उपक्रमों को कर के बाद लाभ पर 50 प्रतिशत की सीमा तक सरकार द्वारा भुगतान की गई प्रदत्त शेयर पूँजी पर पांच प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल देना आवश्यक है। तथापि, वर्ष 2017-18 में प्राप्त नवीनतम अन्तिम लेखों के अनुसार किसी भी विद्युत क्षेत्र उपक्रमों ने लाभ नहीं कमाया।

इक्विटी पर प्रतिफल

1.14 इक्विटी पर प्रतिफल, वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह निर्धारित करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से कम्पनी की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभ बनाने के लिए कर रहा है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय तथा शेयरधारकों की निधि, दोनों ही धनात्मक संख्या हो।

कम्पनी के शेयर धारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं फ्री रिजर्व, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है जो यह प्रकट करती है कि यदि सभी परिसम्पत्तियां बेच दी जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब हितधारकों के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां रखती है जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक है।

चारों विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में, जहां राज्य सरकार ने निधियों का निवेश किया था, इक्विटी पर प्रतिफल की गणना की गई। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित शेयरधारक निधि तथा इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

तालिका 1.10: चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जहां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियों का निवेश हुआ

वर्ष	कुल आय/वर्ष ¹⁰ हेतु कुल अर्जन	शेयरधारक निधि	इक्विटी पर प्रतिफल
2013-14	-512.76	923.76	-
2014-15	-356.72	233.96	-
2015-16	-156.88	354.61	-
2016-17	-129.32	512.51	-
2017-18	-39.73	683.18	-

⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

⁹ हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित तथा ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित।

¹⁰ नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि में 2013-14 से 2017-18 के दौरान निवल आय ऋणात्मक थी, क्योंकि सभी वर्षों के लिए निवल आय ऋणात्मक रही इसलिए इन विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में इक्विटी पर प्रतिफल नहीं निकाला जा सका।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.15 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है।

नियोजित पूँजी¹¹ पर प्रतिफल की गणना, ब्याज एवं कर से पहले कम्पनी के अर्जन को नियोजित पूँजी से विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सभी चार विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.11: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज और करों से पहले की कमाई (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2013-14	-251.64	2,318.15	-10.86
2014-15	-356.72	6,045.75	-5.90
2015-16	-156.88	7,348.83	-2.13
2016-17	-128.29	6,341.71	-2.02
2017-18	-39.73	7,174.49	-0.55

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल -0.55 प्रतिशत और -10.86 प्रतिशत के बीच रहा।

कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

1.16 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को चुकाने की क्षमता का आंकलन करके किया गया। ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से इसका आंकलन किया जाता है।

ब्याज कवरेज अनुपात

1.17 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज की भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसकी गणना ब्याज एवम् कर से पहले कम्पनी के अर्जन को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा कम्पनी की कर्ज पर ब्याज देने की क्षमता उतनी कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है तो कम्पनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान जिन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में ब्याज का भार था उनका ब्याज कवरेज अनुपात नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ रूपये)	ब्याज और कर से पहले की आय (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ रूपये)	सरकार और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कम्पनियों की संख्या
2013-14	261.11	-251.64	4	-	4
2014-15	455.37	-356.72	4	-	4
2015-16	573.38	-156.88	4	-	4
2016-17	535.52	-128.29	4	-	4
2017-18	518.55	-39.73	4	-	4

यह देखा गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान किसी भी विद्युत क्षेत्र की कम्पनी का बकाया ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक नहीं था।

¹¹ नियोजित पूँजी- प्रदत्त पूँजी का अंश + प्री रिंजर्व व अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियां – आस्थगित राजस्व व्यय/ आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया है।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.18 पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 11.84 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया और ऋण का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 4.19 प्रतिशत था जिस कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 1.44 से बढ़कर 2017-18 में 1.08 हो गया जैसा की नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.13: विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	5,509.06	6,160.88	4,957.69	5,829.20	6,491.31
टर्नओवर	3,830.56	4,230.44	5,093.79	5,599.56	5,993.79
ऋण-टर्न ओवर अनुपात	1.44:1	1.46:1	0.97:1	1.04:1	1.08:1

स्रोत: परिशिष्ट 1.1 के आधार पर संकलित

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता

1.19 विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय स्कीम) शुरू की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के अनुसार भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय बदलाव के लिए निम्नलिखित उपायों की आवश्यकता थी:

परिचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

1.19.1 भाग लेने वाले राज्यों को फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर मीटिंग, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपयोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटिंग, घेरलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एल.ई.डी. प्रदान करके डिमांड साइड प्रबन्धन, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना अनिवार्य और दीर्घकालिक व्यवहारवादी परिवर्तन को बढ़ावा देने और कम से कम 10 प्रतिशत मौजूदा कृषि पंपों को ऊर्जा कुशल पंपों के साथ बदलने जैसी लक्षित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना अपेक्षित था। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभों जैसे फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर स्तर पर नुकसान का पता लगाने की क्षमता, नुकसान करने वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं बिजली कटौती के समय को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना और चोरी कम करके पीक लोड को कम करने तथा ऊर्जा की खपत आदि के लिए सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने सम्बन्धी उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधार के परिणामों के संकेत अर्थात् 2018-19 में विद्युत मन्त्रालय और राज्यों द्वारा हानि प्रक्षेप पथ के अनुसार ए.टी.एण्ड सी. हानि को 12.75 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत और बसूले गए औसत राजस्व के बीच अन्तर का 2018-19 तक शून्य करने के माध्यम से मापा जाना था।

वित्तीय बदलाव के लिए योजना

1.19.2 राज्य को 2016-17 तक डिस्कॉम ऋण के 75 प्रतिशत को लेना अपेक्षित था। अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय बदलाव हेतु योजना में प्रावधान है कि:

- राज्य गैर एस.एल.आर.बांड जारी करेगा और ऐसे बांडों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्काम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जो बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि का निवर्हन करेगा। इस प्रकार जारी किए गए बांड में पाँच साल तक मूलधन के पुनर्भुगतान पर स्थगन के साथ 10-15 सालों की परिपक्वता अवधि होगी।
- डिस्काम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में लिया जाएगा और इसके बाद उच्च लागत के साथ ऋण को लिया जाएगा।

- 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्काम को स्थानान्तरण ऋण के रूप में किया जाएगा जो कि राज्य डिस्काम द्वारा 2020-21 के दौरान कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा।

उदय योजना का कार्यान्वयन

1.19.3 उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे दी गई है:-

(क) परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के तहत तीन राज्य डिस्काम से सम्बन्धित विभिन्न परिचालनात्मक मापदण्डों के तहत लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों की स्थिति निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.14: 30 सितम्बर 2018 तक मापदण्डवार उपलब्धियों की तुलना में परिचालन निष्पादन के लक्ष्य

उदय योजना के मापदण्ड	'उदय' योजना के तहत लक्ष्य	'उदय' योजना के तहत प्रगति	उपलब्धियां (प्रतिशत में)
फीडर मीटरींग (संख्या में)	मीटर पहले से स्थापित है		
वितरण ट्रांसफर्मर पर मीटरींग (संख्या में)			
शहरी	मीटर पहले से स्थापित है		
ग्रामीण	10300	618	6.00
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	पहले से की गई उर्जा लेखापरीक्षा		
घर जो बिजली से वंचित है। (संख्या लाख में)	0.05	0.07	100
एल ई डी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)	पहले से ही वितरित		
ए.टी. और सी हानियाँ (प्रतिशत में)	12.75	11.51	100
ए.सी.एस और ए.आर. आर. अन्तर (₹ प्रति ईकाई)	-0.05	-0.25	100

स्रोत: भारत सरकार के विद्युत मन्त्रालय की वैब साईट के अनुसार उदय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य कार्ड

ग्रामीण क्षेत्र में वितरण ट्रांसफर्मर की मीटरिंग में राज्य ने खराब प्रदर्शन किया, जबकि बिजली से वंचित घरों को बिजली प्रदान करने के मामले में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। इसके अलावा राज्य ने ए.टी. और सी नुकसान को घटाकर 12.75 प्रतिशत करने का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है।

(ख) वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

1.19.4 हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार को 'उदय' योजना का लाभ उठाने के लिए सैद्धांतिक सहमति (18.08.2016) दी। तत्पश्चात् त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए (8 दिसम्बर 2016, ऊर्जा मन्त्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य डिस्काम अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य)। 15 सितम्बर 2015 को उदय योजना और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार कुल बकाया ऋण (₹3,854 करोड़) राज्य डिस्काम से सम्बन्धित है, 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल ₹2,890.50 करोड़ का ऋण लिया जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: उदय योजना का कार्यान्वयन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी निवेश	ऋण	अनुदान	योग
2015-16	--	--	--	--
2016-17	--	2,890.50	--	2,890.50
जोड़	--	2,890.50	--	2,890.50
2017-18	--	--	--	--
31.03.2018 की स्थिति	--	2,890.50	--	2,890.50

उदय योजना के अन्तर्गत ऋण के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई ₹2,890.50 करोड़ रूपये की राशि को 2020-21 के दौरान 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत इक्विटी में परिवर्तित किया जाना था।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियां

1.20 तीन विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान महालेखाकार को अपने तीन लेखापरीक्षित लेखों को अग्रेसित किया। सभी लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखों की गुणवत्ता में वस्तुतः सुधार करने की आवश्यकता का संकेत दिया है। 2015-18 के लेखों में कुल धन मूल्य पर सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां निम्न प्रकार से हैं:-

तालिका 1.16: विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	3.27	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	-	-	2	21.16	2	24.98
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का गैर प्रकटीकरण	-	-	-	-	-	-

स्रोत : सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में सांविधिक लेखा परीक्षकों नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो लेखों पर क्वालिफाईड प्रमाण-पत्र और एक लेखे पर डिसक्लोर जारी किया था। विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक लेखे में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के चार उदाहरणों को इंगित किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

1.21 31 मार्च 2018 के समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन भाग- I के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा सैंज जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित चार अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार को दो सप्ताह के भीतर जबाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। राज्य सरकार से दो अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2019)। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर दिये हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद का कुल वित्तीय प्रभाव ₹671.82 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुबर्ती कार्रवाई

1.22 भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का परिणाम है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए थे (फरवरी 1994) कि नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन मास की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समीति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना उत्तर प्रस्तुत किए जाए। ऊर्जा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों के लिए सभी व्याख्यात्मक टिप्पणियां अग्रेसित की हैं।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.23 30 सितम्बर 2018 तक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा परिच्छेदों की चर्चा की अवस्था, जो कि लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में दर्शाए गए हैं, निम्नवत् है:-

तालिका 1.17: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखा परीक्षाओं/परिच्छेदों की तुलना में 30 सितम्बर 2018 तक चर्चित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/परिच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2011-12	1	5	1	1
2012-13	2	5	0	3
2013-14	1	5	0	5
2014-15	1	9	0	0
2015-16	0	9	0	0
2016-17	1	9	0	0

नोट: लोक उपक्रम समीति में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के आधार पर संकलित।

2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक के उपक्रमों) पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

अध्याय - II

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

सैंज जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी)¹ ने 100 मैगावाट की स्थापित क्षमता वाली सैंज जल विद्युत परियोजना (परियोजना) का कार्यान्वयन किया। ₹676.29 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु 29 माह के विलम्ब के बाद सितम्बर 2017 में ₹1,319.33 करोड़ की लागत से इसे चालू किया गया। परिणामतः ₹4.30 प्रति यूनिट की प्रचलित औसत बिक्री दर के प्रति उत्पादन लागत बढ़कर ₹3.74 से ₹6.23 प्रति यूनिट हो गई। जिससे परियोजना व्यावसायिक रूप से प्रभावित हुई। परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में परियोजना की कार्य-योजना, कार्य-निष्पादन, परियोजना-प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन तथा अनुश्रवण को सम्मिलित किया गया है।

मुख्य बातें

भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण को 90 प्रतिशत अनुदान (₹659 करोड़) एवं 10 प्रतिशत ऋण (₹73.22 करोड़) के रूप में जारी किया गया जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ऋण में परिवर्तित कर दिया गया जिससे परियोजना लागत पर ₹272.80 करोड़ के ब्याज सहित ₹931.80 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा तथा उत्पादन लागत ₹4.40 प्रति यूनिट बढ़ गई।

₹676.29 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत के प्रति परियोजना ₹1,319.33 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुई। परिणामतः: यदि लागत लंब्घन न होती, विद्युत की वर्तमान बिक्री दर को देखते हुए पांच वर्षों के स्थान पर साढ़े नौ वर्षों में परियोजना लागत को वसूल करने का अनुमान है। इस प्रकार परियोजना लागत की वसूली में साढ़े चार वर्षों का विलम्ब होता जो कि परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता को सीधे-सीधे प्रभावित करता।

29 माह की समय-वृद्धि, कम्पनी द्वारा ठेकेदार को कार्य स्थलों पर पहुंच प्रदान करने में विलम्ब, स्थानीय निवासियों द्वारा कार्य बाधित करने, गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर तथा पॉट हेड यार्ड की डिजाइन और स्थान में परिवर्तन ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। परियोजना ₹643.04 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ पूर्ण की गई। परिणामतः: वर्तमान औसत बिक्री दर ₹4.30 प्रति यूनिट के प्रति उत्पादन लागत ₹3.74 से ₹6.23 प्रति यूनिट बढ़ गई।

(परिच्छेद 2.7.1)

लेखापरीक्षा में निम्न भी ध्यान में आया:

₹13.60 करोड़ की मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान।

(परिच्छेद 2.12.3)

उपयुक्त खण्ड लगाकर कम्पनी के हितों की रक्षा नहीं करने से परियोजना पर ₹18.82 करोड़ का बोझ पड़ा।

(परिच्छेद 2.13)

¹ कम्पनी ने दो जल विद्युत परियोजनाएं (सैंज एवं काशंग-I) को पूर्ण कर लिया है तथा तीन जल विद्युत परियोजनाओं (काशंग-II एवं III, सावड़ा कुइडू तथा शौंगटोंग) का कार्य अभी जारी है।

2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ब्यास बेसिन में 4,590 मैगावाट की जल क्षमता की पहचान की जिसमें से 2,500 मैगावाट का पहले ही दोहन किया जा चुका था। नदी परियोजना के क्रम में सैंज जल-विद्युत परियोजना 100 मैगावाट (परियोजना) की कल्पना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सैंज खड्ड (ब्यास नदी की सहायक नदी) पर नदी के बहाव पर परियोजना के रूप में की गई थी। परियोजना 100 मैगावाट के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा निर्माण के दौरान ब्याज² (आई0डी0सी0) के ₹96.77 करोड़ सहित ₹676.29 करोड़³ की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी (दिसम्बर 2010)। लागत-वृद्धि मुख्य रूप में समय-वृद्धि, ठेकेदार को अनुचित लाभ, अतिरिक्त व्यय, मुद्रा-विचलन, डिजाईन में परिवर्तन तथा स्टाफ की अधिक तैनाती के कारण हुई। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सस्ती दरों पर शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन करना था। वित्तीय व्यवस्था की परिकल्पना ₹473.40 करोड़ के ऋण तथा ₹202.89 करोड़ की इक्विटी के साथ 70:30 के अनुपात में की गई थी। परियोजना 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष⁴ के दौरान 322.23 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष का उत्पादन करने के लिए बनाई गई थी। परियोजना का निष्पादन अभियांत्रिकी, उपार्जन तथा निर्माण रीति के माध्यम से किया जाना था तथा कार्य को दो पैकेजों, सिविल एवं जल-यांत्रिकी कार्य तथा विद्युत-यांत्रिकी कार्यों में विभाजित किया गया था। संस्कीर्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की तारीख से चार वर्षों के भीतर अर्थात् दिसम्बर 2014 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य प्रदान करते समय परियोजना पूरी होने की निर्धारित अवधि मार्च 2015 थी। हालांकि परियोजना को कुल 29 माह के विलम्ब के पश्चात सितम्बर 2017 के दौरान ₹1,319.33 करोड़ की लागत से आरम्भ किया गया।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई थी। एक निदेशक मण्डल कम्पनी का प्रबन्धन करता है। प्रबन्ध निदेशक, निदेशक मण्डल का अध्यक्ष होता है तथा कम्पनी के व्यापार के पर्यवेक्षण के लिए चार अन्य निदेशक होते हैं। सैंज परियोजना के निष्पादन का समस्त नियंत्रण महा-प्रबंधक, सैंज जल विद्युत परियोजना के नियंत्रणाधीन था जिसे तीन प्रभारी अभियन्ता-सिविल, यांत्रिकी व विद्युत द्वारा व अन्य सहायक स्टाफ द्वारा सहयोग दिया गया।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य थी अर्थात् बाजार मूल्य जिस पर विद्युत बेची जाएगी उत्पादन लागत को पूरा करेगी;
- परियोजना के निष्पादन के दौरान संविदा के नियम एवं शर्तों को लागू किया गया था;
- परियोजना का निष्पादन मितव्ययों, दक्ष एवं प्रभावकारी तरीके से किया गया था;
- परियोजना के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए, पाई गई त्रुटियों के निवारण हेतु सुधारात्मक उपाय एवं तत्काल प्रत्युत्तर के लिए अनुश्रवण व्यवस्था मौजूद थी; एवं
- पर्यावरण/वन कानून/दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कम्पनी ने प्रदूषण नियंत्रण एवं वनीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाए।

² उधार निधियों पर निर्माण के दौसन ब्याज अर्जित होता है उसे पूंजीकृत किया जाता है।

³ जून 2009, मूल्य स्तर पर

⁴ 90 प्रतिशत विश्वसनीय योग्य वर्ष है जिनमें वार्षिक उत्पाद को योजना के संचालन की अपेक्षित अवधि के दौरान वार्षिक आधार 90 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होने की सम्भावना है।

2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन इसके प्रारम्भ से मार्च 2018 तक योजना तथा परियोजना गतिविधियों, परियोजना के सिविल एवं विद्युत व यांत्रिक कार्यों को सौंपने तथा कार्यान्वयन को शामिल करने हेतु फरवरी 2018 से मई 2018 के मध्य किया गया था। लेखापरीक्षा में योजना, अभिकल्पना तथा परियोजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित शिमला में कार्पोरेट कार्यालय, जिला मण्डी सुन्दर नगर में महाप्रबन्धक (अभिकल्प) का कार्यालय तथा जिला कुल्लु के साराभाई व लारजी परियोजना कार्यालयों के अभिलेखों की जांच शामिल थी।

हिमाचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को बताने के लिए फरवरी 2018 में निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए आरम्भिक सम्मेलन किया गया। सरकार/कम्पनी के प्रबंधन मण्डल के साथ 17 दिसम्बर 2018 को हुए अंतिम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विवेचना की गई। प्रबंधन/सरकार के उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल कर दिया गया।

2.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित से लिए गए थे:

- परियोजना की कार्य-योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानदण्ड/दिशा-निर्देश;
- केन्द्रीय जल आयोग के दिशा-निर्देश/अनुदेश/निर्देशन;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, अनुबन्ध समझौते तथा गुणवत्ता नियंत्रण;
- परियोजना के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई निर्माण अनुसूची एवं कार्यपद्धति; तथा
- पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रबन्धन योजना, राज्य विनियामक आयोग द्वारा जारी विनियमन/राज्य सरकार के निर्देश/अनुदेश।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विवेचना आगामी परिच्छेदों में की गई है:

2.7 वित्तीय प्रबंधन

परियोजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी वित्तीय प्रबंधन में कम लागत पर निधियों की व्यवस्था, ठेकेदार से देय राशियों की समय पर तथा तुरन्त वसूली, केवल आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती तथा परियोजना लागत में अनावश्यक धन की बुकिंग से बचना शामिल है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन दक्ष एवं प्रभावशाली नहीं था क्योंकि ठेकेदारों से अग्रिमों की वसूली निर्धारित समयावधि में न होने तथा आवश्यकता से अधिक स्टाफ की तैनाती के फलस्वरूप परियोजना में परिहार्य लागत जुड़ने से कम्पनी अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखने में असफल रही। वित्तीय प्रबंधन में पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.7.1 परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ₹3.74 प्रति यूनिट की औसत उत्पादन लागत सहित 70 प्रतिशत ऋण घटक तथा 30 प्रतिशत इक्विटी मानकर ₹676.29 करोड़ की राशि के लिए संस्वीकृत की गई थी। नियत पूर्णता समय 48 माह था। परियोजना इसके पूर्ण होने के पश्चात औसत लागत उत्पादन (₹6.23 प्रति यूनिट) को वसूल करने में समर्थ नहीं थी, जिसके कारण नीचे विवेचित किए गए:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उत्तरी क्षेत्र में बिजली की भारी कमी के अनुमान के आधार पर परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार किया गया था। 2011-12 के दौरान ऊर्जा की उपलब्धता में अनुमानित कमी 19.05 प्रतिशत थी। तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में भविष्यगामी विद्युत की वर्ष-वार अनुमानित मांग तथा आपूर्ति का विश्लेषण नहीं था। सितम्बर 2017 के दौरान जब परियोजना प्रारंभ की गई थी तब तक उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति परिदृश्य में भारी परिवर्तन हुआ। वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की भार उत्पादन संतुलन रिपोर्ट (मई 2017) में 2016-17 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता में प्रत्याशित कमी मात्र 1.8 प्रतिशत प्रदर्शित हुई जो कि 2017-18 में 9.8 प्रतिशत की प्रत्याशित अतिरिक्त विद्युत में परिवर्तित हो रही थी।

तालिका: 2.1 31 मार्च 2018 तक समय एवं लागत वृद्धि

(₹ करोड़ में)

कार्य/पैकेज का नाम	अनुमानित लागत	प्रदान किए जाने के अनुसार पूर्णता की नियत तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि	समय वृद्धि (महीनों में)
सिविल कार्य (आईडी०सी० सहित)	542.56	अगस्त 2014	जून 2017	1106.13	563.57	35
विद्युत-यांत्रिकी कार्य	133.73	मार्च 2015	जुलाई 2017 ⁵	213.20	79.47	28
कुल	676.29			1319.33	643.04	

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ₹676.29 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के प्रति परियोजना में ₹1,319.33 करोड़ का व्यय दर्ज किया जा चुका है (मार्च 2018)। परिणामतः विद्युत की वर्तमान बिक्री दर ($\text{₹}4.30$ प्रति यूनिट) को ध्यान में रखते हुए तथा मांग परिदृश्य को अपरिवर्तित मानते हुए परियोजना लागत को साढ़े नौ साल⁶ में वसूले जाने का अनुमान है। जबकि यदि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लागत पर परियोजना पूरी हो गई होती तो परियोजना लागत पांच साल में वसूल की जा सकती थी। अतः परियोजना लागत की वसूली में साढ़े चार वर्षों का विलम्ब होगा जो कि परियोजना की व्यवसायिक व्यवहार्यता को सीधे-सीधे प्रभावित करेगा। ₹643.04 करोड़ में से (₹1,319.33 करोड़-₹676.29 करोड़) अनुमानित लागत से अधिक व्यय की गई ₹250.88 करोड़ की राशि ऐसे खर्चों के कारण थी जो कि नियंत्रण योग्य थे तथा यदि समय वृद्धि नहीं हुई होती तो इससे बचा जा सकता था। नियंत्रण योग्य कारक है:

(i) निर्माण के दौरान व्याज: ₹193.15 करोड़, (ii) मूल्य वृद्धि: ₹53.48 करोड़ तथा (iii) वारंटी एक्सटेंशन तथा लागत वृद्धि प्रभार: ₹4.25 करोड़, को परिच्छेद 2.11 में विवेचित किया गया है।

- एलआईबीओआर⁷ से 0.20 प्रतिशत अधिक व्याज दर पर एशियन विकास बैंक से संस्थीकृत ₹577.00 करोड़ ऋण (जनवरी 2011) के प्रति भारत सरकार ने मार्च 2018 तक हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण पर नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की व्याज दर के रूप में ₹732.22 करोड़⁸ की निधियों का अंतरण किया। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुदान का अपवर्तन किया तथा अनुदान की राशि को कम्पनी के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर ऋण के रूप में दिया। ₹659.00 करोड़ के अनुदान को ऋण में रूपांतरित करने के परिणामस्वरूप परियोजना

⁵ ठेकेदार को पूर्णता प्रमाण पत्र जुलाई 2017 में जारी किया गया था, जबकि परियोजना सितम्बर 2017 के दौरान आरम्भ की गई थी।

⁶ ₹1,319.33 करोड़/ ₹138.56 करोड़ वार्षिक राजस्व (322.23 एम यू ₹4.30 (औसत बिक्री दर मई 2018 तक)) = 9.5 वर्ष

⁷ लंदन इंटरबैंक की प्रस्तावित दर

⁸ प्रदान किए गए कार्य में मूल्य वृद्धि तथा भिन्नता सहित

लागत पर मार्च 2018 तक ₹272.80 करोड़⁹ के ब्याज सहित ₹931.80 करोड़ का सकल अतिरिक्त बोझ पड़ा जिससे भारत सरकार द्वारा वहनीय दरों पर शुद्ध ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए अनुदान का यथार्थ प्रयोजन प्रभावित हुआ तथा उत्पादन लागत में 4.40 प्रति यूनिट¹⁰ की वृद्धि हुई। यदि अनुदान को ऋण में रूपांतरित न किया होता तो प्रति यूनिट उत्पादन लागत ₹1.83 हो जाती। अनुदान को ऋण में परिवर्तित करके राज्य सरकार ने ₹834.03 करोड़¹¹ प्राप्त किए थे (मार्च 2018 तक)।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 70 प्रतिशत ऋण सहित ₹3.74 प्रति यूनिट की उत्पादन लागत की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित की गई थी तथा भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी करना एक अनुवर्ती प्रगति थी। परियोजना की व्यवहार्यता दो परिस्थितियों में स्थिर रही होती जैसा परिकल्पित था: अर्थात् (i) यदि इसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में दिए समय एवं लागत में पूर्ण किया होता, अथवा (ii) भारत सरकार द्वारा दिए ₹659 करोड़ के अनुदान को राज्य सरकार द्वारा ऋण में परिवर्तित नहीं किया होता। कार्यान्वयन के दौरान दोनों में से किसी भी परिस्थिति को प्राप्त न कर पाने के कारण इसकी व्यवहार्यता प्रभावित हुई।

टैरिफ निर्धारण हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा नियत 70:30 के मानदण्ड के प्रति मार्च 2018 तक ऋण इक्विटी अनुपात 55:45 था।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि विद्युत का वास्तविक उत्पादन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित उत्पादन से अधिक हुआ है तथा लेखापरीक्षा में पूर्वानुमानित अवधि से कम समय में लागत की वसूली कर ली जाएगी। उत्तर देते समय इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि ऊर्जा बाजार परिवर्तनशील है तथा कम समय में लागत की वसूली निश्चित नहीं है।

2.7.2 स्तरीकृत टैरिफ¹² से कम बिजली की बिक्री

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से बिजली की बिक्री हेतु कम्पनी ने टाटा पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया (3 मई 2017)। अनुबंध के अनुसार बिक्री के लेन-देन का निपटान वास्तविक मूल्य तथा विद्युत एक्सचेंज पर खोजी गई आद्यतन मात्रा के अनुसार किया जाना था। बिक्री दर दैनिक आधार पर बदलती थी तथा बाजार प्रभाव पर निर्भर थी।

स्तरीकृत टैरिफ (कम्पनी द्वारा संगणित की गई) के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की ₹3.74 प्रति यूनिट लागत के प्रति ₹1,319.33 करोड़ की परियोजना लागत के आधार पर ₹6.23 प्रति यूनिट निकाली गई। कम्पनी बिजली की बिक्री से ₹6.23 प्रति यूनिट के स्तरीकृत टैरिफ के प्रति ₹4.30 प्रति यूनिट की औसत से ही राजस्व वसूल कर सकी। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक के दौरान उत्पादित 145.88 मिलियन यूनिट की बिक्री पर ₹28.15 करोड़ का घाटा हुआ।

⁹ ₹303.11 करोड़ (मार्च 2018 तक अर्जित कुल व्यय) x 90 प्रतिशत (कम्पनी को जारी कुल ऋण में अनुदान का हिस्सा) = ₹272.80 करोड़

¹⁰ ₹6.23 (कम्पनी द्वारा निकाली गई प्रति उत्पादन लागत)/ ₹1,319.33 करोड़ (परियोजना लागत) x ₹931.80 करोड़ = ₹4.40 प्रति यूनिट

¹¹ हिमाचल प्रदेश सरकार की लाभ = {कम्पनी की देयताएं ₹ 931.80 करोड़ (ऋण राशि ₹732.22 करोड़ + मार्च 2018 तक @ 10 प्रतिशत की दर से अर्जित ब्याज ₹272.80 करोड़) - हिमाचल प्रदेश सरकार की देयताएं ₹97.77 करोड़ (₹73.22 करोड़ ऋण राशि + इस पर @ नौ प्रतिशत की दर पर अर्जित ब्याज ₹24.55 करोड़)}}

¹² वह न्यूनतम मूल्य जिसे विद्युत का विक्रय करने के लिए समान रूप से बंदा जाता है।

2.7.3 कार्बन क्रेडिट का लाभ न लेना

स्वच्छ विकास तंत्र विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती क्रेडिट अर्जित करने हेतु उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं की अनुमति देता है, जिसमें से प्रत्येक एक टन कार्बन डाइआक्साइट (ऑग्योगिक उत्पादन के दौरान उत्पन्न) के बराबर होता है। इन प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों का व्यापार व विक्रय किया जा सकता है तथा टोक्यो प्रोटोकॉल के तहत तथा उत्सर्जन कटौती के उनके लक्षणों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

सैंज जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल पर्यावरण प्रबन्धन योजना परियोजना के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए तैयार की गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना में कम्पनी ने स्वच्छ विकास तंत्र के माध्यम से प्रमाणित उत्सर्जन कटौती व्यापार द्वारा परियोजना की लागत में कमी की सम्भावना पर विचार नहीं किया था। कम्पनी ने अपनी 38वीं निदेशक बोर्ड की बैठक (जनवरी 2013) में चर्चा की थी कि यह सामान्य स्वच्छ विकास तंत्र के अन्तर्गत कार्बन क्रेडिट लाभ को लेने के लिए पात्र नहीं है क्योंकि इस पर परियोजना को अंतिम रूप देने के प्रारम्भिक चरण में विचार नहीं किया गया था। अतः स्वच्छ विकास तंत्र के अन्तर्गत प्रमाणित उत्सर्जन में कमियों की पूर्वव्यापी स्वच्छ विकास प्रणाली के व्यापार के लिए कोई गुजांइश नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि कम्पनी इस हेतु परियोजना के पंजीकरण को प्राप्त करके स्वैच्छिक कार्बन ऑफसेट योजना के तहत स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौती का व्यापार करेगी। तथापि, कम्पनी ने इस मामले में अब तक (सितम्बर 2019) कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

कम्पनी ने परियोजना से उत्पादित 1,45,881 मेगावाट ऊर्जा को बेचा (मई 2018 तक) जो 1,32,416¹³ प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियों के बराबर थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कार्बन क्रेडिट का लाभ लेने के विकल्प पर विचार नहीं करने तथा स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौतियों के व्यापार के लिए कार्रवाई शुरू नहीं करने के कारण कम्पनी ने इन लाभों को उठाने का अवसर खो दिया। कम्पनी को उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक उत्सर्जन कटौतियों के पंजीकरण पर विचार करना चाहिए।

2.8 परियोजना के निष्पादन हेतु कार्य योजना


परियोजना को मितव्ययता तथा समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए परियोजना निष्पादन की कार्य योजना में अवधारणा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना की व्यवसायिक व्यवहारिकता का मूल्यांकन, विस्तृत डिजाइन, अवरोधों का पूर्वानुमान, स्थानीय आवश्यकताएं तथा समन्वित दृष्टिकोण हेतु योजना शामिल है।

कार्य की प्रकृति एवं क्षेत्र को जानते हुए, अनुबंध की संरचना को पूर्वानुमान के उपायों, अवरोधों की पहचान और समाधान, सांविधिक दायित्वों, पर्यावरण प्रबन्धन के तत्वों, मूल्य वृद्धि, देयताओं की वसूली तथा मुद्रा विनियम दर में उतार चढ़ाव इत्यादि को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। उचित उपाय एवं नियंत्रण-तंत्र होना चाहिए था। इसमें अवरोधों के पूर्वानुमान की कमी, समन्वित दृष्टिकोण तथा उचित नियन्त्रण तन्त्र का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप से अभाव था जैसा कि नमूना जांच में पाया गया और अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

"जल-विद्युत परियोजना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का सूत्रीकरण" के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, परियोजना आबंटन/राज्य सरकार द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के 30 महीनों के भीतर तैयार कर लिया जाना चाहिए जिन्हें परियोजना विकासक के अनियंत्रित कारणों की स्थिति में छः माह का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

¹³ 1,45,881 मेगावाट (मई 2018 तक का उत्पादन) x 0.9077 (ग्रिड का उत्सर्जन कारक) = 1,32,416

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) ने सैंज जल विद्युत परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ किया था (1998-99) तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंततः दिसम्बर 2010 के दौरान अनुमोदित करवाया जा सका। घटनाओं का अनुक्रम नीचे दिया गया है:



विकासकों का चुनाव करने में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 36 महीनों की समय सीमा की तुलना में लगभग 8 वर्षों के विलम्ब सहित 129 महीनों (जनवरी 1999 से सितम्बर 2009) का समय लगा।

सरकार ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी को परियोजना आवंटित करने के पश्चात लिया गया समय निर्धारित सीमा के भीतर था। उत्तर, राज्य स्तर पर दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया के कारण हुए समग्र विलम्ब के प्रभाव के मामले का समाधान प्रस्तुत नहीं करता।

2.8.1 बोली प्रक्रिया दस्तावेज में उपयुक्त खण्ड की प्रविष्टि न करना

सामान्य संविदात्मक एवं वित्तीय दूरदर्शिता की मांग है कि ठेकेदारों को उधार दी गई निधियों में से ब्याज रहित अग्रिमों की वसूलियां तुरंत की जाए ताकि कम्पनी ब्याज के किसी भी अतिरिक्त बोझ से बच सके। इस प्रकार की वसूलियों के नियमन हेतु केन्द्रीय सरकार आयोग ने भी दिशा-निर्देश जारी किए (अप्रैल 2007) जिसमें नियत है कि आयोग ब्याज रहित गतिशील अग्रिम को प्रोत्साहित नहीं करता।

कम्पनी ने भी सावड़ा कुड़दू जल विद्युत परियोजना के हेड रेस टनल के शेष कार्यों के अनुबंध में गतिशील (मोबिलाइजेशन) अग्रिम पर ब्याज प्रभारित करने का प्रावधान किया था। इसके अतिरिक्त, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) केवल ब्याज वहन करने वाले अग्रिमों को जारी कर रहा था।

ब्याज प्रभारित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कम्पनी ने परियोजना के निष्पादनार्थ 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से निधियां उधार ली थीं।

कम्पनी ने सेंज परियोजना के निर्माण के लिए बोली दस्तावेज तैयार करते समय ब्याज वहन करने वाले अग्रिम के बजाय ब्याज रहित अग्रिम की वसूली को कार्य की प्रगति से जोड़ दिया।

संविदा अनुबंधों के प्रावधानानुसार ठेकेदार ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम लेने के लिए पात्र थे। निम्नलिखित ब्याज रहित मोबिलाईजेशन अग्रिम ठेकेदारों को अनुमत किया था:

- अगस्त 2010 तथा मार्च 2011 के मध्य तीन किश्तों में सिविल ठेकेदार (ठेकेदार-I) को ₹43.10 करोड़ दिए जिसकी वसूली 30 प्रतिशत तक कार्य की प्रगति के पश्चात आरम्भ की जानी थी।
- सितम्बर 2011 तथा जून 2012 के मध्य विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदार (ठेकेदार-II) को ₹8.26 करोड़, यूरो 3,30,442/- तथा यू०एस०डी० 8,31,978/- दिए।

सिविल अनुबंध में वांछित 30 प्रतिशत कार्य की प्रगति अग्रिम जारी करने के 916 दिन के पश्चात प्राप्त की गई जिसके दौरान कम्पनी को ₹9.67 करोड़¹⁴ ब्याज देयताएं वहन करनी पड़ी। वसूली आगामी 1,129 दिनों के भीतर पूर्ण हुई (अप्रैल 2016), जिससे ₹5.68 करोड़ की ब्याज देयताओं में वृद्धि हुई।

इसी प्रकार, सामग्री की आपूर्ति के प्रति विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदार के मामले में अग्रिम 210 दिन (आई०एन०आर०), 472 दिन (यूरो) तथा 1,130 दिन (यू०एस०डी०) के लिए असमायोजित रहा जिसके दौरान कम्पनी को ₹4.71 करोड़ की ब्याज देयताएं वहन करनी पड़ी।

इस प्रकार, ब्याज रहित अग्रिम जारी करने के कारण कम्पनी को ₹20.06 करोड़ की ब्याज देयताएं (सिविल ठेकेदार हेतु ₹15.35 करोड़ तथा विद्युत यांत्रिकी ठेकेदार हेतु ₹4.71 करोड़) वहन करनी पड़ी।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि अग्रिम भुगतान की वसूली एशियाई विकास बैंक द्वारा संविदा पैकेज पर प्रदत्त अन्य निधियों के साथ समानता बनाए रखने हेतु कार्य प्रगति के साथ जोड़ी गई। उत्तर तरफ संगत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने इसकी अन्य परियोजनाओं (सावड़ा कुइडू जल विद्युत परियोजना) में समयबद्ध वसूली के लिए प्रावधान किया था।

ब्याज रहित अग्रिम जारी करने के कारण परियोजना पर लागत वृद्धि का बोझ पड़ा। परिणामतः जिस परियोजना ने शुरूआत में पांच वर्षों में लागत को वसूलने का पूर्वानुमान किया था, इसमें अब साढ़े नौ वर्षों में लागत वसूली का पूर्वानुमान है, जो इसकी व्यवसायिक व्यवहार्यता को सीधे-सीधे प्रभावित कर रहा है।

2.9 समय एवं लागत वृद्धि

परियोजना के निष्पादन में समय एवं लागत वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

सिविल कार्यों पर ₹563.57 करोड़ की लागत वृद्धि सहित ₹1,106.13 करोड़ का व्यय किया गया। सिविल कार्यों में 35 महीनों की समय वृद्धि मुख्य रूप से कम्पनी द्वारा ठेकेदार को कार्य स्थल तक पहुंच प्रदान करने में विलम्ब स्थानीय निवासियों द्वारा निर्माण कार्य रोकने, गैस इन्स्लेटिड स्वीचगियर तथा पॉट हेड यार्ड के स्थान और डिजाईन में परिवर्तन के कारण हुआ।

सिविल कार्यों में लागत वृद्धि समय वृद्धि, प्रदान लागत तथा अनुमानित लागत में अन्तर (₹170.64 करोड़), मूल्य वृद्धि (₹124.59 करोड़) अतिरिक्त व्यय (₹21.08 करोड़), ठेकेदार को अनुचित लाभ (₹17.90 करोड़) तथा डिजाईन में परिवर्तन (₹7.42 करोड़) आदि के कारण हुई।

¹⁴ 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर (कम्पनी द्वारा वहन ब्याज दर)।

विद्युत एवं यांत्रिकी पैकेज के मामले में ₹79.47 करोड़ की लागत वृद्धि तथा 28 महीनों की समय वृद्धि हुई। समय वृद्धि मुख्य रूप से सिविल पैकेज के पूर्ण होने में विलम्ब के फलस्वरूप कार्य स्थलों की उपलब्धता में देरी के कारण हुई। लागत वृद्धि, मूल्य वृद्धि (₹23.34 करोड़), मुद्रा विचलन (₹23.47 करोड़), डिजाइन में परिवर्तन (₹10.29 करोड़), प्रदान लागत तथा अनुमानित लागत में अंतर (₹12.67 करोड़) तथा अतिरिक्त व्यय (₹5.49 करोड़) इत्यादि के कारण हुई।

परियोजना लागत में वृद्धि के फलस्वरूप कम्पनी को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि पर ₹8.91 करोड़ की देयता (भिन्नता लागत का 1.5 प्रतिशत) उठानी पड़ी जैसा कि परिच्छेद 2.19.3 में विवेचना की गई है:

परियोजना को चालू करने में हुए 29 महीने के कुल विलम्ब (मार्च 2015 से सितम्बर 2017) का परिणाम न सिर्फ लागत वृद्धि के रूप में हुआ, बल्कि ₹291.24 करोड़¹⁵ मूल्य की 778.72 मिलियन यूनिट की संभाव्य उत्पादन क्षमता की हानि के रूप में भी हुआ, जिसमें राज्य सरकार के रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क विद्युत शेयर के ₹34.95 करोड़¹⁶ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र के निवासियों को एक प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य भी अप्राप्त रहा।

समय वृद्धि

2.9.1 विलम्ब/समयवृद्धि में भागीदार कारक

सिविल कार्यों के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित कारकों का विलम्ब के प्रति योगदान रहा:

- गैस इन्सुलेटिड स्विचगियर के अंतिम स्थान का निर्णय करने, पॉट हैड यार्ड से गुजरने वाली अन्य परियोजना (जीवा हाईडल विद्युत परियोजना) की फीडर लाईन शिपिंग में विलम्ब सहित इसके अभिविन्यास तथा गैस इन्सुलेटर स्विचगियर सुपरस्ट्रक्चर के पुनः अभिकल्प के कारण 22 माह का विलम्ब हुआ।
- कम्पनी समय पर परियोजना स्थल (सर्जशाफ्ट तथा एडिट-II हेतु स्थल) हेतु सिविल ठेकेदार को सड़क उपलब्ध नहीं करवा सकी जिससे कार्य में 17 माह का विलम्ब हुआ।
- स्थानीय लोगों द्वारा विभिन्न समय अंतरालों में कार्य को रोकने से परियोजना के निष्पादन में दो महीने का विलम्ब हुआ।

विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में समयवृद्धि मुख्यतः विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदार को सिविल फ्रंट को विलम्ब से सौंपने के कारण हुई।

2.9.2 ठेकेदार द्वारा अभिकल्पना प्रस्तुत करने में विलम्ब तथा कम्पनी द्वारा इसके उपरान्त अनुमोदन करने में विलम्ब

विद्युत एवं यांत्रिकी पैकेज के अनुबंध संविदा के अनुसार ठेकेदार अनुमोदन हेतु परियोजना प्रबंधन को नक्शा प्रस्तुत करता है। परियोजना प्रबंधक नक्शे की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर नक्शे का अनुमोदन अथवा अस्वीकृति अपेक्षित कारणों सहित सूचित करता है, अन्यथा दस्तावेज को अनुमोदित समझा जाता है।

तय कार्यक्रम अनुसूची से ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु नक्शे को प्रस्तुत करने में 43 से 769 दिनों का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त नक्शे के अनुमोदन हेतु कम्पनी ने भी निर्धारित 14 दिन की तय सीमा से अधिक 12 तथा 284 दिन के मध्य समय लिया।

¹⁵ प्रति वर्ष 322.23 मिलियन यूनिट/12 x 29 महीने = 778.72 मिलियन यूनिट x ₹3.74 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दर।

¹⁶ ₹291.24 करोड़ की 12 प्रतिशत की दर से गणना की गई।

2.10 लागत वृद्धि

परियोजना के निष्पादन को सुगम बनाने की दृष्टि से प्रारम्भिक कार्यों को पूर्ण करने के उपरांत कार्यों को मोटे तौर पर दो पैकेजों में बांटा गया है तथा दो भिन्न ठेकेदारों को वैशिक निविदाओं के माध्यम से प्रदान किया गया है। जून 2010 के दौरान सिविल तथा जल यांत्रिकी कार्य मैसर्ज हिन्दुस्तान कम्पनी लिमिटेड (ठेकेदार-I) को ₹431.00 करोड़ में प्रदान किया था। कार्य को अगस्त 2014 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, ठेकेदार ने कार्य को जून 2017 तक अर्थात् 35 माह के विलम्ब से पूर्ण किया। विद्युत यांत्रिक कार्य अगस्त 2011 के दौरान मैसर्ज वायथ हाइड्रो प्राईवेट लिमिटेड (ठेकेदार-II) को दो भागों अर्थात् आपूर्ति हेतु ₹73.64 करोड़, यूरो 33,04,219 तथा यूएसडी 83,19,779 तथा सेवा हेतु ₹14.32 करोड़ में प्रदान किया था। कार्य को ठेकेदार द्वारा मार्च 2015 तक पूर्ण करना था। तथापि, परियोजना को सितम्बर 2017 में चालू किया। लागत वृद्धि के कारक हैं: (i) समय वृद्धि, (ii) दोषपूर्ण संविदा प्रबंधन तथा (iii) अन्य विविध कारण।

2.11 समय वृद्धि के कारण लागत वृद्धि

2.11.1 निर्माण के दौरान ब्याज

निर्माण अवधि के दौरान ऋण राशि पर अर्जित ब्याज को पूंजीकृत किया जाता है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सौंपे गए अनुबंध के अनुसार परियोजना को मार्च 2015 के दौरान चालू करना नियत था। परियोजना को समय पर पूर्ण नहीं किया गया तथा इसे चालू करने में विलम्ब (सितम्बर 2017) के कारण ₹193.15 करोड़ के ब्याज को चालू करने के नियत समय के पश्चात पूंजीकृत किया जिससे उस सीमा तक परियोजना पर अधिक बोझ पड़ा।

2.11.2 मूल्य वृद्धि¹⁷

निर्धारित पूर्णता अवधि के पश्चात की अवधि हेतु कम्पनी को सिविल तथा विद्युत एवं यांत्रिक ठेकेदारों को मूल्य वृद्धि के रूप में ₹53.48 करोड़ भी अदा करने पड़े। यह अवरोध के पूर्वानुमानों तथा उन पर काबू पाने के लिए सक्रिय कार्रवाई के माध्यम से परियोजना को समय पर चालू करवाने के द्वारा नियन्त्रण योग्य था।

2.11.3 समय वृद्धि एवं वारंटी विस्तार प्रभार

सिविल ठेकेदार द्वारा विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदारों को सिविल फ्रंट विलम्ब से सौंपने के कारण विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में विलम्ब हुआ। अतः पूर्णता अवधि को अक्टूबर 2016 तक बढ़ा दिया था। क्योंकि विलम्ब का कारण विद्युत एवं यांत्रिक ठेकेदार नहीं था, इसलिए कम्पनी को मूल्य वृद्धि प्रभारों¹⁸ के ₹87.40 लाख वहन करने पड़े।

इसी तरह विलम्ब हेतु जो कि विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदार के कारण नहीं हुआ था, कम्पनी को परियोजना चालू करने में विलम्ब की अवधि हेतु ठेकेदार को उपकरणों के लिए ₹3.38 करोड़ के वारंटी विस्तार प्रभारों को जारी करना पड़ा जैसा कि परिच्छेद 2.14 में चर्चा की गई है।

¹⁷ लागत के उत्तर-चढ़ाव के कारण कीमतों में समायोजन मूल्य वृद्धि है।

¹⁸ विस्तार अवधि हेतु स्थल पर ठेकेदार द्वारा स्थापना के रखरखाव हेतु क्षतिपूर्ति।

अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित अनुबंध इकारनामें तथा निर्माण कार्यों के निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय, अधिक भुगतान/ कम वसूली / ठेकेदारों को अनुचित लाभ / अधिक भुगतान/परिहार्य अतिरिक्त व्यय से संबन्धित मामले ध्यान में आए जैसा कि आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.12 अनुबंध प्रबन्धन

2.12.1 वृद्धि का अग्रिम भुगतान

विद्युत-यांत्रिक पैकेज हेतु अनुबन्ध में आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए कुल अनुबन्ध मूल्य के प्रति 10 प्रतिशत के अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, परिशिष्ट-2 (खण्ड 1-क) में मूल्य समायोजन के भुगतान हेतु प्रावधान है। मूल्य वृद्धि की गणना के उद्देश्यार्थ अनुबन्ध में सौंपी गई राशि के 15 प्रतिशत भाग को निश्चित भाग के रूप में तथा 85 प्रतिशत को परिवर्तनीय भाग के रूप में रखा गया।

परिवर्तनीय लागत से भुगतान योग्य मूल्य वृद्धि को निकालने हेतु कम्पनी ने ठेकेदार को 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान को घटाने हेतु अनुबन्ध में उपयुक्त प्रावधान की प्रविष्टि नहीं की। यहां यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मूल्य समायोजन के मामले में सिविल संविदा में तथा निर्मित भाग के लिए संविदा में किए गए प्रावधान के अनुसार, उनपर मूल्य समायोजन की गणना करते हुए, किए गए कार्यों के मूल्य में से 10 प्रतिशत अग्रिम को घटा दिया गया था। केवल विद्युत एवं यांत्रिकी कार्य के आपूर्ति अनुबन्ध के मामले में इस खण्ड की प्रविष्टि नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹1.81 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया कि (दिसम्बर 2018) एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना होने के कारण बोली दस्तावेज एशियन विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किये थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने इस परियोजना के सिविल अनुबन्ध के मामले में एशियन विकास बैंक से ऐसी ही शर्तों को अनुमोदित करवाया था।

2.12.2 विनियम दरों में उत्तर-चढ़ाव के कारण अतिरिक्त व्यय/भुगतान

एशियन विकास बैंक द्वारा जारी "उपार्जन दिशानिर्देशों (2015)" के पैरा 2.33 के साथ पठित पैरा 2.29 के अनुसार यदि निविदा बोली मूल्य स्थानीय मुद्रा में बताना अपेक्षित है, परन्तु यदि बोली दाता ने विदेशी मुद्रा में भुगतान हेतु अनुरोध किया है, तो भुगतान के उद्देश्यार्थ प्रयुक्त विनियम दर बोलीदाता द्वारा बोली में निर्दिष्ट दरों पर होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोली के विदेशी मुद्रा भाग की कीमत का अनुरक्षण बिना लाभ या हानि के किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार ने बोली मूल्य को तीन मुद्राओं अर्थात् आई.एन.आर., यू.एस.डी. तथा यूरो में प्रस्तुत किया। कम्पनी एशियन विकास बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार भविष्य में भुगतान हेतु बोली में विनियम दर निर्धारित करने हेतु उपयुक्त धारा की प्रविष्टि करने में विफल रही। यद्यपि, निविदा मूल्यांकन 28 सितम्बर 2010 की विनियम दर को अपनाते हुए किया गया। ठेकेदार ने अपने बोली मूल्य में संयंत्र, आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों एवं परिचालन व अनुरक्षण हेतु 3,53,308/- यूरो उद्धृत किए तथापि, सामग्री को भारत से आपूरित किया जाना उद्धृत किया गया था। भारत से सामान आपूरित किए जाने के प्रस्ताव के बावजूद कम्पनी ने कार्य को यूरो में सौंपा। तत्पश्चात उपयुक्त धारा के अभाव में सितम्बर 2013 से मई 2015 के दौरान ठेकेदार को ₹61.82 निविदा मूल्यांकन दर के प्रति ₹66.68 तथा ₹86.25 के बीच प्रति यूरो की प्रचलित विनियम दर के आधार पर चरणवार भुगतान किया गया। अतः विनियम दरों में वृद्धि के कारण कम्पनी ने ₹59.47 लाख का अतिरिक्त भार वहन किया।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि ठेकेदार ने मूल्य को यूरो में उद्धृत किया न कि स्थानीय मुद्रा में। इसलिए एशियन विकास बैंक के दिशानिर्देश लागू नहीं थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा भारत के भीतर से आपूरित सामग्री के भाग पर तथा जिसके लिए मूल्य विदेशी मुद्रा में उद्धृत किए हैं, दिशानिर्देश लागू थे।

2.12.3 मूल्य-वृद्धि का अधिक भुगतान

संविदा की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 13 में निहित प्रावधानों के अनुसार यदि अनुबंध मूल्य को लागत के मूल्य में भिन्नता हेतु समायोजित किया जाना है तो इसकी गणना अनुबंध की विशेष शर्त (पी.सी.सी.) के अनुसार की जाएगी। पी.सी.सी. का उप-खण्ड 13.8 (दस्तावेज II का IV) प्रावधान करता है कि ठेकेदार को किए अग्रिम भुगतान पर मूल्य समायोजन नहीं किया जाए।

तथापि, कम्पनी ने संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भुगतान करते समय ठेकेदार को मोबिलाईजेशन अग्रिम भुगतान पर मूल्य वृद्धि की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹13.60 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

प्रबंधन ने अंतिम सम्मेलन (दिसम्बर 2018) में आश्वासन दिया कि मामले की संवीक्षा के पश्चात् उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.12.4 दरों का अविवेकपूर्ण निर्धारण, मूल्य वृद्धि का अनियमित भुगतान

(क) पॉट हैड यार्ड और जी0आई0एस0 हॉल की विशिष्टियों तथा स्थान को बदलना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप गैस इंसुलेटेड बस डक्ट (जी0आई0बी0) की मात्रा में 54 मीटर से 349 मीटर (अंत में निष्पादित 343.5 मीटर) का महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ठेकेदार ने 4,674 यूएसडी प्रति मीटर की दर से अतिरिक्त जी0आई0बी0 की आपूर्ति के लिए कोटेशन प्रस्तुत किया (24.07.2014)। तत्पश्चात्, कंपनी तथा ठेकेदार के मध्य 25 नवंबर 2014 को बातचीत हुई तथा 3,850 यूएसडी प्रति मीटर की कीमत को कंपनी ने मंजूरी दे दी।

ठेकेदार ने उप-विक्रेता से 1,760¹⁹ यूएसडी प्रति मीटर कर दर से खरीदी गई विचलन मात्रा की आपूर्ति की। ठेकेदार-II द्वारा दावा किए गए 20 प्रतिशत लाभ की अनुमति देने के बाद भी अतिरिक्त अपरिहार्य व्यय ₹1.71 करोड़ निकला। यह इस तथ्य का परिचायक था कि दरों को अनुमोदित करते समय कंपनी ने अंतिम दरों पर पहुंचने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं किया, क्योंकि दरें बातचीत के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी। कंपनी को वास्तविक लागत से अधिक ठेकेदार के लाभ तथा उपरिव्यय के आधार पर अतिरिक्त मदों/परिवर्तनों की कीमत को तय करने के लिए अनुबंध में उपयुक्त खंड शामिल करना चाहिए।

उत्तर में सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) की जी0आई0बी0डी0 मानक उपकरण नहीं है, लेकिन फर्म द्वारा जी0आई0बी0 के प्रति तथा विशिष्ट स्थल आवश्यकता के अनुसार बनाया गया दर्शाए गए मूल्य एक मुश्त आधार पर था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा अनुमोदित दरें उप-ठेकेदार की आपूर्ति दर से दोगुनी से अधिक थी।

(ख) ठेकेदार-II जी0आई0बी0 की विचलित मात्रा पर मूल्य वृद्धि का दावा न करने के लिए सहमत (मई 2015) हो गया। तथापि, महाप्रबन्धक, सैंज जल विद्युत परियोजना ने मूल्य वृद्धि के ₹0.71 करोड़ का भुगतान किया (मई 2016)।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसम्बर 2018)।

¹⁹ {सीएचएफ 5,11,860 x 0.9955 (17.3.2015 को यूएसडी रूपांतरित दर)/289.5 मीटर}।

2.13 उपयुक्त खण्ड की प्रविष्टि न करना

कम्पनी ने खरीदी गई मदों, ठेकेदार को जारी किए गए अग्रिम भुगतान तथा मूल्य वृद्धि की गणना को छोड़कर उपयुक्त धारा की प्रविष्टि नहीं की जैसा कि नीचे विवेचित है:

(क) यह देखा गया कि विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदार ने ₹51.91 करोड़ की सामग्री खरीदी तथा कम्पनी को उसकी आपूर्ति ₹67.83 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर की तथा 31 प्रतिशत अर्थात् ₹15.92 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मदवार लाभ बहुत अधिक था कुछ मदों पर 1154 प्रतिशत तक था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने इन मदों पर मूल्य भिन्नता के ₹11.48 करोड़ का भी भुगतान किया। मूल्य भिन्नता के भुगतान से बचा जा सकता था यदि मूल्य भिन्नता खण्ड के दायरे से ठेकेदार द्वारा खरीदी गई मदों को निकालने के सम्बंध में अनुबंध में उपयुक्त खण्ड को शामिल किया गया होता।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना होने के कारण बोली दस्तावेजों को एशियन विकास बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने उसी खण्ड को एशियन विकास बैंक को अनुमोदनार्थ नहीं भेजा था।

(ख) कम्पनी ने मूल्य भिन्नता खण्ड में विनिर्दिष्ट बोलियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि 'अनुबन्ध मूल्य के 15 प्रतिशत की राशि के लिए कोई मूल्य समायोजन नहीं किया जाएगा जो कि उपरिव्यय और लाभ का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थिर तत्व होगा।'

"100 मैगावाट सेंज जल विद्युत परियोजना के लिए अभियांत्रिक उपार्जन एवं निर्माण संबिदा" बोली को आमंत्रित करने के विपरीत चार बोलियां प्राप्त हुईं, जिसमें से दो बोलीदाताओं ने उपरिव्यय तथा लाभ के रूप में 25 प्रतिशत को उद्धृत किया था, एक बोलीदाता ने लाभ के रूप में 10 प्रतिशत उद्धृत किया था परन्तु उपरिव्यय को अलग से उद्धृत नहीं किया तथा चौथे बोलीदाता ने उपरिव्यय तथा लाभ के रूप में 20 प्रतिशत उद्धृत किया।

चौथे बोलीदाता की बोली न्यूनतम थी तदनुसार कार्य को सौंपा गया यद्यपि उसके द्वारा उद्धृत 20 प्रतिशत (निर्धारित तत्व) उपरिव्यय तथा लाभ बोली दस्तावेज के अनुसार निर्धारित स्थिर तत्व 15 प्रतिशत से अधिक था। मूल्य भिन्नता खण्ड में अनुबंध का समापन करते हुए उपरिव्यय तथा लाभ को 15 प्रतिशत माना गया था तथा अनुबंध मूल्य का 85 प्रतिशत मूल्य समायोजन के लिए माना गया था जबकि ठेकेदार द्वारा उद्धृत किए 20 प्रतिशत लाभ एवं उपरिव्यय शुल्क को ध्यान में रखते हुए 80 प्रतिशत को माना जाना चाहिए था। इससे ठेकेदार को भुगतान किए गए ₹124.59 करोड़ के कुल मूल्य भिन्नता में से ₹7.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय/भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि ठेकेदार का 15 प्रतिशत लाभ तथा उपरिव्यय का प्रावधान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुरूप है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि कम्पनी को उपरिव्यय शुल्क तथा लाभ के 20 प्रतिशत दर के आधार पर मूल्य समायोजन की गणना के लिए अनुबंध मूल्य का केवल 80 प्रतिशत अनुबंध पर विचार करना चाहिए था जो कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुसार जारी की गई बोली में ठेकेदार द्वारा उद्धृत किया गया है।

उपयुक्त खण्ड की प्रविष्टि न करने से कम्पनी के हितों की रक्षा नहीं की गई जिससे परियोजना पर ₹18.82 करोड़ तक अधिक बोझ पड़ा।

2.14 परिहार्य व्यय

(क) विद्युत एवं यांत्रिक पैकेज के अनुसार कार्य को मार्च 2015 तक पूर्ण करना नियत था। वाणिज्यिक संशोधन (19 सितम्बर 2010) के सम्बंध में ठेकेदार ने 24 माह की अवधि हेतु मासिक आधार पर वृद्धि दर प्रभार (विलम्ब हेतु जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था) उद्धृत किए।

परियोजना को शुरू करने में विलम्ब विद्युत यांत्रिक ठेकेदार को सिविल फ्रंट उपलब्ध करवाने में देरी के कारण हुआ जो मुख्य रूप से सिविल ठेकेदार को सड़क अभिगम की अनुपलब्धता के कारण हुआ जैसा कि परिच्छेद 2.9.1 में विवेचित है।

तदनुसार, कम्पनी ने पूर्णता अवधि को 31 अक्टूबर 2016 तक बढ़ा दिया था। अंततः परियोजना नियत पूर्णता अवधि से 29 माह के विलम्ब के पश्चात सितम्बर 2017 में आरम्भ की गई।

इस प्रकार विलम्ब, जिसके लिए विद्युत एवं यांत्रिक ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था कम्पनी को 19 माह हेतु ₹87.40 लाख के परिहार्य वृद्धि प्रभारों का वहन करना पड़ा जो कम्पनी द्वारा अन्तिम विस्तार प्रदान करने पर और बढ़ सकता है।

सिविल ठेकेदार को अभिगम मार्ग तथा बाधा रहित भूमि समय पर उपलब्ध करवाई होती तो सिविल के साथ-साथ विद्युत यांत्रिक कार्यों में हुए विलम्ब से बचा जा सकता था।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसम्बर 2018)।

(ख) विद्युत यांत्रिक पैकेज के संविदा अनुबंध के अनुसार 540 दिन की दोष दायित्व अवधि पूर्णता तिथि अथवा परिचालन स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक उपलब्ध थी। परियोजना की पूर्णता में विलम्ब के कारण, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था, पूर्णता अवधि को 31 अक्टूबर 2016 तक बढ़ा दिया था। ठेकेदार ने सुविधाओं की वास्तविक पूर्णता तक हस्तक्षेप अवधि हेतु वारंटी प्रभारों का दावा किया (मार्च 2018)। उक्त के दृष्टिगत कम्पनी ने संयुक्त मूल्य के @ दो प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹2.37 करोड़, 60,176 यूरों एवं 79,284 यूएसडी (अक्टूबर 2016 तक के) वारंटी विस्तार प्रभारों को अनुमोदित किया (मार्च 2018)। कुल वारंटी प्रभार ₹3.38 करोड़²⁰ के हुए। यद्यपि, परियोजना सितम्बर 2017 के दौरान शुरू की गई तथा ठेकेदार के पक्ष में समय के अंतिम विस्तार देने पर वारंटी प्रभारों की राशि में और वृद्धि (₹1.86 करोड़) होगी।

यह भी पाया गया कि ठेकेदार ने मास्टर टाइम शेड्यूल के विपरीत 117 वस्तुओं की अग्रिम आपूर्ति की जिसके परिणामस्वरूप वारंटी अवधि का विस्तार हुआ। इसलिए पूर्णता में विलम्ब के कारण भुगतान योग्य वारंटी प्रभार में ₹29.54 लाख की वृद्धि हुई। यदि ऐसी सामग्री को सहमत अनुसूची के अनुसार भेजा होता तो एक ओर वारंटी प्रभार को कम किया जा सकता था तथा दूसरी ओर निर्धारित समय से पहले 55 प्रतिशत भुगतान (₹19.99 करोड़ अनुबंध शर्त के अनुसार²¹) जारी करने पर ₹0.47 करोड़ के ब्याज के बोझ से बचा जा सकता था।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि इसे कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार किया गया। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि सामग्री की आपूर्ति मास्टर टाइम शेड्यूल से पहले की गई थी।

कम्पनी को भविष्य में संविदाओं में समय सारिणी का सख्ती से पालन करने के लिए उपयुक्त खण्ड सम्मिलित करना चाहिए और मास्टर समय सारिणी की पालना के बांगे किसी भी भुगतान को जारी नहीं करना चाहिए।

सिविल कार्यों की प्रगति के साथ विद्युत-यांत्रिकी कार्यों का तालमेल न होने तथा नियंत्रण में विफलता से परियोजना लागत में ₹4.72 करोड़ की वृद्धि हुई।

²⁰ 8 जून 2018 को अमेरिकी डॉलर दर के अनुसार 67 प्रति भारतीय रूपया तथा यूरो 79 प्रति भारतीय मुद्रा के अनुसार

²¹ प्रेषित दस्तावेज के प्रति 55 प्रतिशत भुगतान के लिए प्रदान किए गए परिशिष्ट 1क (खण्ड 1क)

2.15 ठेकेदार को अनुचित लाभ

विभिन्न संविदात्मक प्रावधानों इत्यादि का पालन न करने के कारण ठेकेदार-I को कार्य निष्पादन के दौरान ₹4.37 करोड़ रुशि का अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया, जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:-

2.15.1 गलत गणना के फलस्वरूप ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

ईधन एवं स्नेहक (लूब्रिकेंट) को छोड़ कर सीमेंट, स्टील तथा सभी वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि की गणना हेतु कम्पनी ने फरवरी 2012 के दौरान ठेकेदार-I के साथ अनुपूरक अनुबंध किया। अनुपूरक समझौता²² आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 1.873 के लिंकिंग कारक का उपयोग करते हुए, सितम्बर 2010 की तिथि से पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष 1993-94) को थोक मूल्य सूचकांक (डब्लू. पी. आई.) की नई श्रृंखला (आधार वर्ष 2004-05) में रूपांतरण हेतु प्रावधान प्रदान करता है।

ठेकेदार ने मई 2011 से मूल्य वृद्धि बिल प्रस्तुत करने प्रारंभ किए। परियोजना प्राधिकारियों ने चालू महीनों के लिए, 'सभी वस्तुओं' पर मूल्य वृद्धि का भुगतान जारी करते समय नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला को 1.873 के लिंकिंग कारक को लागू करके पुरानी श्रृंखला (क्योंकि आधार मास सितम्बर 2009 था) में परिवर्तित किया, परन्तु आधार माह के सूचकांक को नई श्रृंखला से परिवर्तित करने के स्थान पर इसे पुरानी श्रृंखला से लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार-I को ₹92.27 लाख का अनुचित लाभ हुआ।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि जहां पुरानी श्रृंखला में सूचकांक संख्याएं उपलब्ध नहीं थी वहां लिंकिंग कारक का उपयोग नई श्रृंखला को पुरानी श्रृंखला में परिवर्तित करने के लिए किया गया है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि चालू महीने के सूचकांक से इसे तुलना योग्य बनाने हेतु आधार महीने के मूल्य सूचकांक को भी नई श्रृंखला से परिवर्तित किया जाना अपेक्षित था।

2.15.2 भारतीय मानक व्यूरो के मापदण्डों से निम्नतर अभिकल्पना का अनुमोदन

'पानी पहुंचाने वाली सुरंगों में अभिकल्पना' के लिए भारतीय मानक व्यूरो द्वारा जारी कार्य संहिता²³ सुदृढ़ीकरण संरचना कंक्रीट लाईंनिंग हेतु न्यूनतम 300 मि.मी. की सिफारिश करती है।

हेड रेस टनल के कुछ हिस्से (415.4 मीटर) में ठेकेदार-I द्वारा भारतीय मानक व्यूरों के उपरोक्त अनुशंसित 300 मि.मी. की न्यूनतम मोटाई के प्रति 250 मि.मी. मोटाई की कंक्रीट लाईंनिंग से सुदृढ़ीकरण किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्यों का निष्पादन तथा स्वीकृति भारतीय मानक व्यूरो के मापदण्ड से निम्नतर हुई। इसके अतिरिक्त, ई.पी.सी. संविदा होने के नाते मोटाई घटाने के परिणामस्वरूप, एम-25 कंक्रीट का 535 घन मीटर में कम निष्पादन तथा ठेकेदार-I को ₹42.92 लाख²⁴ के अनुचित लाभ हुआ। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इसी तरह के काशंग जल विद्युत परियोजना (प्रमात्राओं के बिल) मामलों में कम्पनी ने 300 एम.एम. मोटाई की कंक्रीट लाईंनिंग की ड्राइंग का अनुमोदन किया था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2018) कि अभिकल्पना सभी मानदण्डों को संतुष्ट कर रही थी तथा सामान्य एवं अत्यधिक भार वाली स्थितियों हेतु उपयुक्त पाई गई थी। उत्तर में भारतीय मानक व्यूरों के मापदण्डों का अनुपालन न करने तथा कंक्रीट के कम हुए उपयोग की लागत में ₹42.92 लाख की अनुपातिक कटौती के मामले की व्याख्या नहीं की है।

2.15.3 अपूर्ण कार्य के प्रति निस्तारित भुगतान पर व्याज का उद्ग्रहण न करना

सिविल पैकेज की संविदा²⁵ में भूमिगत पावर-हाऊस (बिजली घर) तथा सम्बद्ध कार्यों के सम्बन्ध में पांच चरणों में भुगतान का प्रावधान है। प्रत्येक विशिष्ट माइलस्टोन के पूरा होने के पश्चात भुगतान किया जाना था।

²² अनुपूरक समझौता की धारा 1 का खण्ड (घ)

²³ भारतीय मानक 4,880 (भाग- IV) की धारा 7.2

²⁴ 535 घनमीटर X ₹8,023 = ₹42.92 लाख

²⁵ उपर्युक्त 14.4 (भुगतान की अनुसूची, दस्तावेज IV का II)

10 प्रतिशत अंतिम चरण²⁶ हेतु भुगतान "पावर हाऊस कॉम्प्लेक्स की विभिन्न मंजिलों में प्रासंगिक वास्तुशिल्पीय परिष्करण प्रदान करने एवं बिछाने" पर किया जाना था।

ठेकेदार-I ने बिना कार्य पूर्ण किए माइलस्टोन के प्रति विभिन्न कार्यों हेतु ₹4.61 करोड़ राशि के लिए अंतरिम भुगतान आवेदनपत्र प्रस्तुत किया (फरवरी 2015)। यूनिट वार, सेवा वार फ्लोरिंग कार्य तथा स्वच्छ गियर रूम में वास्तुशिल्पीय परिष्करण कार्य अपूर्ण थे जिनकी कार्य लागत ₹1.20 करोड़ थी। मार्च 2015 के दौरान कम्पनी द्वारा ₹ 3.41 करोड़ का आंशिक भुगतान जारी कर दिया गया था। ₹1.20 करोड़ का शेष कार्य मार्च 2017 के दौरान 24 महीनों के उपरान्त पूर्ण किया गया था।

इसी अनुबंध के इसी तरह के अन्य मामले में (अनुपूरक अनुबंध-8) जहां ठेकेदार को अपूर्ण कार्य पर भुगतान किया गया था, कम्पनी ने माइलस्टोन भुगतान की वास्तविक पूर्णता तक प्रगतिशील भुगतान पर 14.60 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज उद्गृहीत किया। यद्यपि, इस मामले में कम्पनी ने ब्याज उद्ग्रहण न करके ठेकेदार-I को अनुचित लाभ का विस्तार किया तथा मार्च 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि हेतु ₹1.00 करोड़²⁷ के ब्याज को माफ किया।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि चल रही विद्युत एवं यांत्रिकी गतिविधियों के कारण यूनिट-वार तथा सर्विस-वार कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। प्रबंधन का उत्तर ब्याज के उद्ग्रहण न होने के मामले की जानकारी नहीं देता।

2.15.4 ठेकेदार द्वारा डीजल जनरेटिंग सेटों को न सौंपना

सिविल अनुबंध²⁸ में प्रावधान है कि ठेकेदार बिजली की विफलता की स्थिति में कार्यों की सुरक्षा तथा प्रगति सुनिश्चित करने के लिए डीजल जनरेटिंग सेट की व्यवस्था करेगा। कार्यों के पूर्ण होने के बाद उनकी सम्पूर्ण जांच एवं मरम्मत करके कम्पनी को सौंप दिया जाएगा।

ठेकेदार-I ने कार्यों के निष्पादन के दौरान आपातकालीन बैकअप के लिए अलग-अलग दरों के डीजल जनरेटिंग सेट लगावाकर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की थी। कार्यों को पूर्ण कर लिया गया था तथा परियोजना की व्यावसायिक परिचालन तिथि को सितम्बर 2017 में प्राप्त कर लिया था, परन्तु उपरोक्त खण्ड के अनुसार ₹2.02 करोड़ मूल्य के 13 डीजल जैनरेटर सेटों को न तो ठेकेदार ने सौंपा और न ही कम्पनी ने ठेकेदार से इसकी मांग की।

सरकार ने बताया(दिसम्बर 2018) कि ठेकेदार से डीजल जैनरेटर सेटों को सौंपने का अनुरोध किया गया है।

नियंत्रण में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला, परियोजना पर ₹4.37 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा परिणामतः उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

²⁶ क्रम संख्या 1.7.5

²⁷ 14.60 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गई।

²⁸ (दस्तावेज 4 का अध्याय-2)

2.16 निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण

परियोजना के कार्यों की प्रगति की निगरानी प्रभावी नहीं थी क्योंकि कम्पनी ने दोषपूर्ण अभिकल्पना का अनुमोदन किया, जिस स्तर की मोटी बजरी का प्रयोग किया, वनभूमि के परिवर्तन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य का अधिक भुगतान किया तथा स्थानीय लोगों के कारण बिजली उत्पादन की हानि का कम दावा किया।

आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से कम्पनी/संगठन कुशल तथा प्रभावी परिचालन हेतु उचित आश्वासन, वित्तीय रिपोर्टों की विश्वसनीयता, प्रयोज्य नियमों विनियमों की अनुपालना तथा सांविधिक दायित्व की सुनिश्चिता प्राप्त करता है। आबकारी शुल्क में छूट, केन्द्रीय बिक्री कर का अधिक भुगतान, ठेकेदार को अनुचित प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा इसके सांविधिक दायित्वों की सुनिश्चितता हेतु निगरानी तथा कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण की विफलता से सम्बन्धित मामलों को नीचे विवेचित किया गया है:

2.16.1 टेल रेस टनल की अभिकल्पना में कमियाँ

विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदारों तथा कम्पनी के निदेशक (विद्युतीय) के संयुक्त कार्य-स्थल निरीक्षण (22 फरवरी 2018) के दौरान यह पाया गया कि 110 मैगावाट (अधिकतम स्वीकार्य सीमा) पर यूनिट के संचालन के दौरान रनर निवारण क्षेत्र में पानी की बहुत अधित मात्रा भर गई थी।

अतः टेल रेस टनल जंक्शन क्षेत्र में सुचारू प्रवाह स्थिति प्राप्त करने के लिए टेल रेस टनल जंक्शन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। कम्पनी के डिजाइन विंग ने टेल रेस टनल जंक्शन पर 19.59 घनमीटर क्षेत्र की कटाई एवं एम-20 ग्रेड कंक्रीट के साथ कंक्रीटीकरण की अनुशंसा की। सिविल ठेकेदार ने इस कार्य का निष्पादन यह दलील देते हुए अस्वीकार किया (मार्च 2018) कि मूल कार्य संस्वीक 'त डीइंग' के अनुसार किया गया है तथा इसे अतिरिक्त मद के रूप में मान लेने पर जोर दिया।

टेल रेस जंक्शन को चौड़ा करने के लिए स्टील रिब्स तथा आर.सी.सी. (19.59 घनमीटर) की कटाई/तुड़ाई के कार्य को ₹22.68 लाख की लागत पर अन्य ठेकेदार के माध्यम से किया गया (अप्रैल 2018 के दौरान पूर्ण हुआ)।

उत्तर में, सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कार्य अब पूर्ण हो चुका है। अतिरिक्त व्यय पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2.16.2 स्वीकार्य मानकों के लिए बजरी के श्रेणी-निर्धारण की गैर अनुपालना

अनुबन्ध²⁹ में प्रावधान है कि मोटी बजरी की ग्रेडिंग ऐसी होगी कि जब मोटी बजरी को स्वीकृत पतली बजरी एवं सीमेंट में मिलाया जाए तो यह अधिकतम घनत्व के साथ कंक्रीट को बनाए। पुनः प्रावधान है कि मोटी बजरी का श्रेणी-निर्धारण सुसंगत कोड में विनिर्दिष्ट ग्रेडिंग सीमाओं के भीतर होगा।

नमूना जांच किए गए 47 मामलों में से 23 मामलों में प्रयुक्त बजरी का परिणाम विनिर्दिष्ट मानक (आईएस0) 383 के अनुरूप नहीं था। 2.36 एम.एम. छलनी हेतु 5 प्रतिशत की सीमा 17 बार बढ़ी हुई पाई गई थी। 4.75 एम.एम. छलनी के मामले में 20 प्रतिशत सीमा 13 बार बढ़ी हुई पाई गई थी। 10 एम.एम. छलनी हेतु नमूने दो बार 85 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम सीमा से दोगुना कमतर थे तथा 12.5 एम.एम. छलनियों में 100 प्रतिशत सामग्री की निकासी अपेक्षित थी, पर यह चार बार असफल रहा।

²⁹ खण्ड 7.4.1 के साथ पठित अध्याय 07 का खण्ड 1.2.2.6

हर बार श्रेणी निर्धारण विश्लेषण रिपोर्ट बनाई गई, ठेकेदार को श्रेणी निर्धारण को सुधारने के निर्देश जारी किए गए परन्तु ठेकेदार निर्देशों के प्रति सजग नहीं था और उसके द्वारा कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए जो कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि श्रेणीकरण में जनवरी 2012 से फरवरी 2016 तक लगातार गलती होती रही। यह कमज़ोर गुणवत्ता नियंत्रण का सूचक था, इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य/अस्वीकृत सामग्री के प्रयोग करने के विरुद्ध ठेके में कोई दण्डात्मक खण्ड सम्मिलित नहीं किया गया था।

उत्तर में सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि अस्वीकृत सामग्री का उपयोग सबंद्ध विभिन्न कार्यों में किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मुख्य कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ है यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र नहीं था।

2.16.3 श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण के श्रमिकों के कल्याण की दृष्टि से संसाधनों में वृद्धि हेतु "भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण का उपकर अधिनियम, 1996" अधिसूचित किया (नवम्बर 2008)।

- विद्युत एवं यांत्रिकी अनुबन्ध के खण्ड 9 के अनुसार ठेकेदार श्रमिक कल्याण उपकर को जमा करने तथा कम्पनी से प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु जिम्मेदार था। ठेकेदार को किए गए ₹152.66 करोड़ के सकल भुगतान पर ₹1.53 करोड़ का श्रमिक कल्याण उपकर देय था जिसे सम्बन्धित प्राधिकारी को ठेकेदार या कम्पनी द्वारा जमा नहीं किया गया। उपकर भुगतान के अतिरिक्त उपकर जमा न करने पर 100 प्रतिशत शास्ति भी लग सकती है।
- सिविल ठेकेदार ने करों तथा रॉयल्टी में ₹11.45 करोड़ राशि की बढ़ोतरी का दावा किया जिसका कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया। तथापि, कम्पनी ने ठेकेदार के दावे से ₹11.45 लाख का श्रमिक कल्याण उपकर वसूल नहीं किया था।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि दस्तावेजी प्रमाण के विरुद्ध विद्युत एवं यांत्रिकी ठेकेदारों से प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की गई थी। सिविल अनुबंध हेतु ठेकेदार के साथ मामले को उठाया गया है।

2.16.4 शुद्ध वर्तमान मूल्य का अधिक भुगतान तथा स्रोत पर एकत्रित कर की वापसी ना करना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय ने वन भूमि के विचलन (48 हैक्टेयर) हेतु परियोजना के निर्माण के लिए कम्पनी के पक्ष में संस्वीकृति प्रदान की (14 सितम्बर 2009) जिसके लिए कम्पनी ने 47.993 हैक्टेयर भूमि के विचलन हेतु ₹4.30 करोड़ जमा किए (सितम्बर 2009)।

परियोजना हेतु विचलित वनभूमि पर 9.90 प्रतिशत के घनत्व सहित 2,344 वृक्ष मौजूद थे। वन विभाग ने संख्या को उच्चतर पक्ष पर अर्थात् 10 प्रतिशत का पूर्णांक बना दिया। 10 प्रतिशत व उससे अधिक घनत्व के वन हेतु गैर-वानिकी उपयोग के लिए वनभूमि विचलन पर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरें 10 प्रतिशत व उससे कम घनत्व के वन की दर की अपेक्षा उच्च थी। कम्पनी ने वन के घनत्व को उच्च पक्ष पर आंकड़ों को पूर्णांक में बदलने पर कोई आपत्ति नहीं की जिसके परिणामस्वरूप मूल्य के रूप में ₹95.03 लाख की अधिक अदायगी और उसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2009 से मार्च 2018 की अवधि हेतु ₹0.79 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त कम्पनी ने नवम्बर 2009 में वन विभाग को स्रोत पर कर के रूप में एकत्र किए गए ₹19.20 लाख अदा किए जो कि आयकर अधिनियम³⁰ के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी होने के नाते कम्पनी पर लागू नहीं था। कम्पनी आयकर विभाग से स्रोत पर एकत्र कर के प्रतिदाय का दावा नहीं कर सकी क्योंकि इसके पास न तो वन विभाग का टी०सी०एस० प्रमाण पत्र था और न ही वन विभाग ने उस वर्ष की आयकर रिट्टन भरी थी। इसके परिणामस्वरूप भी नवम्बर 2009 से मार्च 2018 तक की अवधि हेतु अप्रयोज्य टी०सी०एस० की अदायगी के कारण ₹17.12 लाख के ब्याज की हानि हुई।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि वन विभाग के साथ मामले को उठाया गया है।

2.16.5 स्थानीय निवासियों द्वारा कार्य बाधित करने से हुए विलम्ब हेतु क्षतिपूर्ति का अल्प-दावा

जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के प्रबंधन हेतु संशोधित दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2011) के अनुसार, परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों के आंदोलन से कार्य बाधित होने के कारण परियोजना प्रांगंभ करने में हुए विलम्ब के लिए विकासक क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु पात्र था। इस कारण हुई हानि को स्थानीय जनता को 1 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराए जाने से उपार्जित राजस्व से काटा/समायोजित किया जाना था।

ऊर्जा निदेशालय ने स्पष्ट किया (जुलाई 2017) कि हानि की गणना विद्युत की वर्तमान प्रति यूनिट बिक्री दर पर की जानी चाहिए। तथापि, कम्पनी ने ₹3.59 प्रति यूनिट की अपनी वर्तमान (नवम्बर 2017) औसत बिक्री दर के स्थान पर ₹3.02 प्रति यूनिट के भारतीय ऊर्जा विनियम की दस महीनों की औसत दर पर 64 दिनों हेतु उत्पादन हानि का दावा किया (दिसम्बर 2017)। इसके परिणामस्वरूप ₹3.24 करोड़ की हानि का कम दावा हुआ।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि मामले पर की गई आवश्यक कार्रवाई की सूचना दे दी जाएगी।

2.16.6 ब्लैक स्टार्ट क्षमता³¹ को सुनिश्चित न करना

भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता विनियम, 2010 में प्रावधान है कि ग्रिड की विफलता की स्थिति में जल-विद्युत परियोजना के पास ब्लैक स्टार्ट क्षमता होनी चाहिए जिसकी कार्य क्षमता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक छः महीनों में इसकी जांच होनी चाहिए।

यह पाया गया कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ब्लैक स्टार्ट क्षमता का प्रावधान है लेकिन इसे ठेकेदार के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया तथा यह अभी तक लम्बित है ब्लैक स्टार्ट क्षमताओं की अनुपस्थिति में ग्रिड विफलता की स्थिति में परियोजना तुरन्त ऊर्जा उत्पादन नहीं कर सकेगी तथा उसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से प्रारम्भिक विद्युत धारा हेतु प्रतीक्षा करनी होगी।

अपेक्षित परिवर्तनों के सम्बन्ध में सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया (दिसम्बर 2018)।

कम्पनी का अनुवीक्षण तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था तथा अपने हितों को सुरक्षित रखने में विफल रही जिसने अंततः परियोजना की लागत एवं उत्पादन को प्रभावित किया।

³⁰ धारा-206

³¹ बाहरी विद्युत शक्ति पर भरोसा किए बिना इलैक्ट्रिक पॉवर स्टेशन को चालू करने की प्रक्रिया। ग्रिड से पावर खोंचकर स्टेशन सेवा शक्ति प्रदान की जाती है। तथापि, व्यापक क्षेत्र विस्तार के दौरान ग्रिड से ऑफ साइड पावर उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में ग्रिड के बूटरेप के संचालन हेतु ब्लैक स्टार्ट की जाती है।

2.17 अन्य रूचिकर प्रसंग

परियोजना लागत को बढ़ाने वाले अन्य रूचिकर प्रसंग की विवेचना निम्नवत् है:

2.18 ठेकेदार को अदा किए गए अदेय कर

कम्पनी वैध छूटों/करों/विनियमों को विनियमित करने में भी विफल रही जैसा कि परिच्छेद 2.1 में विवरण दिया गया है। नीचे कुछ मामलों पर चर्चा की गई है:

2.18.1 प्रवेश कर का अनुचित भुगतान

स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2010 में वस्तुओं के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश प्रवेश कर की धारा 3 में यह प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यापारी (हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत) जो स्थानीय क्षेत्र में माल लाता है, प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

सिविल कार्यों का कार्यान्वयन करने वाला ठेकेदार एक पंजीकृत व्यापारी होने के कारण प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। यद्यपि, इसे सम्बोधित करने वाले किसी भी उपयुक्त खण्ड को अनुबंध में शामिल नहीं किया था। ठेकेदार ने सितम्बर 2010 से दिसम्बर 2016 के मध्य भुगतान किए गए प्रवेश कर पर ₹5.44 करोड़ जमा की तथा प्रतिपूर्ति दावा किया। पूरे दावे की प्रतिपूर्ति की गई। ठेकेदार ने न केवल दावे की प्रतिपूर्ति करवाई, बल्कि मूल्य वर्धित कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी लिया था जोकि आकलन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। अभियन्ता प्रभारी, आंतरिक लेखापरीक्षक, वैधानिक लेखापरीक्षक तथा प्रबंधन ठेकेदार को की गई अनुचित प्रतिपूर्ति को इंगित करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹5.44 करोड़ का अतिरक्त बोझ पड़ा।

सरकार ने उपर्युक्त टिप्पणी पर कोई उत्तर नहीं दिया।

2.18.2 उत्पाद शुल्क छूट का लाभ न उठाना

भारत सरकार द्वारा अगस्त 1995 में जारी अधिसूचना के अनुसार एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी परियोजनाओं को उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

विद्युत यांत्रिकी कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना-जांच में पाया गया कि न तो ठेकेदार ने परियोजना प्राधिकरण प्रमाण-पत्र की मांग की और न ही कम्पनी ने इसे जारी किया था। ठेकेदार ने ₹6.09 करोड़ का उत्पाद शुल्क जमा किया जिसकी कम्पनी द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (जून 2015) के पश्चात् कम्पनी द्वारा वसूली की प्रक्रिया आरम्भ की गई (अक्टूबर 2018)। ₹3.06 करोड़ की राशि अभी भी वसूल की जानी थी।

उत्पाद शुल्क छूट का दावा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹12.18 लाख³² के केन्द्रीय बिक्री कर का अपरिहार्य भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि ठेकेदार से बकाया राशि की वसूली की जाएगी।

2.18.3 संस्कीकृत संख्या से अधिक स्टाफ की तैनाती

स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों में संस्कीकृत संख्या तथा उसकी तुलना में उसके विरुद्ध तैनात वास्तविक श्रमशक्ति की संचीक्षा में पता चला कि कम्पनी ने अप्रैल 2008 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान स्टाफ की तैनाती संस्कीकृत

³² उत्पाद शुल्क ₹6.09 करोड़ x 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर

संख्या से अधिक की थी। इसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान संस्वीकृत संख्या से अधिक तैनात स्टाफ को वेतन तथा भत्तों के भुगतान से परियोजना लागत में ₹6.74 करोड़ की परिहार्य वृद्धि हुई।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी की संस्वीकृत कुल संख्या किसी भी समय नहीं बढ़ी है। उत्तर में परियोजना में संस्वीकृत संख्या से अधिक स्टाफ की नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

2.18.4 बिना आवश्यकता के स्टाफ की तैनाती

कम्पनी ने परियोजना कार्य-स्थल पर फैरो प्रिंटर, रॉक ड्रिलर कारपेंटर, वायरलैस ऑपरेटर, एयर कम्प्रेसर ऑपरेटर इत्यादि विभिन्न फौल्ड स्टाफ की तैनाती की थी जबकि सभी कार्य अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण प्रणाली के माध्यम से किए गए थे। इस प्रकार परियोजना में ऐसे स्टाफ की तैनाती परिहार्य थी। कम्पनी ने अप्रैल 2008 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान उनके वेतन तथा भत्तों पर ₹1.73 करोड़ का परिहार्य व्यय किया था।

उत्तर में सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि कम्पनी को परियोजना का क्रियान्वयन हस्तांतरित करते समय कम्पनी के नियन्त्रण में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के स्टाफ के स्थानान्तरण के कारण स्टाफ की अधिकता हुई।

2.18.5 ट्रांसमिशन कार्य- परियोजना पर अतिरिक्त भार

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना उत्पाद शुल्क से छूट हेतु पात्र थी।

कम्पनी ने परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को ट्रांसमिशन कार्य का निष्पादन सौंपने का फैसला किया जिसके लिए एशियाई विकास बैंक ने इसके निधियन से इसलिए मना कर दिया क्योंकि कार्य का निष्पादन निक्षेप कार्य के रूप में एक अन्य एजेंसी द्वारा करवाया जा रहा था। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास कार्य के निष्पादन हेतु कम्पनी ने ₹5.00 करोड़³³ जमा किए थे। मई 2017 में लाईन सक्रिय की गई थी।

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को संचार कार्य सौंपे जाने के निर्णय के कारण हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹0.97 करोड़ के सेवा एवं विभागीय प्रभारों के परिहार्य भुगतान, उत्पाद शुल्क व इस पर अन्य उदग्रहण में ₹35.72 लाख की छूट का लाभ न उठाने के कारण परियोजना पर ₹1.33 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को कार्य सौंपा गया था, क्योंकि यदि स्वयं कम्पनी के द्वारा कार्य निष्पादन किया जाता तो इसमें सम्पूर्ण वन अनुमति का संशोधन भी शामिल होता। उत्तर तर्क समांत नहीं है क्योंकि परियोजना पर ₹1.33 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय बोझ को टालने तथा एशियाई विकास बैंक से ₹5.00 करोड़ की वित्तीय सहायता लेने के लिए कम्पनी को स्वयं संशोधित वन अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी।

परियोजना क्रियान्वयन में योजना तथा नियन्त्रण का सकल तंत्र अनुपस्थित था तथा संचार कार्य स्वयं करने से मिलने वाले लाभ प्राप्त करने में तथा अपने स्टाफ का इष्टतम उपयोग करके लागत नियन्त्रित करने में कम्पनी विफल रही।

2.19 पर्यावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन के आधार पर कम्पनी ने पर्यावरण प्रबंधन योजना बनाई और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सेंज जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण स्वीकृति मंजूर की (मई 2009)।

³³ ₹1.00 करोड़ मार्च 2016 में तथा ₹4.00 करोड़ मार्च 2017 में

जी.एच.एन.पी. के तत्वावधान में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार सैंज घाटी संरक्षण सैल का निर्माण किया गया। इस सम्बन्ध में एक निगरानी समिति को अधिसूचित किया जाना अपेक्षित था जिसमें परियोजना प्राधिकरण को एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाना अपेक्षित था, हालांकि, परियोजना प्राधिकरण निगरानी समिति का हिस्सा नहीं था। इसके फलस्वरूप कम्पनी परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित पर्यावरणीय पक्षों की उचित निगरानी नहीं कर पाई:-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रदत्त ₹30.00 लाख की वित्तीय सहायता का लाभ लेने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव) द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया (मई 2018)
- यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वन रक्षकों की तैनाती हेतु जी.एच.एन.पी. को प्रतिपूर्ति किए गए ₹51.69 लाख के व्यय तथा तीन चैक पोस्टों पर अवैध शिकार रोकने के उपाय करने सहित वर्तमान जैव विविधता की सुरक्षा हेतु विनियामक प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए किराये पर वाहन को चलाने हेतु ₹30.76 लाख वास्तव में वांछित उद्देश्य के लिए व्यय किए गए अथवा नहीं।
- अप्रैल 2010 व मार्च 2017 के मध्य हिमाचल प्रदेश सरकार के वन विभाग को परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्र के प्रशोधन हेतु ₹11.45 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹10.40 करोड़ की निधियां विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन हेतु प्रदान की गई। कार्य निष्पादन एजेंसी ने मार्च 2015 के अंत तक ₹2.37 करोड़ के व्यय की सूचना दी जो कि मात्र 22.79 प्रतिशत था। इस प्रकार मृदा अपरदन द्वारा बांध स्थल पर होने वाले तलछटीकरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अन्ततः बांध की क्षमता कम होगी।
- जन स्वास्थ्य एवं वितरण प्रणाली के घटक के अंतर्गत श्रमिकों के साथ-साथ स्थानीय जनता की सेवा हेतु औषधालय की स्थापना की गई। कम्पनी ने महाप्रबन्धक कार्यालय परिसर-साराबाई (कुल्लू) में चिकित्सालय स्थापित किया जो कि निर्माण कार्यस्थल से लगभग 50 किमी० दूर है और कम्पनी ने दवाईयों की खरीद तथा स्टाफ के वेतन पर ₹1.12 करोड़ खर्च किए। इससे प्रभावित क्षेत्र की जनता अपेक्षित लाभों से वंचित रही साथ ही परियोजना पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

कम्पनी को परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय पहलुओं की प्रभावी निगरानी हेतु निगरानी समिति के गठन के लिए ईमानदार प्रयास करने चाहिए थे।

2.19.1 डम्पिंग स्थलों का गैर-संरक्षण

कम्पनी ने ठेकेदार को विभिन्न क्षेत्रों में 11,61,084 घन मीटर (10.729 हेक्टेयर) की क्षमता वाले सात डम्पिंग स्थल उपलब्ध करवाए जिसमें ठेकेदार ने 2,00,179 घन मीटर मलबा डम्प किया था (सितम्बर 2016) जबकि अनुबंध³⁴ के प्रावधान के अनुसार परियोजना के व्यवसायिक परिचालन के बाद भी ठेकेदार ने भूमि सुधार का कार्य संचालित नहीं किया था।

भूमि कटाव के साथ-साथ मलबे के लुढ़ककर नदी में गिरने तथा बहने से रोकने हेतु डम्प किए गए मलबे पर मिट्टी भराव तथा जूट मैटिंग के द्वारा ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर भूमि सुधार कार्यों को करने हेतु कम्पनी ने कोई भी सुधारात्मक पग नहीं उठाए थे।

सरकार ने बताया कि ठेकेदार को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था (दिसम्बर 2018)।

³⁴ जीसीसी का खण्ड 4.18 उप-खण्ड 4.18 के साथ पढ़ा जाए।

2.19.2 स्थानीय क्षेत्र विकास गतिविधियों पर अतिरिक्त व्यय

राज्य जल विद्युत नीति 2006 के प्रावधान के अनुसार परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत व्यय स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में जमा करवाना होता है। निधियों का उपयोग स्थानीय क्षेत्र विकास समिति द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए करना था। कम्पनी ने स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की तरफ से मार्च 2018 तक ₹5.20 करोड़ का व्यय करके कुछ कार्य संचालित किए।

कम्पनी ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यों पर सेवा कर सहित 11 प्रतिशत की दर पर ₹0.64 करोड़ के विभागीय प्रभारों को प्रभारित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की ओर कम समायोजन हुआ तथा परियोजना लागत पर उपर्युक्त सीमा तक बोझ पड़ा।

सरकार ने तथ्य को स्वीकारते हुए बताया कि (दिसम्बर 2018) अल्प समायोजन को भविष्य में की जाने वाली अदायगियों से वसूल किया जायेगा।

2.19.3 परियोजना लागत में वृद्धि के कारण स्थानीय क्षेत्र विकास गतिविधियों में अतिरिक्त देयता

सैंज जल विद्युत परियोजना के ₹725.24 करोड़ की परियोजना लागत के आधार पर कम्पनी द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए ₹10.87 करोड़ सम्बंधित प्राधिकारी के पास जमा करवाए गए। हालांकि परियोजना की लागत बढ़कर अब ₹1,319.33 करोड़ (स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त) हो चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की ओर ₹8.91 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि यद्यपि व्यय कुल प्रस्तावित परियोजना लागत से अधिक हो चुका है तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी द्वारा संशोधित परियोजना लागत को अभी भी स्वीकृत किया जाना शेष है।

निष्कर्ष

परियोजना के क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य उचित दरों पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना था जिसे पूर्वानुमान, समन्वित दृष्टिकोण, दक्ष संविदा प्रबन्धन तथा बाधाओं का पता लगाने के उचित नियन्त्रण तन्त्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। भारत सरकार ने राज्य सरकार के माध्यम से ₹732.22 करोड़ की निधि को 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि को नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से ऋण के रूप में अंतरित किया। इसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर कम्पनी को हस्तांतरित किया गया। इस कारण उत्पादन लागत में ₹4.40 प्रति यूनिट की वृद्धि हुई। परियोजना का प्रारम्भ सितम्बर 2017 में 29 महीनों के समय लंघन से तथा ₹643.04 करोड़ के लागत लंघन से किया गया। समय तथा लागत लंघन खराब योजना तथा नियन्त्रण में विफलता इत्यादि का परिणाम है जिसके कारण परियोजना पर अत्यधिक बोझ पड़ा। कम्पनी की निगरानी तथा आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था तथा समय पर स्थलों को सौंपने, रचनात्मक रूप से अनुबंध को संरचित करने, विद्युत-यांत्रिकी तथा सिविल कार्यों में ताल-मेल, व्यय के नियन्त्रण तथा छूटों का लाभ उठाने इत्यादि के माध्यम से अपने हितों की सुरक्षा करने में विफल रही। सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित करने में आन्तरिक नियन्त्रण कम था। कम्पनी पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी में विफल रही। परियोजना के निष्पादन में समस्त योजना तथा नियन्त्रण तन्त्र अनुपस्थित था जिसके कारण परियोजना की उच्च लागत तथा उत्पादन लागत में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप ऊर्जा उत्पादन की प्रति यूनिट लागत ₹4.30 प्रति यूनिट की प्रचलित औसत बिक्री दर के प्रति ₹3.74 से बढ़कर ₹6.23 हो गई थी। परिणामस्वरूप, जिस परियोजना से लागत को पांच वर्षों में वसूलने का पूर्वानुमान था अब वह इसे साढ़े नौ वर्षों में वसूल कर पाएगी अर्थात् परियोजना लागत को वसूल करने में साढ़े चार वर्षों के विलम्ब से परियोजना की व्यावसायिक व्यवहार्यता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

सिफारिशें

कम्पनी अपनी चल रही/भविष्य की परियोजनाओं हेतु निम्न को सुनिश्चित करने पर विचार करें:-

- कार्य स्थलों को समय पर सौंपना तथा कार्य की प्रगति की उचित निगरानी;
- कम्पनी तथा कार्य के हित के विधिवत रक्षणार्थ अनुबन्ध में प्रावधानों को समाहित करना;
- भविष्य की परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सिविल तथा विद्युत स्कन्धों के समन्वित प्रयास;
- दावों, परियोजना के प्रशासन, संविदा प्रबन्धन, वित्तीय प्रबन्धन तथा परियोजना प्रबन्धन इत्यादि सभी गतिविधियों में प्रभावी नियन्त्रण तन्त्र; तथा राज्य सरकार निम्न पर विचार करें:-
- परियोजना की लागत बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को सीधे कम्पनी को अंतरित करना ।

अध्याय - III

**विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना
लेखापरीक्षा टिप्पणियां**

अध्याय-III

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड

3.1 अंतर लागत का अतिरिक्त भुगतान

कम्पनी के खुले बाजार से उपार्जित बजरी एवं रेत की अंतर लागत को निकालते समय खदान स्थल पर बजरी एवं रेत की विश्लेषित लागत में रॉयल्टी प्रभारों को शामिल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹75.02 लाख की अंतर लागत का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने ऊहल-III जल विद्युत परियोजना की हैड रेस टनल के निर्माण के शेष कार्य के सम्पूर्ण कार्य पैकेज को ₹55.39 करोड़ की लागत में मैसर्ज अबीर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को सौंपा (अक्टूबर 2010)। संविदा अनुबंध¹ की सेवा-शर्तों के अनुसार हैड रेस टनल के निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा खरीद की गई सभी सामग्री पर रॉयल्टी सहित समस्त करों का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाना था तथा इस सम्बन्ध में किसी भी स्थिति में कम्पनी द्वारा किसी भी क्षतिपूर्ति दावे को मंजूर नहीं किया जाना था। ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में सभी करों, शुल्कों, उद्ग्रहणों तथा उन पर हुई किसी भी वृद्धि को भी शामिल समझा जाना था। इसके अतिरिक्त संविदा अनुबंध में यह भी प्रावधान² था कि कार्य में ठेकेदार द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री के सम्बन्ध में किसी कानून, नियम, अधिसूचना अथवा आदेशों के अनुसार कम्पनी द्वारा राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों को रॉयल्टी की राशि का भुगतान किया गया हो तो कम्पनी द्वारा भुगतान की गई राशि को ठेकेदार को देय राशि में से वसूल किया जाएगा।

माननीय उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा लागू प्रतिवंधों के कारण ठेकेदार बजरी एवं रेत के उत्पादनार्थ आवंटित दो³ खदानों को चालू नहीं कर सका तथा अंततः रेत एवं बजरी को खुले बाजार से उपार्जित करना पड़ा। कम्पनी (निदेशक बोर्ड) ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2012) कि ठेकेदार द्वारा खुले बाजार से खरीदी गई बजरी एवं रेत की अतिरिक्त/अंतर लागत की प्रतिपूर्ति रेल पर मुफ्त के आधार पर की जाए जिसमें रॉयल्टी प्रभार शामिल थे। बजरी एवं रेत की अंतर लागत को निकालने हेतु कम्पनी ने खदान स्थल से बजरी की लागत का विश्लेषण किया तथा खुले बाजार की उपार्जित मात्रा के लिए अंतर लागत की प्रतिपूर्ति की।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि (दिसम्बर 2017) कम्पनी का ऊहल निर्माण मण्डल-I अंतर लागत को निकालने हेतु खदान स्थल पर बजरी एवं रेत की लागत का विश्लेषण करते समय रॉयल्टी प्रभारों को शामिल करने में विफल रहा जिनका भुगतान खदान से निकाले गए रेत एवं बजरी की मात्रा पर ठेकेदार द्वारा राज्य सरकार को किया जाना था। अतः खदान स्थल पर दरों के गलत विश्लेषण के परिणामस्वरूप 1,04,546 मीट्रिक टन बजरी एवं रेत पर जनवरी 2013 एवं दिसम्बर, 2017 के मध्य अंतर लागत के ₹75.02 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2018) कि राशि ठेकेदार के व्यक्तिगत बही खाते में रखी गई है तथा ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले अंतिम बिलों/अन्य देय दावों से वसूली की जाएगी।

यह बिन्दु नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबन्धन को चूक हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा भविष्य में ऐसी चूकों से बचने हेतु इसकी दर विश्लेषण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु विचार करना चाहिए एवं कम्पनी के अन्य सभी मिलते-जुलते मामलों की संवीक्षा करनी चाहिए।

¹ खण्ड 35 (i)

² खण्ड 35 (ii)

³ एक बल्ह में स्थित तथा दूसरा चूल्हा एवं कोठी में स्थित

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

3.2 उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अप्रैल 2013 में जारी टैरिफ आदेशों में निर्धारित सीमा के अनुसार तीन उपभोक्ताओं से संविदा मांग प्रभार लेने पर विफल रहने के फलस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान ₹1.97 करोड़ की संविदा मांग की अल्प वसूली हुई। अल्प वसूली की निरंतरता के कारण इस हानि में और वृद्धि होगी जब तक कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेशानुसार उपयुक्त कार्रवाई नहीं की जाती।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों (अप्रैल 2013) में निर्दिष्ट है कि जिन उपभोक्ताओं पर द्विभाग टैरिफ⁴ लागू होंगे वे कुल संस्कीकृत संविदा मांग के पूर्वाधिकार अध्यर्थित किए बिना वित्तीय वर्ष में दो बार संविदा मांग को संशोधित करने के हकदार होंगे। बशर्ते (क) संविदा मांग को कुल संस्कीकृत संविदा मांग के 50 प्रतिशत से कम नहीं किया जाएगा (ख) उक्त (क) के अन्तर्गत प्रावधान 1 जुलाई 2013 से उन मामलों में लागू होंगे जिनमें किसी उपभोक्ता ने अपनी संविदा मांग विद्यमान तंत्र के अन्तर्गत कुल संविदा मांग के 50 प्रतिशत से कम की हो। ऐसे मामलों में वित्तीय वर्ष में संशोधन की संख्या के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष को प्रथम जुलाई 2013 से समझा जाएगा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कम्पनी) तथा उपभोक्ता अंतरिम अवधि के दौरान उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता ने स्थाई रूप से कम संविदा मांग प्राप्त की है तो ऐसी कम की गई संविदा मांग सीमा खण्ड (क) एवं (ख) के अन्तर्गत समझी जाएगी।

तीन⁵ उपभोक्ताओं के चार विद्युत कनैक्शनों के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया (अगस्त 2016) कि उपभोक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का उपर्युक्त आदेश लागू होने के पूर्व उनकी संविदा-मांग को कम्पनी के पूर्व अनुमोदन से मूल संस्कीकृत संविदा-मांग की 50 प्रतिशत से बहुत कम सीमा तक घटा दिया था। तथापि, संस्कीकृत संविदा मांग को 50 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित सीमा तक लाने के उद्देश्य से संशोधित टैरिफ आदेश (अप्रैल 2013) के अन्तर्गत अपेक्षित संविदा मांग में वृद्धि हेतु न तो कम्पनी ने बल दिया और न ही उपभोक्ता ने आवेदन किया तथा कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के विपरीत इन उपभोक्ताओं से कम संविदा के मांग आधार पर (संविदा मांग के 90 प्रतिशत टैरिफ के प्रावधानानुसार अथवा अभिलिखित मांग जो भी अधिक हो) मांग प्रभारों का उद्ग्रहण करना जारी रखा। इस प्रकार मूल संस्कीकृत संविदा मांग के 50 प्रतिशत के मांग प्रभारों के उद्ग्रहण तथा वसूल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 के दौरान कम्पनी को ₹1.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि परिणामित 3.1 में वर्णित है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अप्रैल 2013 के आदेश के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता मामलों की समीक्षा न करने के कारण मांग प्रभारों का अनुद्ग्रहण/गैर वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई न करने के कारण कम्पनी अभी तक (सितम्बर 2019) घाटे में चल रही है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि दो उपभोक्ताओं ने उनकी संविदा-मांग उनकी आवश्यकतानुसार घटाई थी तथा तीसरे उपभोक्ता से वसूली कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2013 के पूर्व अस्थायी तौर पर उनकी संविदा-मांग अधिग्रहण त्यागे बिना घटाई थी तथा वसूली एक उपभोक्ता से ही की गई जबकि अन्य दो उपभोक्ताओं से धन

⁴ संविदा मांग पर आधारित निश्चित प्रभार तथा विद्युत के उपयोग पर आधारित परिवर्तनीय प्रभार द्विभाग टैरिफ में सम्मिलित है।

⁵ इन्द्रा गांधी आर्युविज्ञान महाविद्यालय शिमला (दो मीटर) मशोबरा रिजोट लिमिटेड एंव होटल पीटर हाफ शिमला प्रत्येक एक मीटर।

की वसूली नहीं की गई जो कम्पनी की मनमानी का परिचायक है। जहां पर अंतरिम अवधि (अप्रैल 2013 से जून 2013) के दौरान संविदा मांग संस्वीकृत संविदा मांग के 50 प्रतिशत से कम थी वहां कम्पनी एवं उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने स्पष्ट किया (अगस्त 2015) कि संविदा मांग की स्थाई कमी हेतु उपभोक्ता को इस आशय की सहमति प्रस्तुत करनी थी जोकि उपर्युक्त उल्लेखित मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

बिन्दु नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबंधन को भविष्य में राजस्व की हानि को रोकने हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिलों को प्रभावित करने वाले टैरिफ आदेश में किसी प्रकार के परिवर्तन के बाद सभी उपभोक्ता मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की जांच की जाए।

3.3 दस्तावेजी प्रमाणों के बिना आबकारी शुल्क का भुगतान

संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार दस्तावेज प्रमाण के अभाव में ठेकेदार के बिल से आबकारी शुल्क के घटक की कटौती करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹42.77 लाख के आबकारी शुल्क का अधिक भुगतान।

जून 2003 में भारत सरकार की अधिसूचना तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में मार्च 2010 तक स्थापित औद्योगिक इकाइयों को आबकारी शुल्क से छूट प्राप्त थी।

बदूदी शहर में 11 केवी एचटी/एलटी लाईन का ढांचा, विनिर्माण, उपकरण/सामग्री की आपूर्ति, परिनिर्माण, परीक्षण एवं चालू करने, पुनः संचालन/विद्यमान संवितरण ट्रांसफार्मरों में अपवर्धन/ एकल एवं तीन फेज ऊर्जा मीटरों को उपलब्ध करवाने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा मई 2012 के दौरान ₹26.97 करोड़ में (आपूर्ति भाग) मैसर्ज श्याम इंडस पॉवर साल्यूशन लिमिटेड (ठेकेदार) को दिया गया था। सामग्री की आपूर्ति दरों में सभी कर एवं शुल्क आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के साथ निष्पादन संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार आबकारी शुल्क जोकि कुल इकाई लागत में शामिल थी, का वास्तविक भुगतान केवल दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर करना था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की लेखा नियमावली⁶ में प्रावधान है कि खरीद आदेश/संविदा अनुबंध की सेवा-शर्तों के अनुसार बिल पास किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2016) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कम्पनी के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के अनुसार ठेकेदार ने हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के विनिर्माताओं से प्राप्त मुख्य मद्दें जैसे स्टील ट्यूबलर पोल्स, आरसीसी मफ तथा सीटीपीटी यूनिट उपार्जित किए, जिन पर आबकारी शुल्क के भुगतान की छूट थी। ठेकेदार ने बिल प्रस्तुत करते समय प्रत्येक मद की लागत तथा इन पर लागू करों एवं शुल्कों का अलग ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दावों सहित प्रस्तुत विभिन्न बीजकों में देखा गया कि बीजकों पर विस्तृत अलग ब्यौरा या तो फल्बूड मार्क से छिपा दिया था या मिटाया गया था जिस कारण ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए किसी आबकारी शुल्क के ब्यौरे की पुष्टि नहीं की जा सकी। कम्पनी का बही मण्डल, अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार ठेकेदार से बिल पास करने से पूर्व आबकारी शुल्क के वास्तविक भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों को मांगने तथा कम्पनी का लेखा स्कन्ध ठेकेदार को भुगतान करते समय इसे ध्यान में रखने में विफल रहा तथा आबकारी शुल्क के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में कम्पनी ने शासकीय प्राधिकारियों के पास आबकारी शुल्क जमा कराने के दस्तावेजी प्रमाण को

⁶ अनुदेश स0. 5.6 (4.02)

प्रस्तुत करने तक आबकारी शुल्क घटक को काटने के बजाए बिलों की सकल राशि को पास करके भुगतान किया। अप्रैल 2013 एवं नवम्बर 2016 के मध्य अवधि के दौरान, सरकारी प्राधिकारियों के पास आबकारी शुल्क को जमा किया गया इस दस्तावेजी प्रमाण को जमा करने का आग्रह किए बिना स्टील ट्यूब्स और पोल्ज आरसीसी मफ्स तथा सीटी/पीटी की आपूर्ति हेतु ठेकेदार को कम्पनी ने ₹42.77 लाख के आबकारी शुल्क का भुगतान किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.1: ठेकेदार को भुगतान की गई राशि का विवरण

विवरण	आकार	संख्या में मात्रा	आबकारी शुल्क दर	राशि
			(₹ में)	
स्टील ट्यूब्स और पोल्ज	9 मीटर	1,595	685.29	10,93,037
	11 मीटर	1,899	1,061.51	20,15,807
	8 मीटर	357	493.91	1,76,325
आर सी सी मफ	1.8 मीटर	3,775	52.11	1,96,715
सीटीपीटी	10/5 एम्पीयर से 100/5 एम्पीयर	266	2,674.03	7,11,292
	जमा: बिक्री कर @ 2 प्रतिशत			83,863.52
			योग	42,77,039.52

भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड में विनिर्मित मदों पर आबकारी शुल्क के भुगतान की छूट है तथा ठेकेदार ने भी चालानों पर करें एवं शुल्कों के विवरण को छिपाया। इसके अतिरिक्त अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार केवल दस्तावेजी प्रमाण के प्रति आबकारी शुल्क का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाना था। अतः संविदा अनुबंध की सेवा-शर्तों के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में ठेकेदार के बिल से आबकारी शुल्क घटक को काटने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹42.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मुख्य अभियन्ता (परिचालन) दक्षिण ने बताया (जुलाई 2017) कि मार्च 2017 एवं जून 2017 के मध्य ठेकेदार को आबकारी शुल्क की अदायगी हेतु दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं ऐसा करने में विफल रहने पर आबकारी शुल्क की ₹42.77 लाख की राशि की वसूली/कटौती कम्पनी के पास रोके गए धन से की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा आबकारी शुल्क के भुगतान के न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए और न ही कोई वसूली की गई जबकि प्रथम नोटिस जारी करने के बाद दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका था।

बिन्दु नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबंधन को चूककर्ताओं के विरुद्ध चूक हेतु मौजूदा नियमानुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूकों से बचने के लिए कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की संवीक्षा के द्वारा वित्तीय संवीक्षा का सुव्यवस्थितिकरण करना चाहिए।

मामला सरकार/प्रबन्धन को सूचित किया था (जून 2018); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2019)।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड

3.4 विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित न करने के कारण हानि

लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने के पूर्व विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित करने में, जो कि लम्बी अवधि अभिगम पर हस्ताक्षर हेतु पूर्वापेक्षित थे, कम्पनी की विफलता से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा अनुमोदन निरस्त करने के पश्चात शुल्क एवं प्रतिभूति को जब्त करने के कारण ₹37.41 लाख की हानि हुई।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने "अन्तर-राज्यीय संचरण व सम्बन्धित मामलों में कनेक्टिविटी अनुदान, लम्बी अवधि अभिगम, तथा मध्यावधि खुले (सार्वजनिक) अभिगम" पर अगस्त 2009 में विनियमन जारी किया। विनियमन में प्रावधान है⁷ कि कुल खरीद के सटीक गंतव्य को बनाना होगा, जिसे विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित होने के बाद ही बनाया जाए तथा लम्बी अवधि अभिगम का लाभ उठाने की इच्छित तिथि से कम से कम तीन वर्ष पूर्व नोडल एजेन्सी को, जो इस मामले में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड थी, सूचित करें। वहां जहां संचरण प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता नहीं थी वहां आवेदन की प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय⁸ 120 दिनों का था तथा जहां संचरण-प्रणाली के संवर्धन की आवश्यकता थी वहां 180 दिनों का था।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) ने विद्युत खरीद अनुबंध हस्ताक्षरित किए बिना इसकी तीन⁹ आगामी जल विद्युत परियोजनाओं की कनेक्टिविटी तथा लम्बी अवधि अभिगम के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया के संचार नेटवर्क के लिए आवेदन (सितम्बर 2010) किया तथा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया को ₹40.60 लाख की बैंक गारंटी सहित ₹16 लाख का निर्धारित शुल्क जमा किया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने लम्बी अवधि अभिगम अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की स्थिति में मई 2011 के दौरान इसकी दो¹⁰ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तथा दिसम्बर 2013 में एक अन्य¹¹ जल विद्युत परियोजना के लिए कनेक्टिविटी अनुमोदित की।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2017) कि कम्पनी ने लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने के पूर्व इसकी तीनों जल विद्युत परियोजनाओं हेतु विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित नहीं किया था यद्यपि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह लम्बी अवधि अभिगम अनुबंध हस्ताक्षरित होने की पूर्वापेक्षा थी। विद्युत खरीद अनुबंध के अभाव में कम्पनी निर्धारित समय में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ लम्बी अवधि अभिगम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकी। परिणामतः पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने काशंग के संचरण नेटवर्क की कनेक्टिविटी की मंजूरी को (मई 2016) तथा सैंज एवं सावड़ा-कुड़ू की मंजूरी को (फरवरी 2017) निरस्त किया तथा 10 जनवरी 2017 को ₹21.10 लाख की बैंक गारंटी के नकदीकरण करने के अतिरिक्त ₹16.00 लाख का अप्रतिदेय शुल्क जब्त किया। बाद में कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (राज्य संचरण उपक्रम) को कनेक्टिविटी के लिए आवेदन किया (2 सितम्बर 2011)। इस प्रकार लम्बी अवधि अभिगम हेतु आवेदन करने से पूर्व कम्पनी की

⁷ उप-विनियमन - 12 (I)

⁸ उप-विनियमन - 7

⁹ काशंग, सावड़ा-कुड़ू एवं सैंज

¹⁰ सावड़ा-कुड़ू एवं सैंज

¹¹ काशंग

विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित करने, जो कि लम्बी अवधि अभिगम पर हस्ताक्षर हेतु पूर्वापेक्षित थे, में विफलता के परिणामस्वरूप ₹37.41 लाख¹² की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2018) कि विद्युत विनियम/प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से विद्युत की खरीद दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों की तुलना में सस्ती हो गई थी। तदनुसार, सभी खरीदारों के साथ-साथ उपक्रमों ने विद्युत विनियम के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से खरीद शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त 2015 के पश्चात् सौर ऊर्जा ने बाजार में ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ा दिया है तथा यह ऊर्जा भी उपक्रमों के लिए अनिवार्य है।

कम्पनी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी को विद्युत खरीद अनुबंधों को हस्ताक्षरित किए बिना लम्बी अवधि अभिगम के हेतु आवेदन नहीं करना चाहिए था, जो कि लम्बी अवधि अभिगम को हस्ताक्षरित करने हेतु पूर्वापेक्षित था।

यह मामला नमूना-जांच पर आधारित है, प्रबन्धन को भविष्य में ऐसी चूक से बचने के लिए उचित कार्य योजना सुनिश्चित करनी चाहिए तथा कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की जांच करनी चाहिए।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (जून 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2019) था।

¹² ₹16.00 लाख अप्रतिदेय शुल्क, ₹21.10 लाख की बैंक गारंटी तथा बैंक गारंटी को चुकाया गया ₹0.31 लाख का बैंक शुल्क।

भाग - II
अध्याय - IV
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)
की कार्यपद्धति

भाग II

अध्याय IV

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 तक राज्य में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जोकि विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित थे। राज्य के ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1967-68 तथा 2017-18 की अवधि के दौरान सम्मिलित किए गए थे तथा इनमें 19 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश वित्त निगम एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को शामिल किया गया था। 19 सरकारी कम्पनियों में दो¹ कम्पनियां निष्क्रिय थीं। वर्ष 2017-18 के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम² को सम्मिलित किया गया था।

राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य के मात्र 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार ने निधियों का निवेश किया तथा तीन सरकारी कम्पनियों में किसी प्रकार का धन नहीं लगाया।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर तथा मार्च 2018 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ब्यौरा प्रदान करती है:

तालिका 4.1: हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर का विवरण

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	2,122.23	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,821.02
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	85,841	95,587	1,10,511	1,24,570	1,35,914
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से टर्नओवर का प्रतिशत	2.47	2.41	2.24	2.20	2.08

स्रोत: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़े तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े के आधार पर संकलित।

विगत वर्ष की तुलना में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 2013-18 की अवधि के दौरान टर्नओवर की वृद्धि 3.04 प्रतिशत तथा 10.97 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.11 प्रतिशत व 15.61 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 12.17 प्रतिशत था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास विभिन्न समयावधियों पर विकास दर मापने के लिए उपयोगी पद्धति है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 12.17 प्रतिशत के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में विगत पांच वर्षों के दौरान 7.43 प्रतिशत न्यून चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 2013-14 में 2.47 प्रतिशत से 2017-18 में 2.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई।

¹ एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वर्सिटेड मिल्स लिमिटेड जिन्होंने अपने प्रचालन बंद कर दिया।

² धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निश्चित ऐसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से देने के लिए तैयार नहीं होते, राज्य सरकार के उपकरण के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कुछ व्यवसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बातावरण में काम करते हैं। अतः राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति का विश्लेषण पांच प्रमुख वर्गोंकरणों अर्थात् कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र तथा जो सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं; के तहत किया गया है। 31 मार्च 2018 तक राज्य के इन 21 सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दर्शाया गया है:-

4.4 31 मार्च 2018 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)					
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल	
		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य		
कृषि एवं संबद्ध	4	76.55	10.50	116.85	1.43	205.33	
वित्तीय	4	127.96	6.69	94.62	37.83	267.10	
अवसंरचना	3	55.82	0	0	0	55.82	
विनिर्माण	2	7.04	1.04	2.97	0	11.05	
सेवा	8	734.01	15.46	0.95	202.26	952.68	
योग	21	1,001.38	33.69	215.39	241.52	1,491.98	

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹1,491.98 करोड़ का कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) था। दीर्घावधि ऋण में 30.62 प्रतिशत तथा इक्विटी में 69.38 प्रतिशत निवेश हुआ। कुल दीर्घावधि ऋणों का 47.14 प्रतिशत (₹215.39 करोड़) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम दीर्घावधि ऋणों, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 52.86 प्रतिशत (₹241.52 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

निवेश 2013-14 में ₹1,070.88 करोड़ से 39.32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹1,491.98 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान निवेश में वृद्धि इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों में क्रमशः ₹186.28 करोड़ एवं ₹234.82 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनः संरचना तथा निजीकरण

4.5 वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में विनिवेश, पुनः संरचना तथा निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/सब्सिडियों, ऋणों को बट्टे खाते में डालना तथा वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय बहिर्गमन का सारांशित विवरण निम्नवत है:-

तालिका 4.3: वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को प्राप्त बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ³	2015-16		2016-17		2017-18	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
बहिर्गमित इकिवटी पूँजी (i)	5	43.29	3	46.5	2	50.80
दिए गए ऋण (ii)	1	11.04	1	13.06	1	5.44
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	8	622.67	5	506.53	6	423.63
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	-	677.00		566.09		479.87
बट्टे खाते में ढाले गए ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
इकिवटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटीयां	8	204.65	5	284.35	5	192.65
गारंटी प्रतिबद्धता	7	205.14	4	230.92	5	277.98

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त अंतिम पांच वर्षों के लिए इकिवटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय बहिर्गमन सम्बंधित विवरण नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ 4.1: इकिवटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों के प्रति बजटीय बहिर्गमन



2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिली वार्षिक बजटीय सहायता ₹441.32 करोड़ तथा ₹677.00 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹479.87 करोड़ की बजटीय सहायता दी गई जिसमें इकिवटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में क्रमशः ₹50.80 करोड़, ₹5.44 करोड़ तथा ₹423.63 करोड़ शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी/अनुदान जनता को मुख्य रूप से यात्रा में छूट/मुफ्त यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता की प्राप्ति करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा शून्य प्रतिशत से एक प्रतिशत तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है। 2017-18 के दौरान सरकार ने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल ₹192.65 करोड़ के ऋणों की गारंटी दी। गारंटी प्रतिबद्धता 2016-17 में ₹230.92 करोड़ (पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) से बढ़कर 2017-18 में ₹277.98 करोड़ (पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) हो गई एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम⁴ ने 2017-18 के दौरान ₹0.01 करोड़ के गारंटी शुल्क का भुगतान किया।

³ राशि सिर्फ राज्य बजट से बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

4.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों में बकाया इक्विटी ऋणों तथा गारंटियों के आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में प्रस्तुत आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के न मिलने की स्थिति में सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक इस संदर्भ की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 4.4: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटियां

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	77.29	151.91	74.62
ऋण	55.53	163.12	107.59
गारंटी	256.28	251.15	5.13

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे अंतर हुए जिन्हें **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाया गया है। आंकड़ों के बीच के अंतर विगत कई वर्षों से हो रहे हैं। आंकड़ों के अंतरों के समाधान का मुद्रा समय-समय पर विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ भी उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के शेष में महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। अतः हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार तथा सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अंतरों का समयबद्ध तरीके से समाधान करें।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों की प्रस्तुति

4.8 राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 17 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों समेत 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 31 मार्च 2018 तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की परिधि में थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में अनुपालित समय सीमाओं की अवस्था निम्न विवरणों के अंतर्गत है:

राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में समयबद्धता

4.8.1 सभी क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए लेखाओं को 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि 19 क्रियाशील सरकारी कम्पनियों में से एक सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2017-18 हेतु 30 सितम्बर 2018 तक या उससे पहले भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उसके लेखाओं को प्रस्तुत किया जबकि 18 सरकारी कम्पनियों के लेखा बकाया (शेष) थे। दो सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) में भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक था। इन दो सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम) का वर्ष 2017-18 का लेखा, लेखापरीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत किया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

30 सितम्बर 2018 तक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के प्रस्तुतिकरण हेतु बकाया लेखों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतिकरण से सम्बंधित स्थिति

क्र०सं०	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)	15	15	16	17	19
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	14	13	15	17	11
3.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया	4	1	2	3	1
4.	चालू वर्ष के दौरान विगत वर्ष के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	10	12	13	14	10
5.	बकाया लेखाओं सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	11	14	14	13	18
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	19	21	22	22	30
7.	बकाया की सीमा	एक से तीन साल	एक से चार साल			

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के इन 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान 11 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिनमें वर्ष 2017-18 हेतु एक वार्षिक लेखा तथा विगत वर्षों हेतु दस वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित 30 वार्षिक लेखे बकाया थे जिनका विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने तथा इन संस्थाओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होती है। सम्बंधित विभागों को लेखाओं में बकाया के सम्बन्ध में तिमाहीवार सूचना दी गई।

राज्य के 18 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 8 को, जिनके लेखाओं को निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹426.92 करोड़ (ऋण: ₹8.00 करोड़, सब्सिडी: ₹418.92 करोड़) प्रदान किए जबकि अवधि के दौरान बकाया लेखाओं वाले शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कोई निवेश नहीं किया गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण, जिनके लेखे बकाया है, **परिशिष्ट 4.3** में दर्शाया गया है। यद्यपि राज्य के इन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से चार के चार⁵ लेखाओं को 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए अंतिम रूप दिया गया था तथा अक्टूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि राज्य के अठारह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 26 लेखे, जिनका विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है, दिसम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

चौदह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेखाओं पर अंतिम निर्णय न लेने तथा इसके फलस्वरूप लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेशों एवं किए गए खर्चों का उचित हिसाब रखा गया तथा जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया वह प्राप्त कर लिया गया। अतः इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में समयबद्धता

4.8.2 दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना शेष था, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.6: निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में बकाया लेखाओं से सम्बंधित स्थिति

क्रमांक	निष्क्रिय कम्पनियों के नाम	अवधि, जिसके लिए लेखे बकाया थे
1.	हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड	2001-02 से 2017-18
2.	एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	2014-15 से 2017-18

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधार पर संकलित।

इन दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड के लेखे 2000-01 से परिसमाप्त की प्रक्रिया में थे तथा इसके लेखों को उस अवधि तक अंतिम रूप दिया गया था। एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग लिमिटेड के वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लेखे बकाया थे।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

4.9 दो क्रियाशील सांविधिक निगमों में से हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम ने 2017-18 के लेखाओं को 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत किया।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ये प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखाओं की अवस्था तथा विधायिका में इन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्थानन का विवरण नीचे दिया गया है:

5 हिमाचल कंसल्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थापना की अवस्था

निगमों के नाम	लेखाओं के वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के स्थान का माह
हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	24.03.2018
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2016-17	27.3.2018
	2017-18	अभी रखा जाना है

चेतावनी: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

4.10 जैसा कि परिच्छेद 4.8 में इंगित है लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त जनता के धन की धोखाधड़ी अथवा गबन का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। बकाया लेखाओं की उक्त स्थिति को देखते हुए वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के सकल घेरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी साथ ही राज्य के खजाने में उनकी भागीदारी भी राज्य विधायिका को सूचित नहीं की जा सकी।


अतः प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से निगरानी करने तथा बकाया लेखाओं के परिसमापन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है। सरकार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के निर्माण की कमियों पर ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं के परिसमापन हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

4.11 30 सितम्बर 2018 तक राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त), उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम **परिशिष्ट 4.4** में विवेचित किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार द्वारा किए गए उपक्रमों में निवेश पर उचित प्रतिफल की प्राप्ति अपेक्षित है। विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार तथा अन्य का कुल निवेश ₹1,035.07 करोड़ की इकिवटी व ₹456.91 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों को मिलाकर ₹1,491.98 करोड़ था। इसमें से ₹1,216.59 करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्युत क्षेत्र को छोड़कर 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जिसमें ₹1,001.20 करोड़ की इकिवटी और ₹215.39 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल थे।


2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है:



कम्पनी की लाभप्रदता का पारंपरिक मूल्यांकन निवेश के प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी के प्रतिफल से किया जाता है। निवेश का प्रतिफल, तथा वर्ष में निवेशित धन की राशि से सम्बंधित लाभ एवं हानि से मापा जाता है तथा यह सकल निवेश पर हुए निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी का प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता, जिसके साथ इसकी पूँजी का प्रयोग किया जाता है, को मापता है।

निवेश पर प्रतिफल

4.12 निवेश पर प्रतिफल सकल निवेश पर लाभ अथवा हानि का प्रतिशत होता है। राज्य के 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 2013-14 से 2017-18 के दौरान अर्जित/खर्च हुए लाभ/हानियों⁶ की समग्र स्थिति निम्न ग्राफ में दर्शाई गई है:



इन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2013-14 में हुई ₹112.37 करोड़ की हानियां, 2017-18 में घटकर ₹84.85 करोड़ रह गई। राज्य के इन 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹24.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा छ:

6 आंकड़े सम्बंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹108.88 करोड़ की हानि हुई, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उनके प्रथम लाभ व हानि के लेखों नहीं बनाए तथा एक⁷ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने न लाभ न हानि का लेखा तैयार किया। 2016-17 के दौरान हुआ लाभ इस तथ्य के कारण था कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 में हानियों क्रमशः ₹172.70 करोड़ एवं ₹95.27 करोड़ के प्रति 2016-17 में ₹1.73 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। जिसका विवरण परिशिष्ट 4.4 में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (₹10.07 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (₹6.72 करोड़) सर्वाधिक लाभ प्रदाता कम्पनियां थीं जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹95.27 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹5.50 करोड़) भारी घाटे में रही।

19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 31 मार्च 2018 तक 2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले/हानि उठाने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.8: 2013-14 से 2017-18 के दौरान नवीनतम् अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार लाभ अर्जित/हानि उठाने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	अत्यल्प लाभ/हानि ⁸ अथवा कुछ भी अर्जित न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या
2013-14	15	8	4	3
2014-15	15	6	8	1
2015-16	16	7	5	3
2016-17	17	11	3	2
2017-18	19	9	5	3

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का प्रतिफल

4.13 राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से में राज्य सरकार ने मात्र 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेशित की। सरकार ने ₹1,001.20 करोड़ की इक्विटी तथा ₹215.39 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों सहित इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹1,216.59 करोड़ निवेशित किए। अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों की गणना निवेश के रूप में नहीं की गई क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं। कुल दीर्घावधि ऋणों में से केवल ब्याज रहित ऋणों को ही निवेश के रूप में लिया गया। यद्यपि, उन मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ब्याज रहित ऋणों को चुका दिया गया था, वहां ऐतिहासिक लागत पर आधारित निवेश के मूल्य तथा वर्तमान मूल्य की गणना अवधि में ब्याज रहित ऋणों के घटाए गए शेषों से की जाती है, जो कि तालिका 4.9 में वर्णित है:

₹215.39 करोड़ के अवमुक्त दीर्घावधि ऋणों में से ₹53.95 करोड़ ब्याज रहित ऋण थे जो कि अवधि में ब्याज रहित ऋणों से घटाए गए शेषों पर आधारित थे। अतः इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का कुल निवेश ₹1,055.15 करोड़ (₹1,001.20 करोड़ + ₹53.95 करोड़) था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित निवेश का प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

⁷ हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित।

⁸ 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने 2016-17 से 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश बिवरेज लिमिटेड ने तथा 2017-18 के दौरान धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने उनके प्रथम अंतिम रूप दिए लेखे तैयार नहीं किए थे।

तालिका 4.9: निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

वर्ष	कुल अर्जन (₹ करोड़ में)	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋणों के रूप में निवेश (₹ करोड़ में)	ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का प्रतिफल (प्रतिशत)
2013-14	-112.37	836.45	-13.43
2014-15	-98.93	881.38	-11.22
2015-16	-175.79	939.19	-18.72
2016-17	10.21	996.32	1.02
2017-18	-84.08	1,055.15	-7.97

राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल राज्य सरकार के निवेशों की लागत से इन सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अर्जन⁹ को विभाजित करके निकाला जाता है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल -18.72 प्रतिशत से 1.02 प्रतिशत के मध्य रहा। हिमाचल पथ परिवहन के घाटों में वृद्धि के कारण 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल का 2016-17 की अवधि के प्रतिफल की तुलना में घट गया।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश का प्रतिफल

4.14 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता के आकलन हेतु उन राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रवाहित की गई थीं, के संदर्भ में निवेश की तुलना में अर्जन का विश्लेषण किया गया। प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत पर आधारित होने से निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता को भली प्रकार से सूचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी गणनाएं धन के वर्तमान मूल्य को उपेक्षित कर देती हैं। इसलिए विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त शेष 18 कम्पनियों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निधियों पर ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त निवेश के प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए की गई। इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक, जहां राज्य सरकार द्वारा इक्विटी तथा ब्याज रहित ऋण के रूप में निधियां प्रवाहित की गई, वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान वर्ष 2016-17 में इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निवेश पर धनात्मक प्रतिफल दिया। अतः इस वर्ष हेतु निवेश पर प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की गई तथा दर्शाई गई।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना (परिकलन) निम्नलिखित मान्यताओं पर की गई:

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा प्रवाहित निधि के रूप में माना जाता है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति में वर्तमान मूल्य की गणना अवधि में ब्याज रहित ऋणों के कम किए गए शेषों पर की जाती है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियां निवेश के रूप में नहीं मानी जाती क्योंकि ये परिच्छेद 4.13 में संकेतित सब्सिडी की प्रकृति के अनुसार निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं।
- वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए सम्बंधित वित्तीय वर्ष¹⁰ हेतु सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को छूट की दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के लिए सरकार द्वारा निवेशित निधियों के प्रति खर्च हुई लागत को प्रस्तुत करता है।

⁹ इसमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में सम्बंधित वर्ष हेतु निवेश लाभ/हानियां सम्मिलित हैं

¹⁰ सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को सम्बंधित वर्ष हेतु राज्य के वित्तों (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से अपनाया गया था जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर हेतु गणना = ब्याज भुगतान/ [(गत वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] *100

2015-16 तथा 2017-18 में इन 21 कम्पनियों में जब घटे हुए, तब हानियों के कारण हुआ नेटवर्थ का क्षण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। कम्पनी की नेटवर्थ क्षण पर परिच्छेद 4.17 में टिप्पणी की गई है।

4.15 2000-01 से 2017-18 की अवधि के लिए राज्य के इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति परिशिष्ट 4.5 में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि हेतु इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 4.10: 2000-01 से 2017-18 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षावार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रवाहित इक्विटी	वर्ष ¹¹ के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत बमूल करने के लिए सम्भावित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष ¹² हेतु कुल अर्जन
i	ii	iii	iv=ii+iii	v	vi=iv (1+v/100)	vii=iv*v/100	viii	
1999-2000 तक	-	300.03	0.49	300.52	8.83	327.06	26.54	-
2000-01	327.06	32.48	1.51	361.05	10.15	397.69	36.65	-49.50
2001-02	397.69	13.01	-	410.70	11.06	456.13	45.42	-36.70
2002-03	456.13	12.43	-	468.56	10.37	517.14	48.59	-29.19
2003-04	517.14	28.60	-	545.74	10.98	605.67	59.92	-31.10
2004-05	605.67	16.06	-	621.73	10.60	687.63	65.90	43.44
2005-06	687.63	13.99	0.15	701.77	9.20	766.33	64.56	-30.72
2006-07	766.33	14.27	-	780.60	9.40	853.98	73.38	-62.08
2007-08	853.98	37.82	2.25	894.05	9.09	975.32	81.27	-46.66
2008-09	975.32	54.46	-0.10	1,029.68	9.19	1,124.31	94.63	-33.88
2009-10	1,124.31	117.16	-	1,241.47	8.59	1,348.11	106.64	-55.92
2010-11	1,348.11	34.61	-	1,382.72	7.78	1,490.29	107.58	-38.15
2011-12	1,490.29	26.94	9.50	1,526.73	7.80	1,645.82	119.09	-72.06
2012-13	1,645.82	45.76	5.00	1,696.58	8.08	1,833.66	137.08	-88.46
2013-14	1,833.66	67.49	2.54	1,903.69	7.71	2,050.47	146.77	-112.41
2014-15	2,050.47	44.93	-	2,095.40	7.91	2,261.14	165.75	-98.97
2015-16	2,261.14	43.27	14.54	2,318.95	7.95	2,503.31	184.36	-175.83
2016-17	2,503.31	47.06	10.07	2,560.44	7.60	2,755.04	194.59	10.21
2017-18	2,755.04	50.83	8.00	2,813.87	7.71	3,030.81	216.95	-84.08
योग		1,001.20	53.95					

2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के इक्विटी (₹701.15 करोड़) तथा ब्याज रहित ऋणों (₹53.46 करोड़) के रूप में आगामी निवेशों के कारण से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹300.52 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में वर्ष के अंत तक ₹1,055.15 करोड़¹³ हो गया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा प्रवाहित निधियों का वर्तमान मूल्य ₹3,030.81 करोड़ था। इन कम्पनियों से सम्बन्धित वर्ष का कुल अर्जन 2000-01 से 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान ऋणात्मक ही रहा जो दर्शाता है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन करने के बजाय ये कम्पनियां

¹¹ इस कॉलम में दर्शाए गए ब्याज रहित ऋणों के नकारात्मक आंकड़े सम्बन्धित वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान को प्रस्तुत करते हैं।

¹² उन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सम्बन्ध में जहां राज्य सरकार ने निधियां निवेशित की हैं, सम्बन्धित वर्ष का कुल अर्जन उस वर्ष हेतु कुल निवल अर्जन (लाभ/हानि) से दर्शाया जाता है। किसी वर्ष के दौरान यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वार्षिक लेखों बकाया है तो उस वर्ष हेतु निवल अर्जन नवीनतम लेखापरीक्षा लेखों के अनुसार लिया जाता है।

¹³ ₹1,001.38 करोड़ + ₹53.95 करोड़ = ₹1,055.32 करोड़।

निधियों की लागत भी वसूल नहीं पाई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 का कुल धनात्मक अर्जन भी विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त इन कम्पनियों में किए गए निवेश के प्रति अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से भी काफी कम रहा।

4.16 जैसा कि वर्ष 2016-17 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को निवेश पर धनात्मक प्रतिफल मिला, इस वर्ष के लिए ऐतिहासिक लागत पर तथा वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार की निधियों के प्रतिफलों का क्षेत्रवार तुलनात्मक अध्ययन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार विवरण	कुल अर्जन	ऐतिहासिक लागत पर इन्वेस्टी व ब्याज रहित ऋणों के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निधियाँ	ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	वर्ष के अंत तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशों के वर्तमान मूल्य का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)
1	2	3	4 = 2/3 x100	5	6
2016-17					
कृषि एवं संबद्ध	-6.06	120.44	-5.03	335.76	-1.81
वित्तपोषित	9.79	127.23	7.69	317.88	3.08
अवसंरचना	-5.29	55.82	-9.48	252.37	-2.10
उत्पादन	5.47	7.04	77.56	29.49	18.51
सेवा	6.3	685.79	0.92	1,819.54	0.35
कुल	10.21	996.32	1.02	2,755.04	0.37

2016-17 में ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल 1.02 प्रतिशत था जबकि इसी वर्ष के दौरान निवेशों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की निधियों पर अर्जित प्रतिफल 0.37 प्रतिशत था।

नेट वर्थ (निवल मूल्य) का क्षरण

4.17 नेट वर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष (प्रदत्त पूँजी + मुक्त भण्डार + अधिशेष - संचित हानियाँ + आस्थगित राजस्व व्यय)। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्थ दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के पूँजीगत निवेश एवं संचित घाटे क्रमशः ₹977.54 करोड़ तथा ₹1,448.97 करोड़ थे जिसका परिणाम ₹-471.43 करोड़ के नेट वर्थ में हुआ जो कि परिशिष्ट 4.4 में विवेचित है। विगत तीन वर्षों से राज्य सरकार द्वारा अनुदानों एवं सब्सीडियों के रूप में दी गई ₹1,552.83 करोड़ की वित्तीय सहायता के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेट वर्थ में सुधार नहीं हुआ। निवेश तथा संचित घाटों के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से नौ में नेट वर्थ पूरी तरह से घट गया था क्योंकि इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूँजीगत निवेश एवं संचित घाटे क्रमशः ₹879.58 करोड़ व ₹1,556.38 करोड़ थे। इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से नेट वर्थ का सर्वाधिक क्षरण हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹1,113.91 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹166.56 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (₹83.20 करोड़) तथा एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (₹78.23 करोड़) में हुआ। इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से जहां नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, तीन¹⁴ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया तथापि, इनमें पर्याप्त संचित घाटे थे।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की गई ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 18 कम्पनियों की कुल भुगतान की गई पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि तथा कुल निवल मूल्य को निम्न तालिका दर्शाती है:

¹⁴ 2015-16 हेतु हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड 2015-16 हेतु हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित तथा 2000-01 हेतु हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड।

**तालिका 4.12: 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्थ
(₹ करोड़ में)**

वर्ष	वर्ष के अंत तक भुगतान की गई पूँजी	वर्ष के अंत तक संचित लाभ (+) हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2013-14	803.85	-1,089.18	-	-285.33
2014-15	844.63	-1,190.75	-	-346.12
2015-16	885.87	-1,366.15	-	-480.28
2016-17	930.74	-1,187.79	-	-257.05
2017-18	976.47	-1,445.90	-	-469.43

यह देखा जा सकता है कि अवधि के दौरान इन कम्पनियों के नेट वर्थ में उतार-चढ़ाव हुआ। यह 2013-14 में ₹ -285.33 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ -469.43 करोड़ रह गया। 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों¹⁵ ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान धनात्मक नेट वर्थ दर्शाया तथा आठ¹⁶ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक था। एक¹⁷ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने उसका पहला वार्षिक लेखा नहीं बनाया है।

लाभांश भुगतान

4.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अप्रैल 2011) जिसके अंतर्गत समस्त लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं, को छोड़कर) से राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त प्रदत्त पूँजी पर पांच प्रतिशत न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान अपेक्षित है जो कर के उपरांत लाभ के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक हो सकता है। नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखाओं के अनुसार सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹21.22 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र दो¹⁸ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2016-17 के दौरान ₹1.89 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया। शेष पांच लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राज्य सरकार को किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया।

इकिवटी पर प्रतिफल

4.19 इकिवटी पर प्रतिफल वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह निर्धारित करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग, लाभ सृजित करने के लिए, कर रहा है तथा शेयर धारकों की निधि से शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को विभाजित करके (भाग देकर) इसकी गणना की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है तथा किसी भी कम्पनी की यदि शुद्ध आय तथा शेयर धारकों की निधि, दोनों ही धनात्मक संख्या हो तब इसकी गणना की जा सकती है।

कम्पनी के शेयर धारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त भण्डार, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह प्रकट करती है कि यदि सभी परिस्मृतियां बेच दी जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब स्टेक्होल्डर (हितधारकों) के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिस्मृतियां रखती हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इकिवटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिस्मृतियों से अधिक हैं।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त अन्य 18 उपक्रमों के संदर्भ में जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रवाहित की गई थीं, इकिवटी पर प्रतिफल की गणना की गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र

¹⁵ हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य सिंसिल आपूर्ति निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम।

¹⁶ हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश वर्षटन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग लिमिटेड।

¹⁷ हिमाचल प्रदेश बैंकरेज लिमिटेड।

¹⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित।

के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.13: 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सम्बन्ध में, इक्विटी पर प्रतिफल जहां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियां प्रवाहित की गई थीं,

वर्ष	निवल आय	शेयरधारकों की निधि	इक्विटी पर प्रतिफल
		₹ करोड़ में	%
2013-14	-112.41	-285.33	-
2014-15	-98.97	-346.12	-
2015-16	-175.83	-480.28	-
2016-17	10.21	-257.05	-
2017-18	-84.08	-469.43	-

मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान 2013-14 से 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान निवल आय ऋणात्मक थी तथा केवल 2016-17 के दौरान निवल आय धनात्मक थी। जब तक इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवल आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी। तथापि, ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक हैं।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

4.20 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो कम्पनी की लाभ प्रदत्ता तथा इसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता से मापा जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल¹⁹ की गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज व करों के पूर्व कम्पनी के अर्जित लाभांश से की जाती है। 2013-14 से 2017-18 अवधि के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभ	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (%)
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)	
2013-14	-83.01	120.46	-68.91
2014-15	-99.33	259.42	-38.29
2015-16	-177.91	-58.56	लागू नहीं
2016-17	23.87	226.04	10.56
2017-18	-69.77	20.87	-334.31

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल -334.31 प्रतिशत तथा 10.56 प्रतिशत के बीच रहा। 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रतिफल काफी हद तक घट गया और हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 के दौरान हुए घटे की वृद्धि के कारण ऋणात्मक प्रतिफल में परिवर्तित हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों, जो कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रभावन क्षमता रखते थे, कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण चुकाने की क्षमता के आकलन का विश्लेषण किया गया था। यह आकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

¹⁹ नियोजित पूँजी = ग्राप धनी का अंश + फ्री रिजर्व व अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है।

ब्याज कवरेज अनुपात

4.22 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान क्षमता के निर्धारण के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उसी अवधि के ब्याज खर्चों से, ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभांश को विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता उतनी ही कमतर होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने ब्याज के खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं कर रहे। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 4.15: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज	ब्याज व करों के पूर्व अर्जित	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन पर सरकार, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है
		(₹ करोड़ में)		संख्या में	
2013-14	19.26	-83.01	11	-	11
2014-15	18.45	-99.33	11	-	11
2015-16	40.35	-177.91	10	-	10
2016-17	36.00	23.87	12	-	12
2017-18	35.05	-69.77	12	-	12

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) पर 2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की देयता होने के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था जो कि अपने ब्याज के खर्चों को पूरा करने योग्य पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं कर सके।

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.23 विगत पांच वर्षों के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 7.43 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई तथा ऋण की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 4.66 प्रतिशत थी जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 0.19 से 2017-18 में घटकर 0.17 रह गया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.16: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सम्बंध में ऋण टर्नओवर अनुपात
(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार तथा अन्य (बैंक व वित्तीय संस्थाएं) से ऋण	410.31	407.23	426.84	395.84	492.30
टर्नओवर	2,122.23	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,826.45
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.19:1	0.18:1	0.17:1	0.14:1	0.17:1

नोट: परिणाम 4.4 के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण टर्नओवर अनुपात 0.19 तथा 0.17 के मध्य था। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान सकल संचित घाटों में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम के संचित घाटों का बढ़ना था।

राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

4.24 राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से दो निष्क्रिय कम्पनियों का 31 मार्च 2018 तक पूँजीगत (₹18.64 करोड़) तथा दोषावधि ऋणों (₹60.15 करोड़) में ₹78.79 करोड़ का कुल निवेश था (एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग लिमिटेड में ₹77.87 करोड़ तथा हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड में ₹0.92 करोड़)। 31 मार्च 2018 की समाप्ति से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4.17: राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निष्क्रिय कम्पनियों की संख्या	2	2	2	2	2

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में समिलित जानकारी से संकलित।

हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थी जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड के सम्बंध में परिसमापन प्रक्रिया अभी प्रारंभ की जानी है। सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में उचित निर्णय ले सकती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियां

4.25 ग्रायारह क्रियाशील कम्पनियों ने 01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान महालेखाकार को 11 लेखापरीक्षित लेखे अग्रेषित किए। सभी लेखाओं का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का विवरण निम्नवत् है:

तालिका 4.18: क्रियाशील कम्पनियों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	4.99	6	1.72	5	5.29
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.66	1	0.09	1	0.28
3.	हानि में वृद्धि	2	6.34	1	0.06	2	0.66
4.	हानि में कमी	2	1.29	2	0.70	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का गैर प्रकटीकरण	2	3.93	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	0.34	-	-	-	-

स्रोत: सांविधिक नियमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आठ लेखाओं को अर्हक (क्वालीफाईड) प्रमाण पत्र तथा दो लेखाओं को एडवर्स प्रमाण पत्र जारी किए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब ही रही क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों की गैर-अनुपालना के पांच उदाहरणों का उल्लेख किया।

4.26 राज्य में दो सांविधिक नियम अर्थात् (i) हिमाचल पथ परिवहन नियम तथा (ii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम हैं। हिमाचल पथ परिवहन नियम के सम्बंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है।

इन दो क्रियाशील सांविधिक नियमों में से एक नियम (हिमाचल प्रदेश वित्त नियम) ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक लेखे 01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 के दौरान अग्रेषित किए। दोनों ही लेखाओं का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु कर लिया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हिमाचल प्रदेश वित्त नियम के वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक लेखों को सीमित प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल पथ परिवहन नियम के मामलों में नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने 2016-17 के लेखाओं पर 'सत्य तथा निष्पक्ष' प्रमाण पत्र प्रदान किया।

सांविधिक निगमों के संदर्भ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	1	2.50	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	49.19	-	-	1	34.90
4.	हानि में कमी	1	0.04	1	0.47	1	0.36
5.	सामग्री तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	1	0.57	-	-	-	-
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-

स्रोत: सांविधिक निगमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

4.27 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम से सम्बंधित सात अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों को प्रत्युत्तर की प्रस्तुति के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। किसी भी अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ था। इन अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹56.22 करोड़ था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

4.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समिति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे।

तालिका 4.20: विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं		
		निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2016-17	05.04.2018	-	4	-	3

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

दो विभागों के तीन²⁰ अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां सितम्बर 2018 तक लम्बित थीं। यद्यपि, एक विभाग से एक अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अक्टूबर 2018 में प्राप्त हुई थीं।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

4.29 30 सितम्बर 2018 तक निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, की अवस्था नीचे दी गई है:

तालिका 4.21: सितम्बर 2018 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए हैं और जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2010-11	-	6	-	6
2011-12	-	8	-	8
2012-13	-	7	-	7
2013-14	-	5	-	2
2014-15	1	3	0	2
2015-16	1	2	0	0
2016-17	-	4	-	0

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक उपक्रम समिति की परिचर्चा के आधार पर संकलित।

2012-13 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर परिचर्चा पूर्ण कर ली गई थी।

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

4.30 मार्च 2017 तथा फरवरी 2018 के मध्य राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए गए लोक उपक्रम समिति के चार प्रतिवेदनों पर एकशन टेक्न नोट्स (कार्रवाई लेने सम्बंधी टिप्पणियां) जो कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित थे, प्राप्त नहीं हुए (30 सितम्बर 2018) थे जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

²⁰ हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (01) तथा हिमाचल पर्वटन एवं विकास निगम सीमित (02) से सम्बंधित तीन अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद।

तालिका 4.22: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2014-15	4	23	14
2015-16	4	10	6
2016-17	4	8	8
2017-18	5	31	26

नोट: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर प्राप्त एक्शन टेकन नोट्स के आधार पर संकलित।

ऊपर दर्शाई गई लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में एक्शन टेकन नोट्स मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

अध्याय - V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय-V

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालना लेखापरीक्षा टिप्पणियां

हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड

5.1 सॉफ्टवेयर का अनुचित क्रय

विजियो सॉफ्टवेयर को अनावश्यक रूप से शामिल करने के कारण अतिरिक्त लागत से कम्पनी अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹84 लाख रुपये नहीं किए जा सके साथ ही ₹27.82 लाख के ब्याज की हानि भी हुई।

2014-15 के बजट भाषण के दौरान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राजीव गांधी डिजिटल स्टूडेंट योजना के अन्तर्गत 7,500 लैपटॉप प्रदान करने की घोषणा की थी। तदनुसार निदेशक, उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार (शिक्षा विभाग) ने प्रोफार्मा बीजक पर हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को 7,500 लैपटॉप आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये। कम्पनी ने (जुलाई 2014) में 7,500 लैपटॉप के उपार्जनार्थ अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित की। शिक्षा विभाग से प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार लैपटॉप को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की शेप द प्यूचर स्कीम के अन्तर्गत माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सल तथा पॉवर प्वाइट पूर्ववत् से लोड करना अपेक्षित था।

कम्पनी ने मैसर्ज एसर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एल-1 बोलीदाता) को ₹14.74 करोड़ वैट सहित 7,500 लैपटॉप की आपूर्ति हेतु आदेश दिया (मार्च 2015)। यद्यपि विजियो सॉफ्टवेयर¹ मांग/अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट) का हिस्सा नहीं था परन्तु माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि ने इसे शेप द प्यूचर स्कीम के अन्तर्गत शामिल बताया तदनुसार कम्पनी ने इनोवेटिव सिक्योर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल) को ₹1.95 करोड़ (सेवा कर एवं वैट सहित) में विजियो सॉफ्टवेयर के 7,500 लाईसेंसों की आपूर्ति का आदेश भी दे दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (आईटी), ने इसी व्यवस्था के अन्तर्गत 10,000 लैपटॉप के द्वितीय उपार्जन आदेश के समय माइक्रोसॉफ्ट के मार्केटिंग एक्जक्यूटिव से पता किया (मार्च 2016) कि क्या शेप द प्यूचर स्कीम के अन्तर्गत माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1, एमएस वर्ड, एमएस एक्सल तथा पॉवर प्वाइट सहित विजियो सॉफ्टवेयर को भी शामिल किया है, तथा क्या इसे स्कीम से निकाला जा सकता था, जैसा कि शिक्षा विभाग के लिए अपेक्षित नहीं था। प्रतिक्रिया में माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2016) कि शेप द प्यूचर स्कीम में केवल एमएस ऑफिस तथा विंडोज शामिल है तथा किसी अन्य उत्पाद को शामिल करना जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, वह ग्राहक का विशेषाधिकार है, अनिवार्य नहीं है।

कम्पनी ने 2015-16 के दौरान आईएसटीपीएल को जारी (अप्रैल 2016) विजियो सॉफ्टवेयर के दूसरे आपूर्ति आदेश को रद्द कर दिया (अप्रैल 2016) व इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ 2014-15 के दौरान उनके प्रतिनिधि द्वारा भ्रामक जानकारी प्रदान करने के कारण पहले से ही आपूर्ति 7,500 विजियो

¹ विजियो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विभिन्न प्रकार के आरेख चित्रित करने हेतु सॉफ्टवेयर है। इसमें प्रवाह चार्ट, नियमावली चार्ट, भवन योजना, मंजिल योजना, डेटा प्रवाह आरेख, प्रक्रिया प्रवाह आरेख, व्यवसाय प्रक्रिया नमूना, 3डी नक्शे तथा अन्य बहुत कुछ सम्मिलित हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है, जो एम.एस. ऑफिस के अतिरिक्त बेचा जाता है।

सॉफ्टवेयर के मामले को उठाया (जुलाई 2016 तथा इसके आगे)। माइक्रोसॉफ्ट आईएसटीपीएल के माध्यम से उठाए मामले पर राशि को वापस करने के लिए सहमत हो गई (जनवरी 2017)। यदि कम्पनी सीधे तौर पर पहले ही दृष्टांत में माइक्रोसॉफ्ट से शेप द फ्यूचर स्कीम के अन्तर्गत माइक्रोसॉफ्ट विडोंज 8.1, एमएसवर्ड, एमएसएक्सल एवं पावर प्लाइंट सहित विजियो सॉफ्टवेयर के तथ्यों को सत्यापित करती तो, इन हालात से बचा जा सकता था। यद्यपि, ₹1.95 करोड़ के कुल अतिरिक्त भुगतान में से कम्पनी ने केवल ₹1.11 करोड़ (जून 2017 के दौरान ₹0.91 करोड़ तथा जुलाई 2017 के दौरान ₹0.20 करोड़) वसूल किए तथा ₹84.00 लाख अवसूलित थे। यह ₹84.00 की अवसूलित राशि आईएसटीपीएल द्वारा करों एवं शुल्कों (सेवा कर, वैट, आयकर आदि) के कारण काट ली गई थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कम्पनी पूर्ण लागत को वसूलने में विफल रही तथा विजियो सॉफ्टवेयर को अनुचित व्यापार पद्धति से बेचने के लिए आईएसटीपीएल के विरुद्ध 15 माह बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने अथवा आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की।

अतः कम्पनी अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने में विफल रही तथा माइक्रोसॉफ्ट से सीधे तौर पर तथ्यों को सत्यापित किए बिना विजियो सॉफ्टवेयर की अनावश्यक खरीद से अतिरिक्त लागत बढ़ी। इसके अतिरिक्त करों एवं शुल्कों की राशि को प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, परिणामतः सितम्बर 2019 तक ₹27.82² लाख तक के ब्याज हानि सहित ₹84.00 लाख वसूल नहीं किए गए।

प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना एवं तथ्यों का सम्पूर्ण सत्यापन सीधे आपूर्तिकर्ता से करने के उपरांत ही खरीद आदेश ग्राहक की आवश्यकतानुसार जारी किया जाए।

मामला सरकार/प्रबंधन को सूचित किया (अगस्त 2018) गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2019) था।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

5.2 ऋणी को अनुचित लाभ का विस्तार

कम्पनी के डिक्री के निष्पादन में विफल रहने एवं एकमुश्त निपटान की निर्धारित सीमा से नीचे ऋण को समायोजित करने के परिणामस्वरूप ऋणी को ₹22.67 लाख का अनुचित लाभ दिया गया।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (कम्पनी) औद्योगिक उपक्रमों को मध्यम एवं दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है। ऋणी द्वारा ऋण अथवा किसी किशत के पुर्नभुगतान की चूक के मामले में राज्य वित्तीय निगम के अधिनियम, 1951 की धारा 29 एवं 30 में प्रावधान है कि निगम को सम्बन्धित उद्योग को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा एवं ऋणी द्वारा गिरवी, बंधक, रेहनाम अथवा सौंपी गई सम्पत्ति को बेचने का अधिकार होगा। आगे राज्य वित्तीय निगम के अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि कम्पनी प्रतिभूति के रूप में गिरवी, बंधक, रेहन तथा सौंपी गई सम्पत्ति को बेचने हेतु जिला न्यायाधीश से आदेश लेने हेतु आवेदन कर सकती है।

कम्पनी ने गांव चौरी, उप-तहसील जुंगा, जिला शिमला में होटल बनाने हेतु ऋणी³ को अवधि ऋण ₹28.66 लाख एवं सुलभ ऋण ₹10.00 लाख संस्वीकृत (फरवरी 2004) किया। ऋण का पुर्नभुगतान अक्टूबर 2005 से आरम्भ करके अप्रैल 2011 तक 23 त्रैमासिक किश्तों में निर्धारित किया गया। प्रतिभूति हेतु

² ₹84,00,000 x 8.11 प्रतिशत x 49 मास (सितम्बर 2015 से सितम्बर 2019)

³ क्योथल हेरिटेज

ऋणी ने भौतिक प्रतिभूति के रूप में 17 बिस्वा भूमि जिस पर भवन निर्मित किया था तथा अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में 16 बीचा भूमि को गिरवी रखा। संस्वीकृत ऋण के प्रति, ऋणी ने जुलाई 2004 तथा मई 2005 के मध्य ₹22.50 लाख का ऋण प्राप्त (सुलभ ऋण ₹4.36 लाख सहित) किया। ऋणी शुरू से ही (अक्टूबर 2005) ऋण के पुर्नभुगतान में दोषी था, परिणामतः कम्पनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया (मार्च 2006), उसके पश्चात, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत ₹1.78 लाख ब्याज सहित समस्त बकाया ऋण ₹22.50 लाख की मांग हेतु स्मरण नोटिस किया (मई 2006)। ऋणी स्मरण नोटिस का जवाब देने में विफल रहा तथा कम्पनी ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत वसूली हेतु जिला न्यायाधीश न्यायालय में केस दायर किया (सितम्बर 2006) जो कि अंततः लम्बी मुकद्दमेबाजी के पश्चात, सितम्बर 2014 में कम्पनी के पक्ष में ₹26.52 लाख (31-08-2006 तक बकाया) पर 01.09.2006 से भुगतान की तिथि तक, ब्याज की सहमत दरों के साथ भुगतान सहित डिक्री हुआ।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इसी समय ऋणी ने एक मुश्त निपटान के अन्तर्गत ऋण को चुकाने के लिए कम्पनी से सम्पर्क किया (अगस्त 2014)। एक मुश्त निपटान स्कीम के अनुसार, जिसे कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा वर्ष 2010 में अनुमोदित किया गया था न्यूनतम एक मुश्त निपटान राशि किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक व अतिरिक्त प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के 90 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। कम्पनी ने एकमुश्त निपटान के अन्तर्गत वसूलीयोग्य राशि ₹72.67 लाख के प्रति ऋणी द्वारा दिए गए ₹50 लाख के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2014)। अंततः ऋणी ने सितम्बर 2016 के दौरान एक मुश्त निपटान की राशि को विलम्बित भुगतान के ब्याज के साथ चुकाया। ऋणी द्वारा ₹50 लाख के एकमुश्त निपटान के प्रस्ताव को स्वीकार करते समय प्राथमिक एवं अतिरिक्त प्रतिभूति (₹93.20 लाख) की वसूलीयोग्य 90 प्रतिशत राशि ₹83.88 लाख के प्रति कम्पनी ने स्कीम के दिशानिर्देशों को अनदेखा किया। इसके अतिरिक्त, ₹93.20 लाख की सकल प्रतिभूति रखने के बावजूद भी कम्पनी ने कानूनी डिक्री के निष्पादन का विकल्प नहीं चुना, जैसे कि इसकी न्यायालय ने भी अनुमति दी थी। जिससे वह ₹72.67 लाख ब्याज सहित वसूल कर सकती थी।

इस प्रकार कम्पनी डिक्री के कार्यान्वयन में एवं एकमुश्त निपटान के अंतर्गत ऋण समायोजन में विफल रही। एकमुश्त निपटान स्कीम की निर्धारित सीमा के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ऋणी को ₹22.67 लाख का अनुचित लाभ दिया।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2018) कि व्यावहारिक रूप में समस्त राशि की वसूली हेतु रहन भूमि को बेचना बहुत कठिन होगा।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी ने रहन भूमि को नीलाम करने हेतु प्रयत्न नहीं किए थे तथा अपनी एकमुश्त निपटान स्कीम के अंतर्गत निर्धारित 90 प्रतिशत की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करके कर्जदार के एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को स्वीकार किया था।

भविष्य में प्रबन्धन को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी स्कीम/दिशा-निर्देशों के अनुसार एक मुश्त निपटान स्कीम के सभी मामलों का निपटान सख्ती से करना चाहिए।

मामला सरकार को सूचित किया गया था (अप्रैल 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड

5.3 निजी पार्टीयों को अनुचित लाभ

मासिक बिक्री पर मात्रा छूट अनुमत करते समय उधार बिक्री का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप ₹55.65 लाख की अस्वीकार्य नकद छूट दी गई।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपने मैहतपुर एवं परवाणू स्थित देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र में देशी शराब निर्मित करती है। राज्य के प्रत्येक जिले में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को इसकी शराब थोक में बेचने हेतु वितरकों को कमीशन के आधार पर कम्पनी ने खुली निविदाओं के माध्यम से निजी पार्टीयों को नियुक्त किया। नियुक्त वितरक देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र से या तो नकद भुगतान से या उधार बिक्री के आधार पर शराब को उठाता है।

कम्पनी ने शराब की बिक्री एवं नकद भुगतान प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु मात्रा छूट की स्कीम को आरम्भ किया (अप्रैल 2008)। स्कीम के अनुसार, छूट केवल उक्त मास के दौरान वितरकों द्वारा नकद आधार पर उठाई गई मात्रा पर लागू थी। प्रतिमास छ: से 20 ट्रकों को उठाने पर छूट की दर ₹8 प्रति बक्सा⁴ तथा ₹13 प्रति बक्सा के मध्य और 5 ट्रकों को उठाने हेतु छूट दर निविदा दरों के अनुसार अनुमत्य थी।

2008–2010 के दौरान अस्वीकृत भुगतान से सम्बन्धित ₹19.84 लाख के नकद भुगतान का मापला 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्य) हिमाचल प्रदेश सरकार, के पैरा 4.6 में इंगित किया था। इसकी प्रतिक्रिया में राज्य सरकार ने माननीय सार्वजनिक उपक्रम की समिति में सूचित किया (अक्टूबर 2015) कि पार्टीयों को दिए गए अस्वीकृत राशि के भुगतान को इन पार्टीयों से वसूल किया जा चुका था तथा दोनों देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र के प्रबन्धन को भविष्य में छूट नीति को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दे दिया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया (जुलाई 2017) कि 2014–17 के दौरान सम्बन्धित मास में उधार पर बिक्री के आधार पर उठाई गई शराब की मात्रा का समायोजन न करने के कारण देशी शराब बोतलीकरण संयंत्र परवाणू एवं मैहतपुर के पांच वितरकों को अनुमत ₹2.68 करोड़ की कुल छूट के प्रति ₹3.24 करोड़ की छूट स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप ₹0.56 करोड़ की राजस्व हानि हुई। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि कम्पनी की कार्रवाई से न केवल इसकी बताई छूट पॉलिसी का उल्लंघन हुआ बल्कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम समिति के समक्ष की गई वचनबद्धता की भी उपेक्षा की गई।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि मात्रा पर छूट केवल ऐसी मात्रा पर दी गई जिसके लिए एक विशेष मास में अत्यधिक मात्रा उठाने पर भुगतान प्राप्त कर लिया था शेष मात्रा पर, केवल लदाई-उतराई प्रभार दिए गए। भुगतान में देरी इसलिए हो सकती है क्योंकि ठेकेदार ने चैक सीधे पहुंचाने के बजाय हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम लिमिटेड के बैंक खाते में जमा कराए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी की बारम्बार विफलता के कारण हानि हुई एवं ऐसे उदाहरणों में सार्वजनिक उपक्रम समिति को आश्वासन देने के उपरान्त भविष्य में छूट पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने के

⁴ प्रत्येक बक्से में 12 बोतल सम्मिलित हैं

सम्बन्ध में नियंत्रण/जांच करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, इन वितरकों ने लागत ₹127.12 करोड़ की कुल शराब में से लागत ₹97.66 करोड़ की शराब को केवल मासिक नकद आधार पर उठाया तथा शेष मात्रा उधार पर बेची थी। कम्पनी ने मास के दौरान प्राप्त कुल नकद के आधार पर छूट अनुमत की थी जबकि गत मास की बिक्री के प्रति प्राप्त नकद पर छूट स्वीकार्य नहीं थी। इसके अलावा चैक के माध्यम से प्राप्त भुगतान जो उसी मास के दौरान नहीं निपटाए गए थे उन्हें उस विशेष महीने के लिए नकद बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता।

प्रबन्धन को चूक हेतु जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा भविष्य में ऐसी चूकों से बचने हेतु इसके वित्तीय नियंत्रण का सुव्यवस्थितिकरण करने हेतु विचार करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रेषित किया गया था (मई 2008); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम

5.4 संभाव्य राजस्व की हानि

निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात अप्रैल 2012 से सितम्बर 2019 के दौरान 81 मास से परिसर को किराए पर देने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹24.30 लाख के संभाव्य राजस्व की हानि हुई। यह हानि तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कम्पनी परिसर को किराए पर नहीं दे देती।

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम (कम्पनी) ने अपने बिलासपुर परिसर में राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी मदें आपूर्ति करने हेतु उत्पादन का कार्य लिया। राज्य सरकार ने 2002 में अपने कर्मचारियों के लिए वर्दी की आपूर्ति बंद कर दी, तत्पश्चात इसके उत्पादों की कोई मांग नहीं की गई जिसके फलस्वरूप इस इकाई का संचालन अलाभकारी हो गया। एक हॉल सहित (5,187.06 वर्ग फुट) एवं 300-500 वर्ग फुट के बने चार कमरे सहित परिसर में कुल 2900 वर्गमीटर क्षेत्र शामिल है। क्योंकि कोई उत्पादन गतिविधि नहीं थी इसलिए हॉल के 5,187.06 वर्गफुट क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को (अप्रैल 2007) ₹19,544 प्रति मास किराए पर दिया गया परन्तु उन्होंने (मई) 2009 के दौरान इसे खाली कर दिया।

परिसर को पुनः किराए पर देने के लिए कम्पनी ने समाचार पत्रों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की (4 नवम्बर 2011) और यह निविदाएं 23 नवम्बर 2011 को पार्टियों के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति द्वारा खोली गई। समिति ने तीन प्रतिभागियों के बोलीदाता का मूल्यांकन करने के पश्चात उच्चतम बोली⁵ लगाने वाले को तीन साल की अवधि के लिए ₹25,000/- मासिक किराए पर 3 साल बाद और आगे के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ देने की सिफारिश की। तथापि, प्रबन्धन ने समिति की सिफारिश को इस तर्क पर स्वीकार नहीं किया (अप्रैल 2012) कि किराए पर लेने के लिए उपलब्ध क्षेत्र की तुलना में ₹25,000 कम प्रतीत होते हैं और नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने के आदेश दिए। तत्पश्चात कम्पनी नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने में विफल रही और अभिलेखों पर निष्क्रियता को उचित ठहराने के कोई कारण नहीं दिए गए। इस प्रकार, परिसर को प्रतिमास ₹25,000/- की दर से व तीन वर्ष के बाद 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ किराए पर देने की समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारण कम्पनी अप्रैल 2012 से सितम्बर 2019 तक ₹24.30 लाख के संभाव्य राजस्व को अर्जित करने से वंचित रही। आगे यह हानि और बढ़ेगी जब तक कि

⁵ मैसर्ज गुरु नारायण सूरी एवं कंपनी., लोअर मेन मार्किट, बिलासपुर

कम्पनी परिसर को किराए पर नहीं देती क्योंकि परिसर के खाली/बिना उपयोग रहने के कारण इसके खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रबन्धन ने बताया (मई 2018) कि नवम्बर 2017 के दौरान परिसर मैसर्ज हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड को किराए पर दिया था। प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने परिसर को किराए पर लेने से पहले ही हिमाचल प्रदेश बिवरेज निगम लिमिटेड को बंद करने का निर्णय (जनवरी 2018) ले लिया था।

प्रबन्धन को चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने तथा भविष्य में अपने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विचार करना चाहिए।

मामला सरकार को सूचित किया था (मई 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम

5.5 हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित निक्षेप कार्यों की विषयक लेखापरीक्षा

कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 448 निक्षेप कार्यों का कार्यान्वयन किया जिसमें से 92 कार्यों की जांच की गई और यह पाया गया कि इसने तकनीकी स्वीकृति मिलने के पहले ही कार्यों का निष्पादन प्रारम्भ कर दिया था। कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन कुशल और प्रभावी नहीं था क्योंकि यह प्राप्त धनराशि तक व्यय को लिमिटेड करने (प्राप्त धनराशि से ₹21.29 करोड़ अधिक) और सम्बन्धित ग्राहकों को ₹12.43 करोड़ की बचत को समय पर वापिस करने में विफल रहा। अनुबन्ध की शर्तों का पालन नहीं किया गया जिसका परिणाम ₹4.23 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान/व्यय के रूप में हुआ। निगरानी एवं आन्तरिक नियंत्रण भी अपर्याप्त तथा अप्रभावी था क्योंकि कम्पनी ने कार्यों की प्रगति की निगरानी नहीं की तथा अपने सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित करने में विफल रही।

5.5.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्यार्थ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य सरकार कम्पनी के रूप में निगमित किया गया (नवम्बर 1966) था। कम्पनी मुख्य रूप से विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य निकायों के निक्षेप कार्यों के निष्पादन (सिविल एवं यांत्रिकी लागत + एजेन्सी शुल्क) में संलग्न थी। निक्षेप कार्यों के अतिरिक्त कम्पनी अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही थीं, जैसा कि नीचे वर्णित हैं:

तालिका 5.1: विभिन्न गतिविधियों से अर्जित राजस्व का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	कुल	प्रतिशत योगदान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	निक्षेप कार्यों के निष्पादन पर एजेंसी शुल्क एवं आक्रिमिकता	775.98	1,247.23	1,064.42	3,087.63	54.60
2	औद्योगिक भू-खण्ड के विकास व बिक्री से आय साथ ही सम्बन्धित गतिविधियां	273.47	589.34	544.88	1,407.69	24.89
3	उद्योग को दिए ऋण से ब्याज आय	170.05	98.92	52.18	321.15	5.68
4	लौह एवं इस्पात और स्प्रैटेल के व्यापार से शुद्ध आय	46.54	215.02	191.03	452.59	8.01
5	तारकोल को उठाने एवं ले जाने पर कमीशन	77.16	93.20	109.06	279.42	4.94
6	शैड से होने वाली किराया आय	31.78	33.54	41.10	106.42	1.88
योग		1,374.98	2,277.25	2,002.67	5,654.90	100.00

(स्रोत: वार्षिक लेखे)

कम्पनी ने निक्षेप कार्यों की कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए इसकी स्वयं की नियमावली/कार्य योजना, प्रक्रिया का निरूपण नहीं किया तथापि, कम्पनी की स्वयं की नियमावली प्रक्रिया की अनुपस्थिति में यह निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली/ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित दर-अनुसूची तथा राज्य/केन्द्र सरकार के अन्य दिशा निर्देशों का, जहां कही भी लागू किया हो, अनुसरण कर रही है।

वर्तमान लेखापरीक्षा मार्च 2018 से मई 2018 के मध्य अन्तिम तीन वर्षों अप्रैल 2015 से मार्च 2018 के दौरान निष्पादित निक्षेप कार्यों के मूल्यांकन हेतु की गई। लेखापरीक्षा के अन्तर्गत शामिल अवधि के दौरान कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के 25 विभागों/निकायों के लिए ₹243.16 करोड़ (किए गए कार्य का मूल्य) में 448 निक्षेप कार्यों (कन्दरोड़ी तथा पंडोगा में दो अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के 55 कार्यों सहित) का निष्पादन किया, जिस पर ₹30.88 करोड़ एजेंसी एवं आक्रिमिकता शुल्क अर्जित किया जो कि इसकी आय का कुल 54.60 प्रतिशत था। कुल 448 कार्यों में से 92 कार्यों (कन्दरोड़ी योजना के 31 कार्य तथा पण्डोगा के 24 कार्यों सहित) पर ₹171.83 करोड़ खर्च हुए जिसे सतही यादृच्छिक चयन विधि का उपयोग करके जांच हेतु चयनित किया था।

5.5.2 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त 14 सदस्य शामिल हैं। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी होता है। जिसके अधिनस्थ एक महाप्रबंधक और एक अधीक्षण अभियंता कार्य करते हैं। अधीक्षण अभियंता के अधिनस्थ पांच अधिशासी अभियंता कार्य करते हैं जिसमें से एक मुख्यालय में और चार क्षेत्र मंडल⁵ में कार्य करते हैं।

⁵ शिमला, बद्दी, धर्मशाला और मेहतपुर

5.5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष को व्यापक तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है अर्थात् योजना, वित्तीय प्रबंधन, कार्यों का निष्पादन तथा निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण।

5.5.4 निष्केप कार्यों के निष्पादन हेतु योजना

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली⁶ में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किए जाए।

नमूना-जांचित 92 कार्यों में से, कम्पनी ने बिना तकनीकी स्वीकृति के ₹44.96 करोड़ की अनुमानित लागत के 10 निर्माण-कार्य प्रदान किए तथा जून 2013 एवं नवम्बर 2017 के मध्य ₹27.64 करोड़ के व्योपरांत पूर्ण किया।

5.5.5 वित्तीय प्रबंधन

निष्केप कार्यों में सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन में कम्पनी के बकायों को समय पर एवं त्वरित वसूली करना तथा इसी प्रकार जहां देय हो, त्वरित तरीके से भुगतान करना अंतर्गत है।

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन कुशल तथा प्रभावी नहीं था क्योंकि कम्पनी अपने ग्राहकों से अग्रिम निधि प्राप्त करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। मई 2014 से मार्च 2018 के बीच जमा की गई राशि में से कुल 448 कार्यों में से 85 कार्यों (78 पूर्ण कार्य सहित) पर अधिक व्यय (₹21.29 करोड़) किया गया। अधिक व्यय की गई राशि को अपने स्वयं के संसाधनों से / अन्य कार्यों के लिए प्राप्त धन से परिवर्तित करके पूरा किया गया तथा कम्पनी ग्राहक विभागों से अधिक व्यय को समय पर एकत्र करने में विफल रही। कम्पनी ग्राहक विभागों को बचत के ₹12.43 करोड़ को तुरन्त प्रतिदाय करने में विफल रही, कुल 448 कार्यों में से 93 में ₹0.04 लाख से ₹2.23 करोड़ के मध्य हुई बचत ग्राहक विभागों को प्रतिदाय नहीं की गई।

(i) बयाना जमा राशि (ई.एम.डी.) का अल्प निष्केप

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी (अक्टूबर 2013) दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि बयाना जमा राशि को निर्धारित दरों के अनुसार सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है। इसके बजाय कम्पनी ने अप्रैल 2015 से अप्रैल 2018 के दौरान 330 निविदाओं में कार्यों की अनुमानित लागत के दो प्रतिशत से बयाना जमा राशि निर्धारित की। बयाना जमा राशि दो प्रतिशत पर निर्धारित करने के परिणामस्वरूप बयाना जमा राशि के रूप में ₹1.42 करोड़ का अल्प निष्केप हुआ।

5.5.6 कार्यों का क्रियान्वयन

कम्पनी निविदाएं आमंत्रित करके ठेकेदारों से निष्केप कार्यों का कार्यान्वयन करवाती है।

⁶ परिच्छेद 2.34

निविदा प्रक्रियाओं का पालन न करना

कार्यों के सुचारू निष्पादन एवं उनके सौंपने की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी को मानक निविदा प्रक्रिया का पालन करना अपेक्षित है। निविदा प्रक्रिया का पालन न करने से ध्यान में आई कमियों को नीचे दिया गया है:

- कम्पनी ने धन प्राप्त करने से लेकर काम सौंपने तक सम्मिलित नियत गतिविधियों हेतु निर्धारित समय सीमा के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया। कम्पनी ने निधियों की प्राप्ति के पश्चात नमूना जांचित 92 कार्यों में से 24 कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने, निविदा आमंत्रित करने तथा कार्यों को सौंपने में चार महीने से 20 महीनों का समय लिया। किसी निर्धारित समयावधि के अभाव में, कम्पनी द्वारा लिए गए समय की पर्याप्तता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- जनवरी 2014 से अगस्त 2015 के दौरान कम्पनी ने अपनी शक्तियों के प्रत्यायोजन को अनदेखा करके ₹3.03 करोड़ के छ: कार्यों (₹3.57 लाख से ₹94.76 लाख के मध्य) को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना ही ठेकेदारों को एकल निविदा के आधार पर दिया। एकल निविदा के आधार पर सौंपे गए सम्बन्धित तीन कार्यों के कारण अभिलेख में नहीं थे। यद्यपि अनुमानित लागत ₹53.60 लाख का एक मामला (माता बाला सुन्दरी मंदिर ट्रस्ट, त्रिलोकपुर) जो अत्यावश्यक प्रकृति का था, के लिए एकल निविदा प्राप्त होने के बाद निविदा पुनः आमंत्रित की गई।

5.5.7 समय पर कार्य पूरा न होना

कम्पनी नमूना-जांचित 92 मामलों में से 33 कार्यों को समय पर पूर्ण करने में असफल रही, जिसे कम्पनी को महत्वपूर्ण राजस्व आय की हानि हुई।

भारत सरकार द्वारा ₹183.82 करोड़ के लिए मार्च 2015 में स्वीकृत दो परियोजनाओं⁷ (55 कार्यों सहित) को मार्च 2017 तक दी गई मंजूरी की तारीख से दो साल के भीतर पूरा किया जाना था। तथापि, कम्पनी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कार्य निष्पादित करने की योजना नहीं बनाई थी और दोनों परियोजनाएं (नवम्बर 2018) तक अपूर्ण थी। इन दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परिच्छेद 5.5.8 में विस्तार से चर्चा की गई है।

(i) कार्य को प्रारंभ करने में देरी के कारण संभाव्य आय का नुकसान

माता बाला सुन्दरी मंदिर ट्रस्ट, त्रिलोकपुर (ट्रस्ट) ने इस अनुरोध के साथ कि बाला सुन्दरी मंदिर में कार्य तत्काल आधार पर आरम्भ किया जाये, क्लॉक रूम, जूता रैक और शौचालय के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत ₹53.60 लाख के प्रति ₹27 लाख (दिसम्बर 2014) जारी किए।

कम्पनी ने निविदा आमंत्रित करने में देरी, पुनः निविदा आमंत्रण, प्राप्त एकल बोली के खिलाफ निर्णय न लेने में देरी के कारण कार्य सौंपने में 22 महीनों का समय लिया। यह कार्य मई 2016 तक छ: महीने की निर्धारित अवधि में पूर्ण करने हेतु ₹42.67 लाख के लिए सौंपा गया था (नवम्बर 2015)। ठेकेदार ने कार्य शुरू नहीं किया और कम्पनी प्रभावी ढंग से कार्य की निगरानी करने में विफल रही। हालांकि निर्धारित पूर्णता अवधि छ: महीने थी, लेकिन कम्पनी के बद्दी डिवीजन ने कार्य को रद्द करने (दिसम्बर 2016) के लिए एक वर्ष से अधिक का समय लिया। ट्रस्ट ने कम्पनी से धनराश जारी करने से 23 महीनों का समय व्यतीत होने के पश्चात

⁷ पंडोगा एवं कंदरौरी

कार्य शुरू न करने के कारण ₹27 लाख के प्रतिदाय (दिसम्बर 2016) की मांग की जो कम्पनी द्वारा प्रतिदाय कर दिए गए थे।

इस प्रकार, देशी के कारण कम्पनी ने एजेंसी शुल्क के रूप में ₹4.82 लाख की सम्भावित आय अर्जित करने का अवसर खो दिया। इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट ने कम्पनी को ₹6.45 करोड़ के अन्य दो कार्य भी नहीं सौंपे जिनके प्रारम्भिक अनुमान पहले ही कम्पनी ने ट्रस्ट को सौंप दिए थे। इससे एजेंसी शुल्क के रूप में ₹58.05 लाख (नौ प्रतिशत) की संभाव्य आय का नुकसान हुआ।

(ii) परिशोधित क्षतियों की गैर/अल्प वसूली

24 कार्यों में 18 दिनों से 868 दिनों के मध्य की देरी थी जिसका ब्यौरा परिशिष्ट 5.1 में दिया गया है जिन्हें कम्पनी द्वारा वर्षा, कटाई तथा त्यौहारी मौसम, सामग्री की कमी, संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत इत्यादि के आधार पर विस्तार की अनुमति दी गई थी। सामान्य कारकों पर विचार करने के बाद ही कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि तय की गई थी और ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु सामग्री की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, कम्पनी ने कन्दरोड़ी में वर्षा के कारण भूमि पर टैंक के निर्माण मामले को अस्वीकार कर दिया था।

इस प्रकार, कार्यों को सौंपने की शर्तों के अनुसार 24 मामलों में उपर्युक्त आधारों पर विस्तार के कारण कार्य पूर्ण होने में देरी पर परिशोधित क्षति ₹4.44 करोड़ की अवसूली/अल्प वसूली हुई।

5.5.8 कन्दरौड़ी एवं पंडोगा परियोजनाओं का निष्पादन

शहरी, ग्रामीण एवं भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण तथा रोजगार उत्पादन करने के लिए व औद्योगिक क्षेत्रों, भू-सम्पदा, पार्कों तथा हरित क्षेत्र परियोजनाओं की अवसंरचना के उन्नयन हेतु संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) एक परिवर्तनकारी एवं नवीनतम तकनीकी योजना है।

(i) पूर्ण होने में विलम्ब

कन्दरौड़ी एवं पंडोगा परियोजनाओं के कार्यों को 55 उप-कार्यों में विभाजित किया गया तथा निविदाएं आमंत्रित करने के पश्चात् विभिन्न ठेकेदारों को सौंपे गए।

20 कार्य ₹103.40 करोड़ के व्ययोपरांत भी अपूर्ण रहे (मार्च 2018) तथा एक कार्य सौंपा नहीं गया था। इस प्रकार, दोनों परियोजनाएं निर्धारित पूर्णता अवधि से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रही। लेखापरीक्षा में पूर्ण होने में विलम्ब के विश्लेषित कारण नीचे दिए गए हैं:

- कन्दरौड़ी परियोजना में कार्य जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 के दौरान सौंपे गए अर्थात परियोजना संस्थानीकृत होने की तिथि से 10 से 31 माह के पश्चात्। इसके अलावा, पांच कार्यों को निर्धारित पूर्णता तिथि के पश्चात भी सौंपा गया।
- पंडोगा परियोजना में, कार्य-स्थल विकास कार्यों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था तथा जिसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्यों के क्रियान्वयन प्रारंभ करने के पूर्व किया जा सकता था। कम्पनी ने कार्यों को प्रारंभ करने में विलम्ब किया तथा कार्य ₹25.44 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2017 में पूर्ण हुआ।

- पंडोगा को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट कार्य केवल मई 2016 व अक्टूबर 2017 में मध्य ही ठेकेदारों को सौंपे गए अर्थात् परियोजना स्वीकृति के 14 से 31 माह के पश्चात्। परियोजनाधीन 7 कार्यों को परियोजना की निर्धारित पूर्णता तिथि के पश्चात् सौंपा गया।

इस प्रकार, उक्त दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण, योजना का अभिलक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका और इसके बजाय अबतक (मार्च 2018) ₹103.40 करोड़ का व्यय हुआ।

(ii) परामर्श शुल्क का अधिक भुगतान

कम्पनी ने कन्दरौड़ी एवं पंडोगा परियोजना की अवसंरचना की समग्र कार्य-योजना हेतु परामर्शदाता के रूप में हिमाचल परामर्श संगठन लिमिटेड को परियोजना की वास्तविक लागत का 2.30 प्रतिशत परामर्श शुल्क तथा उसपर सेवाकर लगाते हुए नियुक्त (सितम्बर 2015) किया व्योंकि परियोजना की वास्तविक लागत प्रारम्भ में निश्चित नहीं थी, प्रथम किश्त अनुमानित लागत के आधार पर चुकाई गई।

➤ कम्पनी ने कन्दरौड़ी एवं पंडोगा के उक्त कार्यों को जनवरी 2016 तथा अक्टूबर 2017 के मध्य क्रमशः ₹27.06 करोड़ (अनुमानित लागत ₹54.98 करोड़) एवं ₹24.34 करोड़ (अनुमानित लागत ₹45.81 करोड़) में सौंपा। जैसाकि उक्त दोनों परियोजनाओं की सौंपी गई लागत उनकी अनुमानित लागत से बहुत कम थी, कम्पनी को चुकाए गए शुल्क को सौंपी गई राशि से लिमिटेड करना चाहिए था। यद्यपि, कम्पनी, अनुमानित लागत एवं पहले से सौंपे गए कार्यों की लागत का विश्लेषण किए बिना अनुमानित लागत के आधार पर भुगतान करती रही, जिसका परिणाम सितम्बर 2015 तथा जून 2017 के दौरान ₹1.04 करोड़ के परामर्श शुल्क तथा ₹15.12 लाख के सेवा कर के अधिक भुगतान के रूप में हुआ।

➤ कन्दरौड़ी में जल एवं सीवरेज तथा स्ट्रीट लाईट कार्यों को परामर्श की गणना से बाहर रखा गया जबकि इसी तरह के ₹5.72 करोड़ के सौंपे गए कार्यों को पंडोगा में सम्मिलित किया गया जो कि ₹12.92 लाख के परामर्श शुल्क और उस पर ₹1.94 लाख के सेवा कर के अधिक भुगतान में परिणत हुआ। यह परामर्श शुल्क के भुगतान में स्पष्टता एवं एकरूपता के अभाव का परिचायक है।

(iii) सड़क के निर्माण पर परिहार्य व्यय

कन्दरौड़ी में छ: किलोमीटर सड़क का निर्माण शामिल है। छ: किलोमीटर की पूरी सड़क के उपाधार और आधार का कार्य फरवरी 2017 में पूरा हुआ और मार्च 2017 में दी गई एक किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछाने का कार्य जून 2017 में ₹40.91 लाख की लागत से पूरा हुआ। घटिया कार्यों के कारण, तारकोल बिछाने का कार्य को दूसरे ठेकेदार के माध्यम से फिर से कराना पड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि अनुबंध की नियम एवं शर्तें⁹ के अनुसार ठेकेदार पूर्ण होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मई 2018 तक पाए गए दोषों को दुरुस्त करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन कम्पनी ने अनुबंध की शर्त को लागू नहीं किया। इसने न तो ठेकेदार को दोषों को ठीक करने के लिए कहा और न ही कार्य के अनुचित निष्पादन के कारण दोषों को हटाने के लिए ठेकेदार से ₹18.26 लाख की कटौती/मांग की।

(iv) ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान

कन्दरौड़ी में सड़क निर्माण कार्य (टारिंग को छोड़कर) ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश अनुसूची दर 2009 की अनुमानित दर से 38.14 प्रतिशत कम पर सौंपा गया। अनुबंध के नियम एवं शर्तें¹⁰ के अनुसार

⁹ खण्ड-17 को अनुबंध की सामान्य शर्तों के खण्ड-35 के साथ पढ़ें।

¹⁰ अनुबंध की सामान्य शर्तों का खण्ड-12

परिवर्तित/अतिरिक्त मदों के लिए दरें हिमाचल प्रदेश की अनुसूची दर के आधार पर पूरे कार्य के लिए निविदा राशि और दी गई राशि के मध्य प्रतिशत अंतर को जमा/घटा कर तय की जानी थी।

अतिरिक्त मदों हेतु दर (रेनफार्सड कंक्रीट एन पी-3 पाईप) का भुगतान अनुबंध के प्रावधान के अनुसार करने के बजाय प्रचलित बाजार दरों के आधार पर किया गया। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹3.54 लाख के देय भुगतान के प्रति ₹9.28 लाख का भुगतान किया गया जो ₹5.74 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

5.5.9 परिहार्य व्यय

कम्पनी ने ₹38.31 करोड़ की लागत पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित मौजूदा 107 स्कूलों की डिजाइन एवं अवसंरचना निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया (दिसम्बर 2014)।

समझौता-ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ बगी में एक स्कूल भवन (सरकारी उच्च विद्यालय) का निर्माण भी शामिल था, यद्यपि कम्पनी ने गलती से बगी तुंगल में ₹29.73 लाख की लागत से स्कूल का निर्माण (सितम्बर 2016) किया।

शिक्षा विभाग ने इस स्थान परिवर्तन पर आपत्ति उठाई तथा कम्पनी से अतिरिक्त धन के बिना बगी में स्कूल का निर्माण करने का अनुरोध किया (जुलाई 2017)। इसके फलस्वरूप कम्पनी को बगी में ₹27.05 लाख के लिए स्कूल भवन के निर्माण का अन्य कार्य सौंपना पड़ा जो निर्माणाधीन था (अप्रैल 2018)। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा बगी तुंगल में स्कूल निर्माण पर ₹29.73 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। कम्पनी द्वारा संचालित की गई जांच में यह पाया गया कि गलती क्षेत्रीय ईकाई के साथ-साथ मुख्य कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों की थी।

5.5.10 सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित न करना

निक्षेप का कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान कम्पनी रॉयल्टी, श्रमिक कल्याण उपकर और ईपीएफ के लिए अपने सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित नहीं कर सकी जैसा कि नीचे वर्णित है:

(i) वस्तु एवं सेवा कर का अनुचित भुगतान

अनुबंध के नियमों और शर्तों¹¹ के अनुसार दिसम्बर 2014 और अगस्त 2017 के मध्य ठेकेदारों को सौंपे गये कार्यों की दरों में सभी कर सम्मिलित थे।

हालांकि दरों में सभी कर सम्मिलित थे जिसे बाद में भारत सरकार ने जुलाई 2017 में लागू वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) में बदल दिया था। कम्पनी ने प्रदत्त दरों में सम्मिलित पिछले करों का समायोजन किए बिना सितम्बर 2017 से मार्च 2018 के दौरान 17 कार्यों में ठेकेदारों को प्रदत्त दरों से अधिक वस्तु एवं सेवाकर के रूप में ₹1.94 करोड़ का भुगतान किया।

(ii) सेवा कर की कटौती और जमा न करना

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना¹² (जून 2012) में प्रावधान है कि प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत सेवा प्रदाता और प्राप्तकर्ता दोनों ही सेवा कर का 50 प्रतिशत जमा करने के लिए उत्तरदायी है। नियमों और शर्तों के अनुसार ठेकेदार को सौंपे गए कार्यों की दरों में सभी कर सम्मिलित थे।

¹¹ विशेष शर्तों का खण्ड 26

¹² 30/2012 -एस टी दिनांक 20-06-2012 को जारी

- कम्पनी नवम्बर 2015 से जून 2017 के दौरान एक ठेकेदार को 22 कार्यों के लिए ₹28.47 करोड़ का सकल भुगतान जारी करते हुए ₹80.11 लाख (कुल सेवा कर का 50 प्रतिशत) के सेवा कर की कटौती करने तथा इसे आबकारी और कराधान विभाग में जमा करने में विफल रही।
- कम्पनी 2013-14 से 2016-17 के दौरान एक ठेकेदार¹³ के बिलों से सेवा कर की कटौती करने व जमा करने में विफल रही और नोटिस प्राप्त होने पर जुलाई 2017 के दौरान (जनवरी 2017 से जुलाई 2017 तक) ₹41.05 लाख (₹6.58 लाख ब्याज सहित) अपने स्वयं के निजी संसाधनों से जमा करने पड़े।

(iii) सेवा कर का अनियमित भुगतान

सेवा कर के प्रावधानों के अनुसार सरकार को दी जाने वाली सेवाएं एक स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण को एक सिविल कार्य के कार्यान्वयन के लिए सेवा कर से (जून 2012) छूट¹⁴ दी गई थी। यद्यपि, इन सेवाओं को 1 अप्रैल 2015 से कर योग्य¹⁵ बना दिया गया था। इन सेवाओं पर सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट 1 मार्च 2015 से पहले दर्ज किए गए अनुबंध के सम्बन्ध में 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2020 तक बहाल¹⁶ किया गया था। यह छूट 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने तक जारी रही।

कम्पनी ने अप्रैल 2016 से जून 2017 के दौरान विभिन्न विभागों के लिए स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पशु चिकित्सा अस्पताल, आवासीय क्वार्टर और श्रमिक छात्रावास आदि से सम्बन्धित सिविल निर्माण कार्यों को जिसे 1 मार्च 2015 से पहले मंजूरी दी गई थी ₹18.22 करोड़ में निष्पादित किया। हालांकि, सेवा कर में छूट दी गई थी, लेकिन कम्पनी ने इन कार्यों पर वसूले ₹1.73 करोड़ के एजेंसी शुल्क पर ₹25.76 लाख का सेवा कर जमा किया और बाद में इसे सम्बन्धित ग्राहक विभागों को प्रभारित किया जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।

(iv) श्रमिक कल्याण उपकर का अल्प जमा (निष्केप)

भवन तथा अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के कल्याण उपकर अधिनियम 1996 में प्रावधान है कि उपकर लगाने¹⁷ तथा संग्रह करने की दर नियोक्ता द्वारा खर्च की गई निर्माण लागत के एक प्रतिशत से कम न हो। उपकर भुगतान करने में विफलता प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज को आकर्षित¹⁸ करेगी।

कम्पनी ने अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2017 के दौरान वसूले गए ₹24.41 करोड़ के एजेंसी शुल्क पर ₹24.41 लाख का उपकर जमा नहीं किया जो प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज को आकर्षित कर सकता है।

(v) कर्मचारी भविष्य निधि को जमा करने में अनिश्चितता

कर्मचारी की भविष्य निधि योजना, 1952¹⁹ में प्रावधान है कि यह मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह स्वयं अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में और साथ ही किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में देय दोनों अंशदानों का भुगतान करें।

कार्य सौंपने के नियमों और शर्तों में निर्धारित है कि प्रत्येक चालू बिल को जमा करते समय, ठेकेदार को अवधि के दौरान कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति के साथ बिल में शामिल अवधि के लिए ईपीएफ के जमा चलानों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक था:

¹³ श्री धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर

¹⁴ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की 20 जून 2012 को जारी अधिसूचना संख्या 25/2012 सेवा कर।

¹⁵ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की 1 मार्च 2015 को जारी अधिसूचना संख्या 6/2015 सेवा कर।

¹⁶ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की 1 मार्च 2016 को जारी अधिसूचना संख्या 9/2016 सेवा कर, प्रवेश संख्या 12 (क) एवं (ग)।

¹⁷ धारा 3

¹⁸ धारा 8

¹⁹ परिच्छेद 30

- कम्पनी ने सितम्बर 2011 से अप्रैल 2018 की अवधि के लिए ठेकेदार को 51 कार्यों (नमूना-जांचित 92 कार्यों में से) के सम्बन्ध में अंतर्ग्रस्त 770 महीनों में से 489 महीनों (64 प्रतिशत) के ईपीएफ चालान प्राप्त किए बिना ही ₹74.76 करोड़ का भुगतान किया ।
- इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों से अंतर्ग्रस्त 770 महीने में से 732 महीनों (95 प्रतिशत) की मजदूरी रजिस्टर की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की गई ।
- ठेकेदार द्वारा दिसम्बर 2017 से मार्च 2018 के दौरान कन्दरोड़ी में “सड़क किनारे नालियों व सड़क के आर-पार नालियों के निर्माण” के कार्य पर तैनात दस श्रमिकों में से केवल तीन कर्मचारियों के लिए ईपीएफ जमा किया गया था ।
- पीरस्थान, नालागढ़ में सार्वजनिक सुविधा भवन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार द्वारा सम्मिलित कुल चालू बिलों के दो मामलों में जमा किए गए ईपीएफ के महीनों को अद्योलेखित किया गया था और रसीद में स्वतः उत्पन्न तारीख या तो खाली थी या जमा किए गए महीने से तीन साल पहले की थी । कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन, शिमला के क्षेत्रीय कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि रसीदें जाली थीं । इस प्रकार, कम्पनी अपेक्षित महीनों की संख्या के लिए ई.पी.एफ. को जमा करने और तैनात श्रमिकों की वास्तविक संख्या की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रही ।

5.5.11 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

कार्यों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निष्केप कार्यों की निगरानी का नियमित अवलोकन और होने वाली गतिविधियों को अभिलेखबद्ध करना है । आंतरिक नियंत्रण कुशल और प्रभावी संचालन, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और लागू नियमों की अनुपालना, विनियमों और अनुबंध की शर्तों के लिए उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए प्रबंधन का एक उपकरण है । निष्केप कार्यों की प्रगति की निगरानी प्रभावी नहीं थी और आंतरिक नियंत्रण में भी कमी थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है :

- कम्पनी ने निष्केप कार्यों के लिए भौतिक लक्ष्य तय नहीं किए थे । यह मुख्यालय में कार्य-वार्डिवीजन वार प्रगति, अनुमानित लागत के विपरीत व्यय/प्राप्त निधियां और स्वयं के संसाधनों से उठाए दायित्व की निगरानी करने में भी विफल रही । निदेशक मण्डल ने केवल निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध एजेंसी प्रभार के साथ कार्यान्वित कार्यों के कुल मूल्य की समीक्षा की, जो बिना किसी आधार के तय किए गए थे । कार्य के निष्पादन में शामिल गतिविधियों के लिए न तो समयसीमा तय की गई और न ही उसकी निगरानी की गई थी । इस प्रकार, निगरानी प्रणाली अपर्याप्त और अप्रभावी थी ।
- कम्पनी की निष्केप कार्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त और अक्षम थी क्योंकि इसमें एक विश्वसनीय प्रणाली का अभाव था, यह सुनिश्चित करने के लिए:-
क) तकनीकी स्वीकृति के बाद ही कार्यों का निष्पादन ।
ख) प्राप्त निधियों तक कार्यों पर व्यय करना ।
ग) काम पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित ग्राहक-विभागों की बचत की वापसी में तत्परता ।
घ) परामर्श शुल्क, कीमतों में वृद्धि और कार्य की अतिरिक्त मद के भुगतान से सम्बन्धित अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन ।
ड) एकल निविदाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुपालना ।
च) ठेकेदारों द्वारा ईपीएफ का बकाया जमा करना ।
छ) ठेकेदारों के बिलों से सांविधिक कटौतियां ।
ज) कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा भी आंतरिक नियंत्रण में उपर्युक्त कमियों को इंगित करने में विफल रही ।

निष्कर्ष

कम्पनी ने तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन प्रारम्भ किया। कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन दक्ष एवं प्रभावी नहीं था जिससे कम्पनी प्राप्त निधियों की राशि से व्यय को लिमिटेड करने में तथा सम्बन्धित ग्राहक विभागों को बचतें समय पर वापस करने में विफल रही। कार्य समय पर पूर्ण नहीं किए गए, अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया तथा कम्पनी अपने सांविधिक दायित्व सुनिश्चित करने में असफल हुई। निगरानी एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी अपर्याप्त एवं अप्रभावी था क्योंकि कम्पनी ने कार्यों की प्रगति की निगरानी नहीं की।

सिफारिशें

कम्पनी को आवश्यकता है:

- कार्य - योजना तथा निष्पादन एवं निगरानी हेतु अपनी नियमावली/प्रक्रियाओं का निरूपण करने की;
- अपना वित्तीय प्रबंधन प्रस्तुत एवं सशक्त करने की।
- सांविधिक दायित्वों को सुनिश्चित करने की।
- निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी की; तथा
- आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र को सुचारू बनाने की।

हिमाचल पथ परिवहन निगम

5.6 सेवा कर का संग्रहण न करने के कारण हानि

यात्री भाड़े के साथ ही यात्रियों से सेवा कर का संग्रहण समय पर आरम्भ करने में विफलता के परिणाम स्वरूप विलम्ब की अवधि में ₹1.04 करोड़ का सेवा कर का संग्रहण नहीं किया गया। इसके अलावा सेवा कर को विलम्ब से भुगतान करने की वजह से ब्याज और जुर्माना लगाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार ने अधिसूचित (फरवरी 2016) किया कि वातानुकूलित वाहक बसों द्वारा यात्रियों का परिवहन 01 जून 2016 से 6 प्रतिशत की दर से सेवा कर के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, हिमाचल पथ परिवहन निगम (कम्पनी) को विभिन्न अंतर/अंतराज्यीय मार्गों पर चलाई गई अपनी वातानुकूलित बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से सेवाकर संग्रह करना था। इस प्रकार संग्रह किया गया सेवा कर केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान प्राधिकारी के पास जमा करना था।

लेखापरीक्षा (अगस्त 2017) में पाया गया कि कम्पनी के निगमित कार्यालय को अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं थी। इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की परिवहन कम्पनियों (राजस्थान और हरियाणा) से पत्र प्राप्त होने पर, कम्पनी के निगमित कार्यालय ने 09 अगस्त 2016 को अपनी क्षेत्रीय ईकाईयों को सेवा कर संग्रह करने का निर्देश दिया यानि के लागू होने की तारीख से दो महीनों से ज्यादा के विलम्ब के पश्चात। इसके अतिरिक्त 20 में से 17 इकाईयां निर्देशों को विलम्ब से लागू करने में शामिल थीं तथा 11.08.2016 और 14.02.2017 के बीच यात्रियों से निरन्तर बिना सेवाकर के किराया वसूलती रही। हालांकि शिमला ग्रामीण, ऊना और हमीरपुर डिपुओं ने क्रमशः 09.08.2016, 06.08.2016 और 07.08.2016 से सेवाकर संग्रह करना शुरू कर दिया यानि कि तत्काल प्रभाव से या कम्पनी के निकाय कार्यालय के निर्देश जारी करने से पहले। निर्देशों को लागू करने में विलम्ब तथा निर्देश लागू करने में 66 और 137 दिनों के बीच की देरी हुई जिसके कारण ₹1.04 करोड़ के सेवा कर का संग्रहण नहीं किया जा सका जिससे कि कम्पनी की देयता में बढ़ोतरी हुई। कम्पनी पहले से ही ₹91.46 लाख

केन्द्रीय आबकारी और कराधान अधिकारी के पास जमा कर चुकी है तथा ₹12.10 लाख अभी भी जमा करवाना है, जिस पर समय पर सेवा कर जमा न करवाने में विफलता के कारण ब्याज तथा जुर्माना लग सकता है।

इस प्रकार यात्रियों से किराये के माध्यम से सेवाकर का संग्रह करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू करने में अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप विलम्ब की अवधि में ₹1.04 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई।

प्रबंधन को सभी सांविधिक दायित्वों की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए तथा क्षेत्रीय इकाइयों को सभी निर्देश समय पर जारी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की राजस्व हानि से बचा जा सके।

मामले की सूचना सरकार/ प्रबन्धन (मई 2018) को दी गई; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)

हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अवसंरचना विकास निगम

5.7 ठेकेदार को अतिरिक्त परिहार्य भुगतान

विस्तृत योजना विवरणी में सभी स्थानों/भागों में स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार किए बिना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय और भारतीय सड़क महासभा के विनिर्देश का पालन न करने के कारण 15,988.932 घनमीटर दानेदार उप आधार में वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹93.37 लाख अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, 8 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत उपरिव्यय पर विचार करके ₹8.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया और यह काम पूरा होने के बाद इसमें और वृद्धि होगी।

पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक) द्वारा वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परियोजना के अधीन ठयोग-कोटखाई-खड़ापत्थर-रोहदू मार्ग के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़िकरण के कार्य के निष्पादन के लिये हिमाचल प्रदेश सड़क योजना और अन्य अवसंरचना विकास निगम एक कार्यान्वयन संस्था थी। कम्पनी ने लोक निर्माण विभाग से परियोजनाओं का कार्यान्वयन करवाया। राज्य सरकार की ओर से, मुख्य अभियन्ता सह परियोजना निदेशक, राज्य सड़क परियोजना, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग, शिमला ने एक ठेकेदार²⁰ को दो अलग पैकेज²¹ में कार्य सौंपा (अक्टूबर 2013)।

कम्पनी ने विश्व बैंक की आवश्यकता के अनुरूप, परियोजना के निष्पादन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं० लूईस बर्जर, यू०एस०ए० (सलाहकार) को लगाया। सलाहकार ने मार्च 2007 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जिसमें सड़क के कुछ स्थानों/भागों में 100 मि०मि० मोटाई के लिए दानेदार उप आधार का प्रावधान था, हालांकि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय के विनिर्देश एवं भारतीय सड़क महासभा द्वारा प्रकाशित और भारतीय सड़क महासभा की संहिता 10 मिलियन से कम मानक एक्सल के लिए यातायात के लिए 150 मि०मि० के दानेदार उप आधार अधिकल्पना की न्यूनतम मोटाई प्रदान करते हैं। अनुबन्ध के नियम और शर्तों में प्रावधान है कि प्रदान की गई मात्रा में 125 प्रतिशत से अधिक की मात्राओं का भुगतान प्रचलित बाजार दरों पर किया जाएगा।

(क) कम्पनी ने 150 मि०मि० की दानेदार उप आधार की न्यूनतम मोटाई के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय और भारतीय सड़क महासभा के विनिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, कुछ स्थानों/भागों में 100 मि०मि० की मोटाई के प्रावधान वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर,

²⁰ मैसर्स सी एण्ड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

²¹ ठियोग-कोटखाई-खड़ापत्थर: 5/आई.सी.बी.-I तथा खड़ापत्थर-हाटकोटी-रोहदू:5/एन.सी.बी.-II

एक ठेकेदार²² को दो अलग पैकेजों²³ के अनुसार उन्नयन का काम नवम्बर 2013 के दौरान प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, ठेका प्राप्त करने के बाद कम्पनी ने स्थानों/ भागों के हिमबाधित और कीचड़ जैसा होने के तर्के के आधार पर मोटाई को 150 मि०मि० तक बढ़ा दिया, परिणाम स्वरूप 15,988.932 घनमीटर दानेदार उप आधार की मात्रा में बढ़ौतरी हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर 2017) कि कम्पनी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति देते समय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय सड़क महासभा के विनिर्देशों का पालन करना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सभी स्थानों/ भागों में स्थानीय आवश्यकता पर विचार करने के बाद तैयार करनी थी। दरों में, प्रदान की गई मात्रा एवं मांग-पत्र के 125 प्रतिशत से अधिक की मात्रा में हुई वृद्धि और मोटाई में वृद्धि के कारण मात्रा में वृद्धि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

तालिका:-5.2 मात्रा पत्र से 125 प्रतिशत अधिक दरों और मात्रा में वृद्धि का विवरण

पैकेज का नाम	100 मि०मि० मोटाई के साथ क्रियान्वित होने वाली मात्रा (घनमीटर)	100 मि०मि० से 150 मि०मि० मोटाई में वृद्धि के कारण मात्रा 125 प्रतिशत से अधिक व ऊपर कार्यान्वित की गई (घनमीटर)	अनुबन्ध में प्रदान की गई दर प्रति (घनमीटर) (₹)	वर्तमान बाजार दर प्रति (घनमीटर) (₹)	प्रति घनमीटर दरों में अन्तर (₹)	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6 (5-4)	7 (3x6)
आई.सी.बी. 5-I	45,752.659	9,940.932	1,500	2,143	643	63,92,019
एन.सी.बी. 5-II	42,834	6,048	1,528	2,010	482	29,15,136
योग		15,988.932				93,07,155

इस प्रकार, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सभी स्थानों/ भागों में स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार किए बिना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय सड़क महासभा के विनिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण ₹15,988.932 (घनमीटर) दानेदार उप आधार की वृद्धि हुई, परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹93.07 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2018) कि मोटाई में वृद्धि का निर्णय जनता की सुरक्षा एवं मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि "विस्तृत परियोजना रिपोर्ट" को स्वीकार करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सड़क महासभा के मानदण्डों में निर्दिष्ट 150 मि०मि० की न्यूनतम मोटाई पर विचार करना चाहिए था और इस चूक के कारण ठेकेदार को ₹93.37 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ, इसे मितव्ययता नहीं कहा जा सकता।

²² मैसर्स चड्ढा एण्ड चड्ढा कंस्ट्रक्शन

²³ ठियोग -खड़ापत्थर : आई.सी.बी.-5-I तथा खड़ापत्थर -रोहडूः एन.सी.बी.-5-II

(ब) इसके अतिरिक्त, वर्तमान बाजार दरों का विश्लेषण करने के लिए ₹50 करोड़ से अधिक के सड़क कार्यों हेतु 8 प्रतिशत तथा छोटे पुलों हेतु 20 प्रतिशत की उपरिव्यय दरें सड़क पैकेज में शामिल थी, जिसे सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों हेतु मानक डाटा पुस्तिका (डाटा पुस्तिका) द्वारा प्रदान किया गया है।

कम्पनी ने मात्रा-बिल के 125 प्रतिशत से अधिक निष्पादित किए गए एम-15 श्रेणी (कंक्रीट) के 1.54 लाख घनमीटर सादे सीमेन्ट कार्यों के लिए वर्तमान बाजार दरों का विश्लेषण सड़क कार्यों के लिए लागू आठ प्रतिशत की दर पर उपरिव्यय पर विचार करके करना था।

अनुबन्धित मात्राओं की तुलना में हुआ कार्यान्वयन तथा अनुमोदित दर नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:-

तालिका 5.3: दरों के गलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान

पैकेज का नाम	मात्रा बिल से 125 प्रतिशत से परे कार्यान्वित मात्रा	सौंपी गई दर पर प्रति घनमीटर (₹)	वर्तमान प्रति घनमीटर बाजार दर 8 प्रतिशत उपरी व्यय (₹) के साथ	वर्तमान प्रति घनमीटर बाजार दर 20 प्रतिशत उपरी व्यय (₹) के साथ	प्रति घनमीटर दरों में अन्तर (₹)	राशि (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7=(2 x 6)
आई.सी.बी. 5-I	42,236.309	4430	4,895	5,438	543	2.29
एन.सी.बी. 5-II	1,11,591.000	4728	4,777	5,308	531	5.93
योग	1,53,827.309					8.22

लेखापरीक्षा में पाया गया कि (नवम्बर 2017) कि सौंपी गई मात्रा के 125 प्रतिशत से अधिक निष्पादित कंक्रीट की मात्रा के लिए दरों का विश्लेषण करते समय, उपरिव्यय की दर सड़क कार्य पर लागू आठ प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत (छोटे पुलों पर लागू) निर्धारित की गई थी। परिणामस्वरूप अक्टूबर 2017 तक कुल 1.54 लाख घनमीटर के कार्यान्वयन पर ठेकेदार को ₹8.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया तथा यह और बढ़ेगा क्योंकि अनुबन्धों के तहत काम अभी चल रहा था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2018) कि मानक डाटा बुक में सड़क निर्माण के लिए संरचनात्मक/कंक्रीट कार्यों का कोई प्रावधान नहीं था इसलिए संशोधित दरों के विश्लेषण में मानक डाटा पुस्तिका की श्रेणी-2 (सड़क पैकेजों में छोटे पुलों को शामिल किया गया था) के अनुसार उपरिव्यय 20 प्रतिशत लिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मद (कंक्रीट एम-15) सड़क कार्यों के अन्तर्गत प्रदान किया गया था इसलिए उपरिव्यय की दरों को निर्धारित आठ प्रतिशत की दर से प्रभावित करना चाहिए था जैसाकि सड़क निर्माण के लिए मानक डाटा पुस्तिका में दिया गया था।

प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के चूक से बचने के लिए लागू मानकों/दिशानिर्देशों पर विचार करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए तथा चूक के लिए जिम्मेदारी

तय करने पर विचार किया जाए और भविष्य में ऐसी चूक से बचने के लिए अपनी दर विश्लेषण प्रणाली को कारगर बनाया जाए।

मामला सरकार/प्रबंधन को सूचित किया गया था (मई 2018); भाग-क हेतु उनके उत्तर अपेक्षित थे, यद्यपि भाग-ख हेतु उत्तर केवल सरकार से प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2019)।

शिमला
दिनांक : 20 नवम्बर 2019

(आई.डी.एस. धारीवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 05 दिसम्बर 2019

(राजीव महार्जिं)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 1)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप द्वारा वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	टर्नओवर	कर एवं ब्याज के पूर्व निवल लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव ¹	निवेश	निवेश पर प्रतिफल	जनशक्ति	ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
क्रृषि एवं संबंध														
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	2017-18	18.85	6.35	(-) 18.88	60.57	1.21	0.49	25.20	0.05	69		
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण लिमिटेड	2016-17	2017-18	38.77	23.55	(-) 83.20	60.94	(-) 3.03	-0.18	62.32	(-) 0.05	209	1.86	
3	हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2017-18	11.71	35.72	(-) 52.75	182.90	(-) 2.58	0.53	47.43	(-) 0.05	1664	1.51	
क्षेत्रवार योग:				69.33	65.62	(-) 154.83	304.41	(-) 4.4	0.84	134.95	(-) 0.05	1942	3.37	
वित्त														
4	हिमाचल प्रदेश फिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2017-18	11.00	15.00	7.36	2.73	1.07	-3.46	33.36	0.03	18	0.35	
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	2017-18	7.19	0	1.50	0.67	0.28	-0.08	8.69	0.03	5	-	
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2016-17	9.39	11.19	-4.77	0.68	0.42	0.09	20.58	0.02	9	0.39	
क्षेत्रवार योग:				27.58	26.19	4.09	4.08	1.77	-3.45	62.63	0.08	32	0.74	
अवसंरचना														
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	25.00						25.00		2	0.35	
8	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	30.82		41.47	49.83	17.05	0.28	72.29	0.23	143		
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड			0.0003						0.0003		8		
क्षेत्रवार योग:				55.8203	0	41.47	49.83	17.05	0.28	97.2903	0.23	153	0.35	

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
विनियोग													
10	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित क्षेत्रवार योग:	2016-17	2017-18	7.16	5.04	20.89	67.68	10.27	-0.64	33.09	0.31	107	0.21
विद्युत													
11	ब्यास घाटी विद्युत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	300.00	1038.22	0	-	-	-	1338.22	-	158	-
12	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित निगम सीमित	2015-16	2016-17	1585.16	1748.24	-58.98	1.65	-17.92	12.2	3333.4	-0.01	654	-
13	हिमाचल प्रदेश संरचना निगम सीमित	2016-17	2017-18	258.75	458.02	-5.41	12.12	-11.30	-3.49	716.77	-0.02	157	0
14	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2015-16	2017-18	603.30	3246.83	-1999.64	5980.02	-10.51	-21.49	3850.13	-0.006	20952	518.55
क्षेत्रवार योग:				2747.21	6491.31	-2064.03	5993.79	-39.73	-12.78	9238.52	-0.036	21921	518.55
सेवा													
15	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2016-17	2017-18	3.52	0	33.09	1245.95	2.77	-0.46	36.60	0.08	813	0.14
16	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रनिक्स विकास निगम सीमित	2015-16	2016-17	3.72	0.95	5.38	82.20	2.14	0.18	10.05	0.21	51	0.06
17	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2016-17	2017-18	9.25	0	-15.33	29.38	0.12	-0.48	9.25	0.01	41	0.01
18	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2016-17	2017-18	12.30	0	-22.08	90.89	2.05	0.09	12.3	0.17	1747	0.31
19	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2015-16	2016-17	0.007	0	0.12	-	0.09	-0.01	0.127	12.86	30	-
20	हिमाचल प्रदेश बैंकरोज लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.01	-	2.37	6.12	-0.81	-	2.52	-	6	-
21	हिमाचल परामर्श संगठन लिमिटेड	2016-17		0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग:				28.987	0.95	3.55	1454.54	6.36	-0.68	70.857	13.33	2,688	0.52
कुल क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ)				2936.0873	6589.11	-2148.86	7874.33	-8.68	-16.43	9637.3373	13.864	26843	523.74
ख	सांविधिक निगम												
वित्त													
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	2017-18	99.57	123.00	-166.56	2.55	-5.50	0.36	222.57	-0.01	38	7.62
क्षेत्रवार योग:				99.57	123.00	-166.56	2.55	-5.50	0.36	222.57	-0.01	38	7.62
सेवा													
2	हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम	2016-17	2017-18	670.49	211.35	-1113.91	937.93	-95.27	-34.90	881.84	0.11	10026	22.24
क्षेत्रवार योग:				670.49	211.35	-1113.91	937.93	-95.27	-34.9	881.84	0.11	10,026	22.24
कुल ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				770.06	334.35	-1280.47	940.48	-100.77	-34.54	1104.41	0.1	10,064	29.86
सकल योग (क + ख)				3706.1473	6923.46	-3429.33	8820.24	-109.45	-50.97	10741.747	13.964	36,907	553.60

(कॉलम 5 से 12 के आंकड़े ₹ करोड़ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ग	अक्रियाशील सरकारी कर्पनियां												
कृषि एवं संबद्ध													
1	एयो इंडस्ट्रीजल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	-78.23	-	-0.04	-5.58	77.87	-0.04	1	
	क्षेत्रवार योग:			17.72	60.15	-78.23	0	-0.04	-5.58	77.87	-0.04	1	0
विनिर्पाण													
2	हिमाचल प्रदेश वर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	0	-5.44	-	-0.01	-	0.92	-0.01	-	
	क्षेत्रवार योग:			0.92	0	-5.44	0	-0.01	0	0.92	-0.01	0	0
	सकल योग ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कर्पनियां)			18.64	60.15	-83.67	0	-0.05	-5.58	78.79	-0.05	1	
	सकल योग (क + ख + ग)			3,724.7873	6,983.61	-3513.00	8814.81	-109.50	-56.55	10,820.5373	13.914	36,908	553.60

- लेखा टिप्पणियों के प्रभाव सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है तथा लाभ (+) में वृद्धि/हानियों में कमी (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- निवेश, प्रदत्त पूँजी, मुक्त भण्डार तथा दीर्घावधि उधारों को प्रदर्शित करता है।
- निवेश पर प्रतिफल की गणना लाभांश, कर एवं ब्याज के पूर्व निवेश से निवल लाभ/हानि को विभाजित करके की गई है।
- आय से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई है।
- क्रम संख्या क-11 पर ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित ने इसके लाभ एवं हानि लेखे नहीं तैयार किए हैं।

परिशिष्ट 2

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 6)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया पड़े हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(कालम 4 व 6 से 8 के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	लेखों की अवधि जिनके लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश, जिससे लेखे बकाया हैं		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
क	क्रियाशील सरकारी कम्पनियां						
1	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	11.00	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	0.80 0.67 0.75 -	-	-
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	7.19	2015-16 2016-17 2017-18	0.75 0.75 0.80	-	0.61
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	9.39	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	1.30 0.66 0.75 -	-	0.11 0.12 0.13 0.15
4	हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	1585.16	2016-17 2017-18	191.25 137.13	-	-
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम लिमिटेड	2016-17	258.75	2017-18	27.70	262.68	
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2015-16	603.30	2016-17 2017-18	50.00 17.27	-	0.70
7	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2016-17	9.25	2017-18	-	-	3.08
8	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	0.01	2017-18	-	-	7.40
9	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2015-16	12.30	2016-17 2017-18	-	-	0.60 1.72
10	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2014-15	11.71	2015-16 2016-17 2017-18	-	-	-
11	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	18.85	2016-17 2017-18	-	-	-
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2016-17	3.51	2017-18			
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इंडस्ट्रीयल विकास निगम सीमित	2016-17	30.82	2017-18			
14	हिमाचल प्रदेश सामाज्य उद्योग निगम सीमित	2016-17	7.16	2017-18			
15	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित	2016-17	38.76	2017-18		8.00	
16	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अव्य अवसंरचना	2016-17	25.00	2017-18			100.00
17	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास	2016-17	3.72	2017-18			
18	धर्मशाला साठा सिटी लिमिटेड			0.0003	2017-18		
19	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज लिमिटेड			0.01	2017-18		
20	हिमाचल परामर्श संगठन सीमित			0.15	2017-18		
21	व्यास घाटी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड		300.00	2017-18			
कुल क : (क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)					2936.0403	430.58	270.68
ख	क्रियाशील सांविधिक निगम						114.62
1	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	2016-17	670.49	2017-18	50.00	-	305.00
कुल ख : (क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)			670.49		50.00	-	305.00
सकल योग के एवं ख			3606.5303		480.58	270.68	419.62

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.7, 1.8 एवं 1.12)

नवीनतम वर्ष हेतु विद्युत क्षेत्र के उपकरणों के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया

क्रमांक	गतिविधि एवं विद्युत क्षेत्र के उपकरण का नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज व कर के पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज व कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	नेटवर्थ ¹	संचित लाभ/हानि
क	उत्पादन								
1	हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2015-16	-17.92	-17.92	1.65	1585.16	3274.42	1526.18	-58.98
		उप-योग	-17.92	-17.92	1.65	1585.16	3274.42	1526.18	-58.98
ख	संरचना								
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांशमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	-11.30	-11.30	12.12	258.75	711.36	253.34	-5.41
		उप-योग	-11.30	-11.30	12.12	258.75	711.36	253.34	-5.41
ग	वितरण								
3	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	2015-16	-10.51	-10.51	5980.02	603.30	1850.49	-1396.34	-1999.64
		उप-योग	-10.51	-10.51	5980.02	603.30	1850.49	-1396.34	-1999.64
घ	अन्य								
4	ब्यास घाटी पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2016-17	0	0	0	300.00	1338.22	300.00	0
		उप-योग	0	0	0	300.00	1338.22	300.00	0
	सकल योग		-39.73	-39.73	5993.79	2747.21	7174.49	683.18	-2064.03

¹ नेटवर्थ प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल जोड़ - संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय हैं।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिचय का परिच्छेद 1.11)

आरंभ से 31 मार्च 2018 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश पाँचवर कार्पोरेशन लिमिटेड			हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित			हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित			सकल योग		
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण
2000-01	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	79.71	0	0		0	0	0	0	0	79.71	0	0
2008-09	241.32	0	0	11	0	0	0	0	0	252.32	0	0
2009-10	140.61	0	0	45.7	0	0	0	0	0	186.31	0	0
2010-11	75.76	0	0	60	0	0	396.53	0	0	532.29	0	0
2011-12	-386.65	0	0	-58.7	0	0	0	0	0	-445.35	0	0
2012-13	129.26	0	0	5.78	0	0	50	0	0	185.04	0	0
2013-14	252.67	0	0	8	0	0	31.75	0	0	292.42	0	0
2014-15	-400.00	0	0	25.96	0	0	75	0	0	-299.04	0	0
2015-16	60.00	0	0	32.79	0	0	50	0	0	142.79	0	0
2016-17	160.30	0	0	19.51	0	0	50	0	0	229.81	0	0
2017-18	174.66	0	0	27.71	0	0	17.27	0	0	219.64	0	0
योग	527.64	0	0	177.75	0	0	670.55	0	0	1375.94	0	0

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.18)

ठेकेदार को भुगतान किया गया कर, जो देय नहीं है

क्रमांक	कर का प्रकार	कम्पनी की कार्रवाई	राशि (₹ लाख में)	मामलों का विवरण	सरकार की प्रतिक्रिया	टिप्पणियां
1.	खनन हेतु रॉयल्टी	सिविल ठेकेदार से अवसूली	83.76	कम्पनी ने ठेकेदार -I के बिलों से 5,60,319 मीट्रीक टन के बजाय 4,20,713 मीट्रीक टन पर रॉयल्टी की कटौती की। अतः ठेकेदार से 1,39,606 मीट्रीक टन पर रायल्टी की कम कटौती हुई।	सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि ठेकेदार को कटी गई रॉयल्टी का विवरण प्रदान करने को कहा गया है।	
2.	सेवाकर	परिवहन प्रभार पर अतिरिक्त भुगतान	27.39	कम्पनी ने मार्च 2008 में भारत सरकार द्वारा जारी संशोधन में प्रदत्त भाड़े के 25 प्रतिशत के बजाय परिवहन प्रभार के पूरे मूल्य पर समय-समय पर प्रचलित दरों से सेवाकर का भुगतान किया।	उत्तर में सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि सम्बन्धित अधिसूचना वस्तु परिवहन अधिकरण (जीटीए) पर लागू थी।	उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि "लाभ निरपेक्ष रूप से उनको उपलब्ध हैं जो सेवाकर अदा करते हैं" तथा ठेकेदार वस्तु परिवहन अधिकरणों के सेवाकर का लाभ वस्तुओं के परिवहन हेतु उठ रहा था।
3	केन्द्रीय बिक्री कर	अल्प निष्केप	23.00	ठेकेदार ने वास्तविक बिक्री मूल्य ₹73.64 करोड़ के प्रति उप-ठेकेदार से ₹62.98 करोड़ की सामग्री की खरीद के आधार पर ₹1.36 करोड़ के केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति का दावा किया। ₹10.66 करोड़ की अंतर राशि पर शेष केन्द्रीय बिक्री कर को न तो ठेकेदार ने जमा किया और न ही कम्पनी से दावा किया, जो केन्द्रीय बिक्री कर के अल्प निष्केप में परिणत हुआ।	सरकार ने बताया (दिसम्बर 2018) कि प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर दस्तावेजी प्रमाण के विरुद्ध दी गई थी।	उत्तर केन्द्रीय बिक्री कर के अल्प निष्केप के मामले को सम्बोधित नहीं करता।
योग			134.15			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.2)

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अप्रैल 2013 में टैरिफ आदेश जारी होने के बाद संविदा मांग संशोधित न होने के कारण हुई राजस्व हानि को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	ग्राहक का नाम	ग्राहक आई.डी./ के. नम्बर	संस्थाकृत संविदा - मांग	संस्थीकृत संविदा - मांग का 50 प्रतिशत	राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशानुसार बिल हेतु 90 प्रतिशत संविदा-मांग	बिलिंग हेतु घटाई गई संविदा - मांग	संविदा मांग में माना गया कम अंतर	अवधि	माह की संख्या	प्रति केवीए दर	राशि ₹ में
1(क)	चिकित्सा अधीक्षक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला	100008001567	3222.22	1611.11	1450	360	1090	4/13 से 3/17	48	120	62,78,400/-
								4/17 से 12/18	21	140	32,04,600/-
1(ख)	चिकित्सा अधीक्षक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला	10008001565	1866.66	933.33	840	90	750	4/13 से 3/17	48	120	43,20,000/-
								4/17 से 12/18	21	140	22,05,000/-
2	मशोबरा रिसोर्ट	100009003433	2348	1174	1056.6	720	336.6	7/13 से 3/16	33	140	15,55,092/-
								4/16 से 12/18	33	170	18,88,326/-
3	होटल पीटरहॉफ	100009003262	900	450	405	171	234	9/16 से 03/17	7	170	2,78,460/-
सकल योग											1,97,29,878/-

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ परिच्छेद 4.3)

31 मार्च 2018 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित इकिवटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन माह एवं वर्ष	वर्ष 2017-18 के अंत पर इकिवटी ¹				वर्ष 2017-18 के अंत पर बकाया दोषावधि ऋण			
				हिमाचल प्रदेश सरकार ²	भारत सरकार ³	अन्य	कुल	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क्रियाशील सरकारी कम्पनियां											
कृषि एवं सबद्ध											
1	हिमाचल प्रदेश ऐंग्रेज इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	बागवानी	सितम्बर, 1970	16.89	1.96	0	18.85	5.04	1.43		6.47
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपण एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	जून, 1974	31.20	1.50	6.07	38.77	51.66			51.66
3	हिमाचल प्रदेश बन विकास निगम लिमिटेड	बन	मार्च, 1974	11.71	0		11.71				0
क्षेत्र-वार कुल:				59.80	3.46	6.07	69.33	56.70	1.43	0	58.13
वित्त											
4	हिमाचल प्रदेश खिड़का वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	जनवरी, 1994	13.00	0		13.00				0
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अप्रैल, 1989	10.64	0.096		10.736				0
6	हिमाचल प्रदेश खिड़का वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	सितम्बर, 1996	11.34	0		11.34				0
क्षेत्र-वार कुल:				34.98	0.096	0	35.076	0	0	0	0
अवसंरचना											
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	जून, 1999	25.00	0		25.00				0
8	हिमाचल प्रदेश राज्य ओद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	नवम्बर, 1966	30.82	0		30.82				0
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	लोक निर्माण	अगस्त, 2016		0.0003		0.0003				0
क्षेत्र-वार कुल:				55.82	0.0003	0	55.82	0	0	0	0
विनिर्माण											
10	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर, 1972	7.04	0	0.12	7.16	2.97			2.97
क्षेत्र-वार कुल:				7.04	0	0.12	7.16	2.97			2.97

¹ इकिवटी में शेयर एप्लिकेशन धन शामिल है।² हिमाचल प्रदेश सरकार।³ भारत सरकार।

1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
सेवा											
11	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	खाद्य एवं आपूर्ति	नवम्बर, 1966	3.52	0	0	3.52				0
12	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित	उद्योग	अक्टूबर, 1984	3.72	0	0	3.72	0.95			0.95
13	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	उद्योग	मार्च, 1974	9.22	0.03	0	9.25				0
14	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं नागरिक उद्योग	सितम्बर, 1972	12.3	0	0	12.30				0
15	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम		सितम्बर, 2015	0.007	0	0	0.007				0
16	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम	उद्योग	अप्रैल, 2016	0.01	0	0	0.01				0
17	हिमाचल परामर्श संगठन लिमिटेड	परामर्श सेवा	फरवरी, 1977		0	0.18	0.18				0
क्षेत्र-वार कुल:				28.777	0.03	0.18	28.987	0.95	0	0	0.95
योग क (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)				186.42	3.59	6.37	196.37	60.62	1.43	0	62.05
ख	सांविधिक निगम										
वित्त											
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	उद्योग	अप्रैल, 1967	92.98	0	6.59	99.57	94.62	28.37	9.46	132.45
क्षेत्र-वार कुल:				92.98	0	6.59	99.57	94.62	28.37	9.46	132.45
सेवा											
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	परिवहन	सितम्बर, 1974	705.05	15.44	0	720.49			202.26	202.26
क्षेत्र-वार कुल:				705.05	15.44	0	720.49			202.26	202.26
योग ख (सभी क्षेत्र-वार सांविधिक निगम)				798.03	15.44	6.59	820.06	94.62	28.37	211.72	334.71
ग	अंक्रियाशील सरकारी कम्पनियां										
कृषि एवं संबद्ध											
1	एग्रो इंडस्ट्रीयल पेकेजिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	फरवरी, 1987	16.75		0.97	17.72	60.15			60.15
क्षेत्र-वार कुल:				16.75		0.97	17.72	60.15			60.15
विनिर्माण											
2	हिमाचल वर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड	उद्योग	अक्टूबर 1974			0.92	0.92	0			
क्षेत्र-वार कुल:						0.92	0.92	0			
कुल ग (सभी क्षेत्रवार अंक्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				16.75	0	1.89	18.64	60.15	0	0	60.15
सकल योग (क+ ख + ग)				1001.20	19.02	14.85	1035.07	215.39	29.80	211.72	456.91

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ परिच्छेद 4.7)

31 मार्च 2018 तक शेष इकिवटी, ऋण तथा गांरटी के सम्बन्ध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के मध्य अंतर प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण का नाम	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के अभिलेखों के अनुसार			हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अंतर			
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गांरटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गांरटी	
1	हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	16.89	12.92		9.84			1.43	7.05	12.92	-1.43
2	हिमाचल प्रदेश पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13.00			13.12			-0.12	0	0	0
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	11.34			11.27			10.17		0	-10.17
4	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	7.04	2.97		9.89			-2.85	2.97	0	0
5	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	92.98	94.62		21.98	5.44		71	89.18	0	0
6	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007			0			0.007	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम	0.01			0			0.01	0	0	0
8	हिमाचल पथ परिवहन निगम			229.75			224.82	0	0	4.93	
9	महिला विकास निगम	10.64			11.19			-0.55	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड		51.66	6.65		50.09	19.69		1.57	-13.04	
11	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड			0.6			0.17		0	0.43	
12	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड			14.15					0	14.15	
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड		0.95						0.95	0	
	योग	151.91	163.12	251.15	77.29	55.53	256.28	74.62	107.59	5.13	

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ परिच्छेद 4.8.1)

राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे, बकाया अवधि में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अवधि जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	नवीनतम अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया थे			
					त्रहण	उपदान	कुल	
क	क्रियाशील सरकारी कम्पनियां							
1	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2014-15	11.00				
			2015-16					
			2016-17					
			2017-18					
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014-15	2015-16	7.19		0.61	0.61	
			2016-17					
			2017-18					
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2014-15	9.39		0.11	0.11	
			2015-16			0.12	0.12	
			2016-17			0.13	0.13	
			2017-18			0.15	0.15	
4	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	9.25		3.08	3.08	
5	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	2017-18	0.01		7.40	7.40	
6	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	12.30		0.60	0.60	
			2017-18			1.72	1.72	
7	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आयूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	3.51				
8	हिमाचल प्रदेश राज्य आद्यार्थिक विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	30.82				
9	हिमाचल प्रदेश सामाज्य उद्योग निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	7.16				
10	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विवरण एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	38.76	8.00		8.00	
11	हिमाचल प्रदेश रोड तथा अन्य अवसरेचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	25.00		100.00	100.00	
12	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	3.72				
13	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड		2017-18					
14	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम		2017-18					
15	हिमाचल प्रदेश ऐंग्रेज इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17					
			2017-18					
16	हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16					
			2016-17					
			2017-18					
			2017-18					
17	हिमाचल प्रदेश परामर्श संगठन लिमिटेड		2017-18					
				कुल क (क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)	188.83	8.00	113.92	121.92
ख	क्रियाशील सार्विधिक निगम							
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	2017-18	670.49		305.00	305.00	
				सकल क (क्रियाशील सार्विधिक निगम)	670.49		305.00	305.00
				सकल योग (क + ख)	859.32	8.00	418.92	426.92

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ परिच्छेद 4.11. 4.12 एवं 4.17)

नवीनतम वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, का सारांशित वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों के वर्ष	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लभांश, ब्याज एवं कर के पूर्व निवल लाभ/हानि	लभांश, ब्याज एवं कर के पश्चात निवल लाभ/हानि	टन्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	नेट वर्ष	संचित लाभ/ हानि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
क क्रियाशील सरकारी कम्पनियां											
कृषि एवं संबद्ध											
1	हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2015–16	2017–18	1.21	1.21	60.57	18.85	6.32	-0.03	-18.88	
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	-3.03	-3.03	60.94	38.77	-20.88	-44.43	-83.20	
3	हिमाचल प्रदेश बन विकास निगम लिमिटेड	2014–15	2017–18	-2.58	-4.09	182.90	11.71	-5.32	-41.04	-52.75	
क्षेत्र-वार कुल:					-4.40	-5.91	304.41	69.33	-19.88	-85.50	-154.83
वित्त											
4	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013–14	2017–18	1.07	1.07	2.73	11.00	33.36	18.36	7.36	
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2014–15	2017–18	0.28	0.28	0.67	7.19	8.69	8.69	1.50	
6	हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम	2013–14	2016–17	0.42	0.03	0.68	9.39	15.81	4.62	-4.77	
क्षेत्र-वार कुल:					1.77	1.38	4.08	27.58	57.86	31.67	4.09
अवसंरचना											
7	हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18				25.00	25.00	25.00		
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	17.05	10.07	49.83	30.82	72.29	72.29	41.47	
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड						0 .0003				
क्षेत्र-वार कुल:					17.05	10.07	49.83	55.82	97.29	97.29	41.47
विनिर्माण											
10	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2016–17	2017–18	10.27	6.72	67.68	7.16	33.09	28.05	20.89	
क्षेत्र-वार कुल:					10.27	6.72	67.68	7.16	33.09	28.05	20.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सेवा										
11	हिमाचल प्रदेश गञ्ज नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	2.77	1.78	1245.95	3.51	36.60	36.60	33.09
12	हिमाचल प्रदेश गञ्ज इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	2.14	1.38	82.2	3.72	9.10	9.10	5.38
13	हिमाचल प्रदेश गञ्ज हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.12	-0.18	29.38	9.25	-5.13	-6.08	-15.33
14	हिमाचल प्रदेश पर्वटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	2.05	1.4	90.89	12.3	-9.78	-9.78	-22.08
15	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2016-17	2017-18	0.09	0.09	0	0.007	0.13	0.127	0.12
16	हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम				0	5.43	0.01	0.01	0.01	
17	हिमाचल प्रदेश परामर्श संगठन लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.81	-0.81	6.12	0.15	2.52	2.52	2.37
क्षेत्र-वार कुल:					6.36	3.66	1459.97	28.947	33.447	32.497
योग क (सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनियां)					31.05	15.92	1885.97	188.837	201.807	103.997
ख	सांविधिक निगम									
वित्तीय										
1	हिमाचल प्रदेश वित्त निगम	2017-18	2017-18	-5.50	-5.50	2.55	99.57	56.01	-66.99	-166.56
क्षेत्र-वार कुल:					-5.50	-5.50	2.55	99.57	56.01	-66.99
सेवा										
2	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	2017-18	-95.27	-95.27	937.93	670.49	-232.07	-443.42	-1113.91
क्षेत्र-वार कुल:					-95.27	-95.27	937.93	670.49	-232.07	-443.42
योग ख (सभी क्षेत्रवार सांविधिक निगम)					-100.77	-100.77	940.48	770.06	-176.06	-510.41
योग (क + ख) (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)					-69.72	-84.85	2826.45	958.90	25.75	-406.41
ग	अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां									
कृषि एवं संबद्ध										
1	एग्री इंडस्ट्रीजल ऐकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.04	-0.04	0.00	17.72	-0.36	-60.51	-78.23
क्षेत्र-वार कुल:					-0.04	-0.04	0.00	17.72	-0.36	-60.51
विनिर्माण										
2	हिमाचल वर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड	2000-01	2001-02	-0.01	0.01	0	0.92	-4.52	-4.52	-5.44
क्षेत्र-वार कुल:					-0.01	0.01	0	0.92	-4.52	-4.52
योग ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां)					-0.05	-0.03	0.00	18.64	-4.88	-65.03
सकल योग (क + ख + ग)					-69.77	-84.88	2826.45	977.54	20.87	-471.43
										-1448.97

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ परिच्छेद 4.15)

2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित राज्य सरकार की निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

	1999-2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
कृषि एवं सम्बद्ध																					
हिमाचल प्रदेश ऐंग्री इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	9.841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89	
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विवरण एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	10.235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.54	3.55	0.00	8.00	0.00	40.34	
हिमाचल प्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	11.711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
वित्तीय																					
हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम																					
इक्विटी	1.566	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	0.00	0.00	0.28	0.54	0.80	0.67	0.54	0.00	13.006	
ब्याज रहित ऋण	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम																					
इक्विटी	1.252	0.00	0.10	0.2214	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	0.00	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	10.64	
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
हिमाचल प्रदेश अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम																					
इक्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.46	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	0.00	11.34	
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
अवसंरचना																					
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड																					
इक्विटी	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
हिमाचल प्रदेश राज्य आवौद्योगिक विकास निगम लिमिटेड																				
इक्विटी	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																				
इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विनिर्माण																				
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड																				
इक्विटी	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवाएं																				
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड																				
इक्विटी	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड																				
इक्विटी	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
व्याज रहित ऋण	0.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम लिमिटेड																				
इक्विटी	4.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड																				
इक्विटी	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम																				
इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.007
व्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
हिमाचल प्रदेश बैंकरेज निगम																				
इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश परामर्श संगठन लिमिटेड																				
इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.03	0.18
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्विधिक निगम वित्त योगित																				
हिमाचल प्रदेश वित्त निगम																				
इक्विटी	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.58
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्विधिक निगम सेवा																				
हिमाचल पथ परिवहन निगम																				
इक्विटी	163.16	11.90	12.00	11.01	26.70	12.30	12.30	12.30	31.49	31.00	42.18	31.92	25.30	44.34	58.00	42.95	41.20	45.00	50.00	705.05
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अक्रियाशील: कृषि एवं सम्बद्ध																				
एग्रो इंडस्ट्रीजल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड																				
इक्विटी	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
ब्याज रहित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ परिच्छेद 5.5.7(ii))

विलम्बित 24 कार्यों का विवरण

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in

